राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का पंद्रहवां दिवस [संख्या १२

सोमवार, दिनांक २९ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०१ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, श्रम, सिंचाई, अकाल राहत, शिक्षा, विद्युत्, चिकित्सा, परिवार नियोजन, पंचायत, राजस्थान केनाल परियोजना एवं वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

उदयपुर-फलासिया मार्ग पर निगम की बसें

११९. श्री नाथूदास (फलासिया-सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर से फलासिया राज्य पथ-परिवहन की बसें नहीं चल रही हैं ?

(२) क्या उक्त मार्ग पर राज्य पथ परिवहन की गाड़ी लगाने का विचार है ? यदि हां तो कितने समय में ? यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री समरथलाल):
(१) जी हां।
(२) फिलहाल नहीं।

श्री नाथूदास : अध्यक्ष महोदय; विहां प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं, रोडवेज की क्यों नहीं चलतीं ?

श्री समरथलाल : जिनका राष्ट्रीयकरण करना होता है वहां रोडवेज की बसें चलती हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इस मार्ग के लिये निर्णय करने में कितने दिन लगेंगे ?

श्री समरथलाल : यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : उनके पास नहीं रहती है मियाद ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उदयपुर डिविजन में ही राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है ? यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): उदयपुर डिविजन में हो रहा है कई मार्गों पर। मामला लीगल रिमेम्ब्रेंसर के पास है। कानून के उप-सचिव हैं, उनके पास चल रहा है। जब वे फाइनल कर देते हैं तब कार्यान्वित किया जाता है।

Page No. 2

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह अनुभव करता हूं कि बहुत से मामलों में विकास आदि में उदयपुर का क्षेत्र सबसे प्रथम है पर रोडवेज के राष्ट्रीयकरण में ही सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है, इसके पीछे कोई रहस्य है क्या यह सत्य है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बहुत पिछड़ा हुआ तो नहीं है पर फिर भी आगे लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बतलाया जावेगा कि उदयपुर डिविजन में अनुमानतः ही सही, कितनी बसें रोडवेज की चल रही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या यह सही है कि गत सत्र में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि गंगानगर से जयपुर के मार्ग को भी राष्ट्रीयकृत मार्ग कर दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या ११७

श्री गंगासहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ११८

श्री हंसराज आर्य !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

मजदूरों की बकाया का भुगतान

११९. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बाड़मेर जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् ६८-६९, ६९-७० एवं ७०-७१ में किन-किन राहत कार्यों में किन-किन मजदूरों की कितनी-कितनी मजदूरी कितनी अवधि की बकाया है ? सूची उनके मस्टररोल नम्बर देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) राज्य सरकार मजदूरों को उक्त बकाया राशि किस प्रकार कब तक देने की व्यवस्था कर रही है ?

उप-मन्त्री, अकाल राहत (श्री गंगाराम चो.): (१) बाड़मेर जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् ६८-६९ एवं उसके आगे जिन राहत कार्यों के जिन-जिन मजदूरों की जितनी-जितनी मजदूरी जिस-जिस अवधि की बकाया है, उसकी सूची उनके मस्टर रोल नम्बर देते हुए सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) राज्य सरकार मजदूरों को उक्त बकाया राशि का हैण्ड रिसीट द्वारा समय-समय पर चुकारा करने की व्यवस्था करती रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बकाया मजदूरी कब तक चुका दी जावेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : इस बारे में राजस्व अधिकारियों द्वारा कोशिश की जा रही है। ज्यादा संख्या में अब है भी नहीं। केवल चार हजार रह गये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : निश्चित तिथि बताइये कि कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसमें कठिनाई यह भी है कि पते नहीं हैं मजदूरों के अतः इसमें जन सहयोग भी अपेक्षित है। यदि ऐसा होगा तो जल्दी चुकारा हो जावेगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : फरजी नाम लिखे हुए हैं इस वजह से कहिये।

श्री गंगाराम चौधरी: यह अलग से प्रश्न है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह बकाया कब से है ?

श्री गंगाराम चौधरी : ६८-६९ से है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : कितने मजदूरों का पता नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी: चार हजार में से कुछ हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिनका पता है उनको देने में क्या कठिनाई है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि चार हजार मजदूरों को मजदूरी देना अभी तक बाकी है। यह शिकायत ऐसी है जिसके बारे में सिद्धान्ततः सारे विश्व में वीकली वेजेज पेमेन्ट होने चाहियें। अगर वीकली नहीं कर सकते तो सरकार एक सभ्य सरकार नहीं है। यह वहशियाना तरीका है।

अब अगर मस्टर रोल फरजी हैं तो फरजी मस्टर रोल बनाने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिये। तब तो समाजवादी सरकार है, नहीं तो यह सरकार नहीं है।

अकाल राहत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, ६८-६९ और ६९-७० में बाड़मेर में अधिक से अधिक १८५ हजार मजदूर काम करते रहे हैं उनमें से केवल ये ४ हजार मजदूर अन्तिम दिनों में जो आये उनमें से बाकी रह गये हैं।

इनके सम्बन्ध में भी प्रबन्ध यह किया था कि उनकी सूचियां विकास अधिकारियों के पास भेजी थीं और पंचायत समितियों का भी सहयोग लिया था लेकिन उनके मार्फत जितने आदमी उपलब्ध हो सके उनके हैण्ड स्लिप बनाकर पेमेन्ट किये गये। पर फिर भी जो उपलब्ध नहीं हो सके तो जैसा निवेदन किया गया सरकार की ओर से फिर प्रयत्न किया जावेगा और जो भी आदमी उपलब्ध होगा उसका चुकारा किया जावेगा।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय उनको भरती किया गया उनके पते क्यों नहीं लिखे गये ?

श्री गंगाराम चौधरी : सम्बन्धित विभागों में ये त्रुटियां रह गई थीं जैसे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग है, इरींगेशन विभाग है। गांवों के नाम लिखना वे भूल गये थे। जब मालूम हुआ तो उनको भी हिदायत दे दी गई थी। पर कुछ गांवों के नाम नहीं लिखे जाने से ये कठिनाइयां आ रही हैं।

श्री विजयसिंह : गांव के नाम जानबूझ कर इसलिये नहीं लिखे गये कि एक ही नाम के व्यक्ति की तीन-तीन चार-चार जगह हाजरियां लिखी गई थीं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : तीन चार नहीं, सात-सात जगह लिखी गई थीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जिनके पते अच्छी तरह मिलते हैं उनके बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ? आखिर उनके लिये तो समय तै कर ही सकते हैं एक महीने में या दो महीने में। ६८ से लगातार यह मामला चल रहा है, आखिर कोई न कोई चीज तो बताइये।

Page No. 4

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि तहसील नोहर के कुछ गांवों के मजदूरों के मजदूरी के १३००/—रुपये अकाल के बकाया पड़े हैं। बार-बार इसके बारे में मांग की गई है लेकिन अभी तक इसका पेमेन्ट नहीं किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है मैं अभी इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि ४००० मजदूरों की मजदूरी बकाया है जिसका पेमेन्ट नहीं हुआ है। जिसकी सूची माननीय सदस्य को भी दे दी है। मेरी ओर से एक चिट्ठी जिलाधीश को और लिखवा रहा हूं और इसके लिये हम यह प्रयत्न करेंगे कि जिला परिषद् के मेम्बर्स को भी इसकी सूची दे दें ताकि यह पता चल सकें कि ये आदमी हैं या नहीं और हैं तो कहां चले गये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अकाल सहायता में हर गांव के कई लोगों ने काम किया है। ४०-५० मील की दूरी पर जाकर उन्होंने काम किया है इसलिये भुगतान के लिये जो समय निर्धारित किया जाता है उस समय पर वे नहीं आ पाते हैं और कुछ का पता नहीं है। यह त्रुटि पाई गई है और विभाग को यह निर्देश दे दिया गया है कि मस्टर रोल में वे किस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव का निवासी है, यह मस्टर रोल में इन्द्राज किया जाना चाहिये। पहले यह डिफेक्ट रह गया था और शुरू-शुरू ६८ में यह त्रुटि पाई गई थी। परन्तु अब मैंने यह पाबन्दी लगा दी है। जब उनका पता नहीं है तो पेमेन्ट किस को करें। अब यह कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो ४००० व्यक्तियों के ८० हजार रुपया बकाया है उसका भुगतान हो जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग की सुनवाई नहीं होती है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या यह राज्य सरकार के ध्यान में है कि लाखों मजदूरों को मजदूरी अकाल सहायता की कई वर्षों से बकाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है। लाख तो नहीं हजारों की संख्या हो सकती है।

श्री दौलतराम सारण : यह बात कहां तक सही है कि अकाल सहायता विभाग के अन्तर्गत कितने मजदूरों को मजदूरी कितने वर्षों से बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट। नया पैसा श्री रामकुमार नन्दवाना। (अनुपस्थित)

ऑर्डर प्लीज। यह अलग से प्रश्न है। श्री जुझारसिंह !

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने बाड़मेर के बारे में फर्माया है, मैं चाहूंगा कि सभी जिलाधीशों को आदेश दे दिये जायें कि जहां जहां भी बकाया है वहां का पेमेन्ट शीघ्र करने की कृपा करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह असाधारण मामला है। अकाल पीड़ित हजारों मजदूरों की मजदूरी वर्षों से बाकी पड़ी है। अनेक बार स्थानीय प्रतिनिधियों ने, पंचायत समितियों ने माननीय मंत्री महोदय को और विभाग को पत्र लिखा है, उसके उपरान्त भी पेमेन्ट नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी कई बार यह प्रश्न उठाया गया है और यह जवाब भी

(श्री दौलतराम सारण)

दिया गया है कि शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा। उसके बाद भी उनका पेमेन्ट नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राज्य सरकार को पाबन्द करें कि वह इन मजदूरों की मजदूरी शीघ्र चुकाये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सुझावों से मेरी सहमति है। समय समय पर फेमीन रिलीफ डिपार्टमेन्ट को इस प्रकार के आदेश दिये गये है कि अनपेड वेजेज का निर्धारित समय में भुगतान कर दिया जाये। परन्तु उनके सामने कोई डिफिकल्टी थी और अब फिर आदेश दे दिये गये हैं कि जल्दी से जल्दी अनपेड वेजेज का भुगतान कर दिया जाये। राज्य सरकार के ये आदेश आज भी हैं। जब कभी भी मैं फेमीन के समय दौरे पर गया हूं डिस्ट्रिक्ट लेविल आफिसर को मैंने यह इम्प्रेस दिया है कि मजदूरों को मजदूरी निर्धारित समय पर मिलनी चाहिये। सिद्धान्ततः मैं इस बात को मानता हूं और इसके लिये मैंने कलेक्टर्स को पाबन्द भी किया है कि निर्धारित समय के अन्दर यह हो जाना चाहिये और जहां यह नहीं हुआ है तो उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे यहां जो इस तरह की अव्यवस्था है उसको क्यों नहीं सम्भालते ? आज तक उनका पेमेन्ट नहीं हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है। आप इसका भी प्रश्न पूछ लें मैं उसका उत्तर दे दूंगा। यहां पर प्रश्न बाड़मेर के सम्बन्ध में किया गया है।

श्री बिरदाराम (जालोर) : अध्यक्ष महोदय, चार हजार मजदूरों की मजदूरी बकाया है। ये मजदूर ४०/५० मील की दूरी से आते हैं इसलिये उनको उनकी मजदूरी का भुगतान उनके गांव में होना चाहिये क्योंकि उनको आने-जाने में दिक्कत होगी और वे निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। जिन मजदूरों की मजदूरी बकाया है अगर वे ढाणी के रहने वाले हैं तो ढाणी में और गांव, कस्बों के रहने वाले तो हैं तो गांव, कस्बों में उनकी मजदूरी का पेमेन्ट होना चाहिये। इस तरफ सरकार ध्यान दिलावे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक जानकारी आ रही है। उनको आ जाने दीजिये। स्थान ग्रहण करें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो व्यवस्था रही है, वह इस प्रकार की रही है कि पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर सभी सूचियां भेज दी गई हैं और पंचायत समिति के सदस्यों के सहयोग से हैंड स्लिप तैयार की गई। उन मजदूरों को बुलाकर बकाया के चुकारे के सम्बन्ध में इसके बाद वह सूची संबंधित विभाग के पास भेजी गई और वहां से पेमेन्ट उठाकर वह पंचायत समिति के केन्द्र पर किया जाता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा एक जानकारी चाहूंगा कि जिस तरह मंत्री महोदय ने

Page No. 6

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
फर्माया है जो कि बाड़मेर में व्यवस्था की गई है उसी तरह की व्यवस्था क्या राज्य सरकार दूसरों जिलों के बारे में भी जहां पर बकाया हैं, व्यवस्था करना चाहती है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी व्यवस्था सभी जिलों के लिये कर दी जायेगी और सभी जिलाधीशों को इन्स्ट्रक्शन्स भी भेज दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या १२०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रामकुमार नरवाना।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह !

पिड़ावा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

१२१. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पिड़ावा क्षेत्र के किन-किन गावों में पिछले दो सालों में विद्युतीकरण किया गया है और वे अलग-अलग मोजूदा बिजली की लाइन से कितने फासले पर से बिजली से जोड़े गये हैं व उन पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया था।

(२) पिड़ावा क्षेत्र बिजली से जोड़े जाने वाले इन गांवों में किन-किन गांवों को जिला परिषद् व जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित किया गया था व कितने को बिना सिफारिश पर ही बिजलो दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि जो गांव एक मोल से अधिक फासले के थे उनमें सलोतिया भी एक था ? यदि हां, तो क्या इस गांव में विद्युतीकरण हेतु जिला प्रशासन की ओर से सिफारिश की गई थी ? कृपया बतावें कि इस गांव में अब तक कितने कुओं पर बिजली लगाई जा चुकी है ? जिन काश्तकारों द्वारा बिजली लगाई गई है उनके नाम बताने की कृपा करें।

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) :

(१) पिड़ावा तहसील के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष १६६८-६६ व ६६-७० में किया गया है उनकी सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। सर्वेक्षण के अनुसार जहां से इन ग्रामों को बिजली दी गई है उसकी दूरी भी सूची में अंकित कर दी गई है। ग्रामवार खर्चा नहीं रखा जाता है। स्कीम की अनुमानतः लागत संलग्न सूची के स्तम्भ ५ में दिखा दी गई है।

(२) वर्ष १६६८-६६ में जिला परिषदों अथवा जिला उत्पादन समिति को सिफारिशें प्राप्त नहीं की जाती थीं। वर्ष १६६६-७० में जिन पांच ग्रामों को स्वीकृत करके विद्युतिकरण किया गया उनकी सिफारिश जिला उत्पादन समिति से आ गई थी।

(३) जी हां। सालोतिया ग्राम में अब तक चार कुओं को बिजली दी जा चुकी है। काश्तकारों के नाम हैं सर्वश्री भाडमल दूदरा, प्रभुलाल दूदरा, प्रभुलाल, रामलाल एवं कंवरलाल अन्दाज।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि आपके डिपार्टमेन्ट में इस तरह का कोई रूल था कि जो गांव इलेक्ट्रिक लाइन से एक मील से अधिक फासले पर हैं उनको बिजली नहीं

(श्री जुझारसिंह)

दी जायेगी। यह रूल था तो एक मील से अधिक की दूरी पर बिजली क्यों दी गई है ?

श्री खेतसिंह : यह कोई पाबन्दी नहीं है। उस लाइन के पास है तो उसको भी दिया जा सकता है। जो भी आयेगा उसको बिजली देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल में यह प्रोविजन था कि बशर्ते कि मन्त्री महोदय यह चाहते हों।

श्री खेतसिंह : यह एक कॉमर्शियल डिपार्टमेन्ट है। यह बन्दिश नहीं है कि एक मील से दूर हो तो बिजली की लाइन नहीं दी जाये। यह प्रोफिटेबिल योजना है तो उसको भी बिजली दी जायेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जुझारसिंह : पिंडावा में ऐसे कम से कम एक दर्जन गांव हैं जो कि बिजली की लाइन से आधे मील की दूरी पर बसे हुए हैं। उनकी सिफारिश भी जिला उत्पादन समिति ने कर दी थी। परन्तु उन गांवों को बिजली नहीं देकर इन गांवों को बिजली देने के क्या कारण हैं ?

श्री खेतसिंह : यह भी सही हो सकता है कुछ गांव ऐसे रह गये हैं जो एक माइल के डिस्टेन्स के अन्दर-अन्दर हैं। लेकिन आप जानते हैं बिजली की मांग ज्यादा है और हमारे पास फन्ड्स इतने नहीं हैं कि सब जगह विद्युतीकरण कर दें। जो आपके दिमाग में है उसको भी हम सोच रहे हैं। निश्चित रूप से वह योजना भी कामयाब होगी।

श्री जुझारसिंह : जो जवाब दिया है वह यह है जिन पर्टिक्यूलर गांवों में बिजली दी गई थी वह जिला उत्पादन सहकारी समिति ने सिफारिश की थी यह गलत है और पहले बता चुके हैं जिला उत्पादन समिति की तरफ से रिकमन्डेड नहीं था।

श्री खेतसिंह : माननीय सदस्य मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर....

श्री जुझारसिंह : जानकारी से क्या मतलब ?

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आने दीजिये। गलत है सही है देख लीजिये।

श्री खेतसिंह : आपके सालोतिया है उसमें भी आपको खुश होना चाहिये, ११५ गांवों में विद्युतीकरण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय सदस्य ने यह बताया पहले सत्र में यह जवाब दिया था यह गांव उत्पादन समिति द्वारा सिफारिश किया हुआ नहीं था और आज मैं कह रहा हूं किया हुआ है....

एक माननीय सदस्य : कौनसी तारीख को ?

श्री अध्यक्ष : अभी सवाल आया ही नहीं है। जो विभाग ने जानकारी दी है मैंने उसके आधार पर ही जवाब दिया है। यदि आप कहते हैं तो जांच कर लूंगा।

श्री जुझारसिंह : यह नाम ही रिकमन्डेड नहीं था, उसके बाद....

एक माननीय सदस्य : आप जांच किस बात की करेंगे ?

श्री खेतसिंह : मैं इस बात की जांच करूंगा आया इस पर्टीक्यूलर स्कीम की जिला परिषद ने सिफारिश की थी या नहीं। अगर की थी तो मैं आपको बता दूंगा। आज जो मेरे पास जवाब है वह तो यही है। उसके बाद में जवाब को दुरुस्त कर लूंगा और वापिस निवेदन कर दूंगा।

श्री जुझारसिंह : वह तो लिखित जवाब है कि गांव उसके बाद इन्क्लयूडेड होते हैं। रिकमन्डेड था लेकिन दूसरा प्रश्न यह है कि जो भी स्कीम प्रोडक्टिव होती है और प्रोडक्शन के आधार पर जिसका रिटर्न १५ पर्सेन्ट आता है उस स्कीम के लेने के फैसले को ध्यान में रखकर दूर वाले गांव सालोतिया डिप्टी मिनिस्टर कन्हैयालालजी का गांव है उसको बिजली दी गई है और क्या उनके गांव में दी जाने वाली बिजली से १५ पर्सेन्ट रिटर्न हो रहा है ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी वह रिटर्न पूरा आने पर योजना को लिया है। यह तो उपाध्यक्ष महोदय कोई ऐसी बात है कि उप मंत्री रहते हैं, उस गांव को दे दिया है तो उसमें क्या नुकसान है ? सबको फायदा है। आप जहां के माननीय सदस्य हैं वहां भी ६४ लाख की स्कीम मंजूर करने का है ....

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े लाइट हार्टेडली जवाब दे रहे हैं। ८ किलोमीटर लाइन ली गई है और इनके कहने से ही सिद्ध है ४ कुओं पर बिजली लगाई है। दो कुए पर, जो उप मंत्री महोदय के भाई, के हैं उनमें लगाई गई है और दो दूसरे काश्तकार हैं। इस तरह से स्कीम की बात कह कर आप उसको....

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री जुझारसिंह : हां, क्या यह ठीक है। बतायें ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया यह ठीक नहीं है। हो सकता है उप-मंत्री महोदय के भाई के गांव का विद्युतीकरण किया गया हो लेकिन उनकी वजह से दूसरे काश्तकारों को इसका लाभ मिला हो। इसमें कौनसी गलत बात है ?

श्री जुझारसिंह : यह तो आपका जवाब है चार कुओं पर बिजली देने का। मैं कोनसी बात कह रहा हूं – मैं तो यह कह रहा हूं चार कुवों से कितना प्रोडक्शन हो गया जिसकी वजह से आपने उस गांव का विद्युतीकरण किया है।

श्री दौलतराम सारण : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे यह लाभ की स्कीम थी ? आपके सर्वेक्षण के मुताबिक उस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कितने कुओं में बिजली लगने की थी और यह लाभ की योजना किस प्रकार बनी थी ?

श्री खेतसिंह : इसके डिटेल्स मेरे पास मौजूद नहीं है कि कितने वेल्स की सर्वे रिपोर्ट बनी है लेकिन मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं उसमें काफी कुए हैं। ज्यों ज्यों लोगों का विश्वास बढ़ेगा और बिजली से फायदा मिलना शुरू होगा त्यों-त्यों बिजली की मांग ज्यादा आयगी।

श्री दौलतराम सारण : ८ किलोमीटर लाइन में केवल चार आदमियों ने कनेक्शन लिये हैं और आप कह रहे हैं सर्वे के अनुसार लाभ की स्कीम थी। आज तो यह स्थिति है कि कुओं को बिजली के लिये लोग

(श्री दौलतराम सारण:) एडवान्स रकम जमा करा रहे हैं। आप केवल एक गांव को देकर जो उपमंत्री महोदय का है पब्लिक फण्ड का मिस यूज कर रहे हैं इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है बिजली देने से पहले कोई सर्वे नहीं कराया गया था?

श्री खेतसिंह: जी नहीं, यह बिलकुल सही नहीं है। सर्वे कराया गया है। उसी के आधार पर कनेक्शन दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि सर्वे करने के साथ साथ जिला विकास समिति और जिला परिषद् अधिकारी से राय नहीं ली गई है?

श्री खेतसिंह: यह आवश्यक नहीं है। जो रिपोर्ट आई है उन गांवों का सर्वे कराया गया है यह कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है। जिला विकास समिति से सुझाव लेना आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण: क्या यह सही है इस स्कीम में यह पहले से सर्वे की हुई पड़ी थी और यह लाभ की थी?

श्री अध्यक्ष: यह अलग से प्रश्न है।

श्री खेतसिंह: यह अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सरकार की यह विद्युतीकरण की योजना है, यह पूर्ण पक्षपात पूर्ण है। मैंने इस सदन में भी चर्चा उठाते समय मोटे तौर से यह निवेदन किया था। सलुम्बर से सागवाड़ा बिजली दी गई है और यह सागवाड़ा हमारे माननीय मंत्री भीखाभाईजी का गांव है। यह बिजली की लाइन आसपुर होकर गई है। आसपुर को बिजली नहीं दी गई है लेकिन सागवाड़ा को बिजली देदी गई है क्योंकि मंत्री महोदय के स्थान पर बिजली देते हैं। यह ठीक है मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन यह जनता का प्रश्न है। आम जनता के प्रति भी सरकार को उदासीन नहीं रहना चाहिये। जनता को बिजली देकर प्रोत्साहन देना चाहिये। आसपुर से सागवाड़ा १२ मील है और सागवाड़ा ४० मील पर है। ४० मील दूर जाकर भी भीखाभाई के क्षेत्र को बिजली देदी गई और जो आसपुर है १२ मील पर उसको बिजली नहीं दी गई है। क्या यह आप उचित समझते हैं?

श्री खेतसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय विरोधी दल के नेता के अपने विचार हैं। वे ऐसा सोच सकते हैं। मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा ऐसा कोई पक्षपात विद्युत मन्डल की ओर से नहीं किया गया है और नहीं इसका कोई ध्यान रखा गया है। माननीय जुझारसिंहजी आपकी पार्टी में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनके ११५ गांवों में बिजली देने की योजना है। उनके पंचायत समिति के पूरे गांवों का विद्युतीकरण होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं सोच सकते हैं विद्युत मण्डल में किसी प्रकार का पक्षपात है। पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्री जी।

एक माननीय सदस्य: प्रश्न पूछा ही नहीं है।

प्रश्न संख्या १२२

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा

बन्सोली बांध

१२३. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गाडरिया ग्राम के कांकड में बन्सोली बान्ध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था ?

(२) ग्राम गाडरिया की कितनी जमीन और कितने कुए डूब में आवेंगे ?

(३) जमीन का, कुओं का व मकानों का मुआवजा कितना-कितना दिया गया है और किस-किस को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सत्य है कि काश्तकारों से अब तक लगान वसूल किया जा रहा है ?

(५) क्या यह सही है कि मकानों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? मकानों का मुआवजा कितना-कितना देना तय हुआ है ?

(६) क्या यह सत्य है कि कुओं और मकानों का मुआवजा जो तय किया गया है, वह बहुत कम है ?

उप-मंत्री (श्री जसराज) : (१) ग्राम गाडरिया के कांकड में बन्सोली बान्ध का निर्माण कार्य दिसम्बर, सन् १९६६ में शुरू हुआ था।

(२) ग्राम गाडरिया की जमीन २२५ बीघा ७ बिस्वा व कुल ११ कुए डूब में आवेंगे।

(३) अभी तक गाडरिया ग्राम की ४० बीघा १७ बिस्वा भूमि का मुआवजा दे दिया गया है। सूची संलग्न है।

(४) जी हां।

(५) जी हां। ग्राम गाडरिया के ५५ मकान के मुआवजे की रकम ७२,२६० रु. अभी देना बाकी है। भूमि अवाप्ति नियम की धारा ६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति राज-पत्र में प्रकाशित नहीं हो पाई है। प्रकाशन के बाद परगना अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान कर दिया जावेगा।

(६) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री जसराज : विज्ञप्ति के लिये विभागों की तरफ से लिख दिया गया है परन्तु परगना अधिकारी से शासन सचिव ने इन-फार्मेशन मांगी थी ७-९-७० को उसका जवाब प्राप्त नहीं हो पाया है इसलिये प्रकाशित नहीं हो पाई है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिये परगना अधिकारी, नैनवा ने जो पत्र लिख-कर दिया है उसको पढ़कर सुना देता हूं :— विज्ञप्ति राजस्थान राज-पत्र में अतिरिक्त शासन सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रकाशित कराना अवशेष है जिसमें इन्हें पत्र संख्या १०४ भार०

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

एल० दिनांक १४-१-७० व १०३ आर० एल० दिनांक १४-१-७० से लिखा जाकर स्मरण पत्र भी जारी किये गये हैं परन्तु कोई उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ ..

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पत्र का हवाला दे रहे हैं उस पत्र के रेफरेंस में ही एडीशनल सैक्रेटरी ने एस० डी० ओ० से कुछ सूचना मांगी। इसके बाद सूचना देरी से आई लेकिन आने के बाद वह एप्रूव हो चुकी है और कल गजट में भेजी जा चुकी है।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, कौनसा सही मानें? उप मंत्रीजी ने कुछ और कहा है और मंत्रीजी ने कुछ और।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: कल ही एप्रूव हुई है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: इसके बाद मैंने एक पत्र माननीय मंत्रीजी को २९-६-७० को लिखा।

श्री अध्यक्ष: वह तो भेजी जा चुकी है, अब।

श्री केशरीसिंह हाड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, सदस्यों का यह सरकार कितना ख्याल करती है, कि २० पैसे का टिकट खर्च नहीं करना चाहते हैं और उत्तर नहीं देना चाहते हैं इसलिए मजबूर होकर विधान सभा में प्रश्न रखना पड़ता है। मैंने लिखा एक बार चीफ इन्जीनियर को, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को लिखा, सहायक अभियन्ता को लिखा, जिलाधीश को लिखा मगर, अध्यक्ष महोदय...

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय सदस्य, एक छोटी सी बात सुन लें ...

श्री केशरीसिंह हाड़ा: 'Listen me first' तो मैंने तीन दफा इस प्रश्न को दोहराया है ४ वर्षों में लेकिन सरकार हमेशा बककर देती रही है। एक दफा तो कहा था कि हमने मुआवजे की रकम तय कर दी है और, दूसरी दफा यह कहा था कि हमने लगान भी नहीं लिया है। तो लगान भी बदस्तूर लिया जा रहा है, जमीनें अवाप्त हुई नहीं, और जिसके लिए माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि यह लगान वापिस कर दिया जायेगा और जिन कर्मचारियों ने लगान वसूल किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। सो न तो कार्यवाही की गयी और न लगान ही वापिस दिया गया, और बदस्तूर लगान अभी तक भी लिया जा रहा है और कार्यवाही भी अभी तक नहीं की गयी और न मुआवजा ही अभी तक दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने तीन मुद्दे उठाये हैं। एक तो यह कि लगान लिया जा रहा है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बांध में अभी तक पानी नहीं रोका गया इसलिए पेटे में आने वाली जमीन मय कुओं के काश्तकार खेती कर रहे हैं और पैदावार कर रहे हैं सिवाय उस जमीन के कि जो पाल में या कन्स्ट्रक्शन वर्क में आती है, उसके अलावा जमीन का उपयोग अभी काश्तकार कर रहे हैं और राजस्व विभाग से मैंने सूचना प्राप्त की उसमें बताया गया है

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)
कि जिस जमीन और कुओं का उपयोग कर रहे हैं उसका हम लगान ले रहे हैं।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने इस नोटीफिकेशन और पेमेन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन के बारे में कही। यह बात सही है कि दफा ४ का नोटीफिकेशन निकल जाने के बाद दफा ६ का नोटीफिकेशन निकलने में देरी हुई। अब नोटीफिकेशन गजट में प्रकाशित होने के लिये भेजा गया है और पेमेन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन के बारे में हमने आदेश प्रसारित कर दिये हैं और उसके आधार पर नेगोशियेटेड सेटलमेन्ट के आधार पर पेमेन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन का काम आज से बूंदी में शुरू हो रहा है और कम्पेन्सेशन के चुकारे की कार्यवाही के आदेश दिये हैं उसके मुताबिक आज से शुरू हो जायेगी। तो कुछ कम्पेन्सेशन जो पहले मन्जूर करके भेज दिये गये हैं उनका तो भुगतान हो ही गया है लेकिन बाकी का जो बचा हुआ है जिसके लिये माननीय सदस्य ने पूछा है उसका कम्पेन्सेशन का नेगोशियेटेड कम्पेन्सेशन के आधार पर आज से पेमेन्ट किया जा रहा है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है माननीय मंत्रीजी ने कहा कि लोग काश्त कर रहे हैं और कुए काम में आ रहे हैं और जमीन उनके कब्जे में है। मैं मंत्रीजी को जानकारी देना चाहूंगा कि जो जमीन है और जिस पर खोदकर बांध बनाया गया हो वह वही जमीन है जिसके लिए माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि काश्त कर रहे हैं। तो क्या यह कभी हो सकता है कि जिस जमीन को खोद लिया, बांध बना दिया उस पर काश्त हो रही है। मैं ऐसी सरकार की तारीफ कहां से करूं ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह सम्भव है ?

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह पूर्णतया सम्भव है। जांच कराई जाये उसके लिए मैं साथ जाने के लिए तैयार हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : लगान की वसूली के लिए राजस्व विभाग ने बताया है कि बांध में पानी नहीं रोका गया है और किसान अपनी भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं इसलिए लगान तो वसूल किया गया है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में ही सिंचाई विभाग की वजह से काश्तकार परेशान हैं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता

श्री केशरीसिंह हाड़ा : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, इतना ही चाहूंगा कि मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं कई दफा।

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : अगर अपनी आंखों से देखकर आये हैं तो मैं जरूर जानकारी करूंगा और गलत इनफार्मेशन दी है और कोई बात गलत निकलेगी तो कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : दोनों तरफ की आंखें मिला ली जायें।

श्री मोदी

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचाई विभाग की

Page No. 13

(श्री मोहनलाल मोदी)

तरफ से यह शिकायत है कि ६-६ साल हो जाते हैं और मुआवजा नहीं देते हैं, ढाणी की ढाणी खाली हो जाती है और मुआवजा नहीं मिलता। किसान परेशान होते हैं तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन दे सकते हैं कि हम अमुक तिथि तक सारे राजस्थान में मुआवजा चुका देंगे ? ६-६ और ८-८ साल हो गये और मुआवजा नहीं दिया जाता...

श्री अध्यक्ष : समझ में आ गया प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : गांव के गांव खाली कर दिये किसानों ने और वे बसने के लिये परेशान हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया। आज तक.....

श्री रामप्रसाद लखेड़ा : क्वेश्चन ही वेग है इसका क्या स्पष्टीकरण किया जाये। कोई स्पेसिफिक इन्सटान्स किसी प्रोजेक्ट को बतायेंगे तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : अमुक तिथि तक किसी का भी मुआवजा बाकी नहीं रहेगा ऐसा आश्वासन तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शंकरसिंह

बकाया यात्रा भत्ते के बिलों का भुगतान

१२४. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला परिवार नियोजन अधिकारी, अजमेर को अधीनस्थ कर्मचारियों के यात्रा भत्ता भुगतान हेतु १६६६-७० व १६७०-७१ का बजट आवंटित कर दिया गया ?

(२) यदि हां तो, कितनी धनराशि ?

(३) क्या समस्त विभागीय कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के बिलों का भुगतान कर दिया गया ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां।

(२) आवंटित धनराशि का विवरण—

वर्ष	राशि
१६६६-७०	२६,०००-००
१६७०-७१	३२,००० रु०

(३) वर्ष १६६६-७० से सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिलों का तादादी २६३४५ रु० का भुगतान किया जा चुका है। केवल १४०२८.०४ की राशि के बिलों का भुगतान करना बाकी है।

वर्ष १६७०-७१ से सम्बन्धित यात्रा भत्ता बिलों का तादादी १६४६.०६ का भुगतान करना शेष है। बाकी बिलों का तादादी ३१३३० रुपयों का गतानभु किया जा चुका है।

(४) सन् १६६६-७० एवं १६७०-७१ में आवंटित की गई धनराशि तक बिलों का भुगतान किया जा चुका है। शेष बिलों की धनराशि का भुगतान आक्षेपों की पूर्ति नहीं होने अथवा बजट में अतिरिक्त रकम मांगने तथा लेखा लिपिक का स्थानान्तरण हो जाने के कारण नहीं हो सका है।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जिला परिवार नियोजन अधिकारी है और उसके नीचे जो क्लर्क और फील्ड वर्कर्स हैं ऐसे कार्यकर्ताओं का पेन्डिंग है और वहां पर इस मामले में सौतेला व्यवहार है इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको जरूर किया जाये जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं। कम से कम कार्यकर्त्ताओं का समय पर भुगतान होना चहिए-यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती सुमित्रा : आगामी ६ महीनों के अन्दर-अन्दर जितने भी कर्मचारियों का बकाया राशि का भुगतान है वह हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

माण्डलगढ़ क्षेत्र में यातायात की व्यवस्था

१२५. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र में विकास पंचायतों के ऐसे क्वार्टर्स हैं जहां आज तक बस नहीं पहुँच सकी है और जनता भारी कष्ट पा रही है ? यदि हां, तो माण्डलगढ़ तहसील मे ऐसे कितने पंचायत हैड क्वार्टर्स हैं ? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) ऐसे गावों तक बस पहुँचाने की आपकी क्या योजना है ? यदि आपकी कोई योजना है तो कृपा करके बतायें और यह विश्वास दिलायें कि कब तक बस रूट कायम हो जायेंगे ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथलाल): (१) जी हां, ऐसे २१ पंचायत मुख्यालय हैं जिन में हो कर बसें नहीं जाती हैं। नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) इन मार्गों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण होने के बाद प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण स्कोप निर्धारण करके परमिट दिये जाने के बारे में कार्यवाही करेगी। प्राधिकरण स्वयं एक क्वासी जुडीशियल प्राधिकरण है और उसकी कार्यवाही के बारे में समय निश्चित नहीं किया जा सकता फिर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति में कुल ४० तो पंचायते हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि २१ पंचायतों के हैडक्वार्टरों पर बसें नहीं जाती हैं तो आपने भी इसको स्वीकार कर लिया है। २-३ नाम आप भूल सकते हैं, लेकिन इतना कर लिया है इसके लिए तो मैं बधाई देता हूं। भ्रूफोला आदि रह गये हैं। तो २४ पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कोई बस नहीं जाती है और चार साल से मैं निवेदन कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि मैंने प्रश्न पूछ लिया तो वे कहते हैं कि प्रश्न से पेट नहीं भरता है। क्या घिस घोलकर पियें आपके प्रश्न को। तो आप क्या इन्तजाम करेंगे ? कुछ लोगों को आप नियुक्त करेंगे ताकि इनका सर्वेक्षण करके जल्दी से जल्दी बस रूट निकालें ? और जल्दी से जल्दी का मतलब यह है कि चार वर्ष तो हो गये तो यह जल्दी आपकी कब खत्म होगी ? यह कृपा करके बतायें।

यातायात मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : उस काम के लिए अधिकारी नियुक्त हैं और

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

स्पेशल अधिकारी नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। वे अधिकारी सर्वे करके आर० टी० ए० के दफ्तर में देंगे तभी आर० टी० ए० आगे कार्यवाही करेगी। जल्दी से सर्वे करके आर० टी० ए० के पास में प्रस्तुत करने के उनको आदेश दे सकते हैं और वे आदेश दे दिये गये हैं कि जल्दी से इस मामले का सर्वे करके आर० टी० ए० को आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या मैं आशा कर सकता हूं कि, इस वर्ष में वहां पर बसें चालू कर दी जायेंगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आश्वासन इस स्टेज पर नहीं दिया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बशर्ते कि राज्य बना रहे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

जिला परिषद् भरतपुर का भवन

१२६. श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर में जिला परिषद् भवन बनाया गया है ? यदि हां, तो यह किस मद से बनाया गया है ? इस भवन के व्यय में अब तक कितना भुगतान किया जा चुका है ?

(२) इसका एस्टीमेट बनाया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो यह भुगतान किस प्रकार किया गया ?

(३) ठेका किसी व्यक्तिगत ठेकेदार को दिया या किसी सहकारी समिति को ? यदि ठेकेदार को दिया तो ठेकेदार का क्या नाम है ? यदि सहकारी समिति को दिया तो सहकारी समिति का नाम व उसके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि बिल्डिंग अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और भुगतान हो चुका है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से प्राप्त अंशदान की धन-राशि से भवन का निर्माण करवाया गया है। अब तक १,३८,२५७.०० रु० का भुगतान किया गया है।

(२) एस्टीमेट बनाया गया था।

(३) ठेका आलोक श्रमिक ठेका सहकारी समिति, भरतपुर को दिया गया था। सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) भवन पूर्ण हो चुका है। फाइनल बिल का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

राजस्थान कैनाल पर एस्केप्स का निर्माण

१२७. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्थान कैनाल परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल में फालतू पानी नहर से बाहर निकालने के एस्केप्स बने हुए हैं ? यदि हां,

(श्री रामचन्द्र आर्य)
तो कहां-कहां पर और एस्केप के पानी से कितना एकड़ भूमि बेकार हो गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि नहर के एस्केप्स नहर से उत्तर की तरफ बनाये हुए हैं ? क्या यह सही है कि एस्केप को नहर से दक्षिण की तरफ बना दिये जावें तो जनता व मवेशियान को पीने का पानी मिल सकता है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की १६५ आर. डी. पर एस्केप के पानी को लिफ्ट से नहर से दक्षिण की तरफ निकालने की योजना, सन् १९६८ में तैयार की गई थी ? यदि हां, तो उस स्कीम का क्या हुआ ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान कैनाल का फालतू....

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे सूची नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : सूची आ जायगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (१) राजस्थान कैनाल का फालतू पानी इमरजेन्सी में बाहर निकालने के लिये एस्केप बने हुए हैं। एक एस्केप आर. डी. ६२९ राजस्थान फीडर और दूसरा आर. डी. १६५ राजस्थान कैनाल पर बना हुआ है। इस आर. डी. १६५ के एस्केप में ६१७ बीघा १८ बिस्वा भूमि काम आती है।

(२) जी नहीं। ये एस्केप नहर के बाईं तरफ बने हुये हैं बाईं तरफ नहीं बन सके क्योंकि बाईं तरफ जमीन का तल ऊंचा पड़ता है जिससे पानी बह कर नहीं जा सकता।

(३) जी नहीं। इस प्रकार की कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि १६५ आर. डी. के एस्केप में २००० क्यूसेक्स पानी बरसात के मौसम में चलता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जरूरी नहीं है कि हर बार चलता ही रहे। जब नहर में ज्यादा पानी है और उसका उपयोग और तरफ सिंचाई के लिये नहीं हो सकता है तो ऐसे समय में इस एस्केप के जरिये से पानी निकालते हैं और आगे जाकर जो डिप्रेशन्स बने हुए हैं उन डिप्रेशन्स में उस पानी को डालते हैं ताकि डिप्रेशन्स में कल्टीवेशन के लिए पानी काम में आ सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि यह पानी जो १६५ आर. डी. से छोड़ा जाता है इस पानी को अगर राज्य सरकार दक्षिण की तरफ निकाल दे तो ५० गांवों को पीने के लिए पानी मिल सकता है और सिंचाई की भी व्यवस्था हो सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जो पानी निकलता है वह उपयोग में आता है। डिप्रेशन्स बनाये ही इसलिये गये हैं कि छोड़ा हुआ पानी उनमें भरे और इस तरह से जमीन सिंचित रहे और उस पर खेती हो सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जो ज्यादा पानी है वह कैनाल कन्ट्रोल जो बने हुए हैं उनसे पानी उस नहर में जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमेशा नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमेशा जब जब बरसात का मौसम होता है तो नाले का जो पानी है वह उन्हीं नहरों में छोड़ देते हैं और हम बराबर यह मांग करते आ रहे हैं कि इस पानी को लिफ्ट करके दक्षिण की तरफ निकाला जाय जिससे काश्तकारों और मवेशियों को पीने के लिये पानी मिल सके। आप इस प्रकार की योजनाओं पर पैसा क्यों नहीं खर्च करते हैं और पानी ज्यादा छोड़ कर लोगों की फसल को बरबाद करते हैं और ६००-७०० बीघा में पानी ज्यादा होने की वजह से फसल नहीं हुई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिवाय इस चैनल के जिस चैनल में होकर पानी बहता है उसके अलावा बाकी हमेशा डिप्रेशन्स में पानी भरने से फसलें ज्यादा अच्छी तरह से होती हैं। बल्कि डिप्रेशन्स में इस साल करीब ४० हजार एकड़ जमीन में इरिगेशन हुआ है और उससे अधिक पैदावार होगी डिप्रेशन्स को भरने की वजह से।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि अधिक पानी आ जाता है तो उसमें छोड़ देते हैं जिससे फसलें डूब जाती हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वेग फेक्ट है। कोई फसलें डुबाने के लिए पानी छोड़े ऐसा मैं नहीं मान कर चलता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप नहीं चलते हैं लेकिन हम मान कर चलते हैं। इस तरह से काश्तकारों को परेशान करते हैं, इस भ्रष्टाचारी राज्य में लोगों की फसलें बरबाद करते हैं और फालतू पानी को इधर से निकालने का इन्तजाम नहीं करते हैं और दूसरी तरफ पानी खेतों में डाल कर फसलें बरबाद करते हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये कहते हैं कि कोई योजना नहीं है और ६८ के अन्दर इस प्रकार की रिपोर्ट नीचे से एस. ई. से आई है यह मैंने ऑफिस से पता लगाया है। उसमें पानी को लिफ्ट करके उसकी स्कीम बनायें तो ५० गांवों को पीने के लिये पानी मिल सकता है, लेकिन पानी उसमें डालते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं कोई योजना नहीं है और न कोई योजना बनाने का विचार है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्यों नहीं है ? क्या आप उसकी जरूरत नहीं समझते ? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : पंचायत मन्त्री !

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में माननीय मन्त्रीजी ने कहा था कि राजस्थान कैनाल के पानी को इस नहर में डाल कर इस चैनल को जैसलमेर तक पहुंचायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हाड़ा !

मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बकाया बिल

१२८. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिंडोली): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला बूंदी की किस-किस पंचायत समिति में कितने अध्यापकों व दीगर कर्मचारियों के मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बिल बकाया पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(२) मेडिकल बिलों का रिएम्बर्समेंट कब से नहीं हुआ है और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि जिले की चारों पंचायत समितियों के प्रधानों के मेडिकल बिलों का रिएम्बर्समेंट भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस का और कितना-कितना और क्यों ?

(४) क्या वार्षिक बजट में रिएम्बर्समेंट के लिए रकम का अलग से प्रावधान नहीं किया जाता है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(३) प्रधानों के लिए नियमों में मेडिकल के बिलों के रिएम्बर्समेंट का कोई प्रावधान नहीं है।

(४) प्रावधान किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे सूची दी गई है उसने स्पष्ट समझ में नहीं आता है, फिर भी...

श्री अध्यक्ष : पढ़ लीजिये !

श्री केशरीसिंह हाड़ा : नैनवा, पाट, तालेड़ा पंचायत समितियों के कर्मचारियों को रिएम्बर्समेंट नहीं मिलने का कारण क्या लिखा है आपने ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : निजी आय पर्याप्त नहीं होने के कारण बकाया बाकी है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : निजी आय पंचायत समिति की....

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : जब पर्याप्त हो जायगी तब दिया जायगा या राइट ऑफ कर दिया जायगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पंचायत समितियों की निजी आय होगी उसमें से भुगतान होगा। पंचायत समितियों और जिला परिषदों इन सारे के कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के रिएम्बर्समेंट के लिए इन संस्थाओं को राज्य सरकार से अनुदान मिलने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : अनुदान कब तक मिल जायेगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने बताया कि प्रश्न विचाराधीन है।

प्रश्न संख्या १२९

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रेमसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट। श्री जुझारसिंह !

वन विकास योजना

१३०. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में वन-विकास हेतु अब तक कौन-कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं और उन पर अलग-अलग कितना खर्च किया जा चुका है ?

(श्री जुझारसिंह)

(२) कोटा कन्जरवेटर क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर प्लान्टेशन लगाये गये हैं और फेन्सिंग किया गया है ? इन योजनाओं पर अलग-अलग व कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है और इनसे सरकार को कितनी अधिक आमदनी होनी शुरू हो गई है।

(३) योजनाओं के चालू होने के बाद से कितने ऐसे नये स्थानों पर वन लगाया गया है जो विशेष तौर से इसी मतलब से राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित किये गये हैं, जैसे सांगोद तहसील के ४६ गांव, जिनका कटाव अधिक होने के कारण ही वन विभाग को वन लगाने हेतु दिया गया है ?

(४) क्या भूमि कटाव को रोकने की दृष्टि से भी वन विभाग द्वारा कोई योजनाएं चम्बल केचमेंट एरिया के अतिरिक्त बनाई हुई हैं? यदि हां, तो किन स्थानों के लिए ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इसके स्थगित की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड।

नेक्स्ट। श्री रावत।

राजकीय अस्पताल नसीराबाद

१३१. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नसीराबाद शहर में राजकीय अस्पताल है ?

(२) क्या यह भी सही है कि अस्पताल भवन किराये पर है ?

(३) क्या सरकार नसीराबाद में राजकीय अस्पताल भवन का नव-निर्माण करने की मन्शा रखती है ?

(४) यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) दानदाता के उपलब्ध होने पर या प्लान बजट सीलिंग में धन होने पर।

श्री शंकरसिंह रावत : वहां पर राजकीय अस्पताल किराये की बिल्डिंग में चलता है न तो उसमें साधन पूरे हैं और न स्टाफ केन्टोनमेंट बोर्ड का जो अस्पताल है वहां पर यह आर्डर है कि वहां पर मिलिट्री के स्टाफ के अलावा और कोई नहीं आ सकता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे कि आज छोटे-छोटे गांवों में अस्पताल है और नसीराबाद जैसे शहर में जहां पर कि केन्टोनमेंट है कोई अस्पताल अच्छा नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी नसीराबाद में २० बेड का अस्पताल है वह किराये की बिल्डिंग में काम कर रहा है और २० बेड का भवन बनाने के लिए काफी रुपये की जरूरत है। इस साल हम जितनी भी बिल्डिंग इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं उनको कम्प्लीट करा रहे हैं और चालू अस्पतालों

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

की जिस प्रकार की योजना बन सकी है उन चालू अस्पतालों को कम्प्लीट कराना है। इसलिए इस साल यदि कुछ बच जाये पैसा तो थोड़ा बहुत शुरू करा दिया जा सकता है। इसलिये इस प्लान में ज्यादा रुपया नहीं है तो मुझे इस बात का दुःख है कि इस साल कुछ नहीं किया जा सकता है।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है सरकार ने नसीराबाद के लिये आज तक नहीं सोचा और अब यह कहते हैं कि दूसरी अधूरी बिल्डिंग्स को पूरी करना है तो नसीराबाद की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वहां पर अस्पताल का इन्तजाम करें क्या वहां पर आदमी नहीं रहते हैं, क्या वहां पर पशु रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया।

श्री शंकरसिंह रावत : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय. इस बारे में आश्वासन दें।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय आश्वासन तो दें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद की किराये की बिल्डिंग इतनी खराब है कि वहां जाकर कोई ठहर नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री लाभचन्द वैद : समाजवाद में दानदाता भी पैदा होते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे खर्चे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। नेक्स्ट।

श्री शंकरसिंह रावत : यह आश्वासन तो दें।

सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

१३१. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि आडिट पार्टी ने ग्राम पंचायत गुराड़िया कलां, पंचायत समिति डग के सरपंच श्री हरिसिंह के विरुद्ध गबन का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों का ?

(२) राज्य सरकार ने गबन करने वाले इस सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (१) जी हां, आडिट रिपोर्ट वर्ष १९६५-६६ एवं ६६-६७ में १८० रु० गबन किया जाना बताया गया है।

(२) इस मामले में राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् १९५३ की धारा १७ (४) के अन्तर्गत जांच जारी है।

श्री जुझारसिंह : वर्ष ६५-६६ में आप ने गबन करना बताया है तो ६६-६७ में कितना किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : १०० और ८०।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : १०० और ८० रु० है।

श्री जुझारसिंह : वह गबन करने का आदी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय.......

श्री दौलतराम सारण : १०० और ८० हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सरपंच ने जिसने गबन किया है वह कांग्रेस पार्टी का है इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह सही नहीं है।

श्री जुझारसिंह : जिस व्यक्ति के लिए विधान सभा में कई बार प्रश्न आ चुका है। उस पर आरोप साबित हो चुका है, उस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : दिनांक १७-५-६६ को सरपंच को चार्ज शीट दी गई है। ३-५-७० को विकास अधिकारी झालावाड़ ने कार्यवाही की है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से लगातार गबन साबित हो गया है। तो पुलिस को क्यों नहीं दिया गया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आरोप पत्र लेने के बाद ही कार्यवाही की गई है।

श्री दौलतराम सारण : जब गबन साबित हो गया है तो तुरन्त पुलिस को देना आवश्यक है।

श्री विजयसिंह : क्या राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि गबन साबित हो जाने के बाद पुलिस में देना आवश्यक है ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): इस प्रकार के मामले में जिले का कलेक्टर एक्शन लेता है। देरी के कारण की जानकारी नहीं है। आरोप में ३४४ रु० की एक रसीद का मामला था। सरपंच ने ३४४ लिये लेकिन एक्चुअली रसीद २४४ की थी वह मामला है। एक ८० रु० का मामला था। यह आडिट का चार्ज था। सरकार ने डिटेल में इन्क्वायरी के लिए लिखा था। जैसा कि उप-मन्त्रीजी ने कहा उनको जांच रिपोर्ट के लिये कहा गया था कि वह जल्दी भेजे।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि मैंने मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में कई पत्र लिखे किन्तु उनका उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा ?

श्री जुझारसिंह : यहां के कन्हैयालाल उप-मन्त्री उसमें इण्ट्रस्टेड हैं, इसलिए वह जांच नहीं होने देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अगर कोई पत्र मिलता है तो उसका जवाब दिया जाता है। यह जांच हो जाएगी।

श्री जुझारसिंह : जांच का यह क्या तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित करता हूं। नेक्स्ट। श्री फूलचन्द बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना। प्रश्न संख्या ६

स्थगित प्रश्न
(१९-३-७१)

ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा आबादी भूमि का विक्रय

६. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले आठ वर्षों में ग्राम पंचायत सुमेरपुर द्वारा सुमेरपुर में कितने-कितने क्षेत्रफल की आबादी भूमि कब-कब किस-किस को कितने-कितने रुपयों में किस-किस भाव बेची गई ?

(२) क्या यह सही है कि टाउन प्लानिंग द्वारा सुझाई ग्राम विकास कार्यों के लिये सुरक्षित रखी जाने वाली आबादी भूमि भी ग्राम पंचायत द्वारा बेच दी गई ? यदि हां, तो किस-किस विकास कार्य के लिये कितने क्षेत्रफल की कहां-कहां सुमेरपुर में सुरक्षित रखी गई थी भूमि और वह सुरक्षित आबादी भूमि कितने-कितने क्षेत्रफल की कब-कब किस-किस का कितने-कितने रुपयों में किस-किस भाव से बेची गई ? इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(३) उपर्युक्त भाग संख्या (१) तथा (२) से सम्बन्धित भूमि किस-किस सरपंच के समय में बेची गई और बिक्री के समय पंचायत द्वारा बिक्री भाव व बाजार भाव (साइट वेल्यू) में कितना-कितना फर्क था ? यदि फर्क था, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय गबन होता है, पब्लिक फण्ड के पैसे का गबन होता है। मण्डल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने से उसको बचाया जा रहा है। डेढ़ दो साल हो गये हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया अभी तक कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : मैंने स्थगित कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से पब्लिक फण्ड के साथ किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक कांग्रेसी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बाफना !

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पूरी सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है। इसलिए इसे स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(स्थगित प्रश्न सं० ६ स्थगित किया गया।)

श्री फूलचन्द बाफना : माननीय अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक १८-३-७१)

कृषि फार्म, ग्राम खासोली

२७. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चूरू नगर के पास खासोली ग्राम में कोई सरकार द्वारा कृषि फार्म

(श्री लाभचन्द वैद)

बनाया गया था? अगर हां, तो उस फार्म का क्षेत्रफल कितना है और उसमें सिंचाई के क्या साधन बनाये गये?

(२) उस फार्म को बनाने में सरकार की कितनी धनराशि खर्च हुई और प्रति वर्ष उस फार्म का आय-व्यय कितना हुआ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या यह फार्म इस समय बन्द पड़ा हुआ है और कृषि कार्य नहीं हो रहा है? अगर हां, तो क्यों?

(४) इस खासोली स्थित कृषि फार्म के भविष्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है? सरकार खुद उस फार्म पर कृषि करेगी या इस फार्म को सरकार ठेके पर देगी यह और कोई योजना इस फार्म के बारे में सरकार ने सोच रखी है?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा-मिश्रा): (१) जी हां। फार्म का क्षेत्र-फल १०३ एकड़ है। सिंचाई के लिए कुये का निर्माण किया गया था।

(२) अनुमानतः ४६,०००.०० रु० का खर्चा हुआ है। प्रति वर्ष के आय-व्यय के विवरण की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं काश्त की जा रही है।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री लाभचन्द वैद: इस फार्म में बिजली का इंजन है क्या? सिंचाई का साधन क्या है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: सिंचाई के साधन के लिए कुवों का निर्माण किया गया है।

श्री लाभचन्द वैद: सिंचाई बिजली से होती है या इंजन से होती है?

एक माननीय सदस्य: बैलों से।

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): कुवे पर कोई पम्पिंग सेट लगा हुआ नहीं है?

श्री लाभचन्द वैद: १२ साल हो गये हैं। १ लाख ४३६ रु० का तो खर्चा हुआ और ५२ हजार ३०० रु० घाटा लग रहा है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा हुआ।

श्री लाभचन्द वैद: अब आगे इसकी क्या योजना है?

श्री अध्यक्ष: आगे क्या योजना है?

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, योजना से माननीय सदस्य का मतलब क्या है?

श्री लाभचन्द वैद: अब क्या ठेके पर देना चाहते हैं या घाटे में चलता रहेगा?

श्री परसराम मदेरणा: राजस्थान में घाटे में फार्म चल रहे हैं। उनकी उपयोगिता क्या है। उनके पास ट्रैक्टर भी हैं। इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है। वह रिपोर्ट पहले आ जानी चाहिए थी। अब राज्य सरकार ने १४ दिन की अवधि में कमेटी को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। जिस समय राज्य सरकार की रिपोर्ट आएगी तो जो फार्म घाटे में चल रहे हैं। जो पंचायत समिति के पास हैं, उन

(श्री परसराम मदेरणा)

फार्मों को नीलाम कर दिया जाये, इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह : इस प्रकार से बहुत से फार्म घाटे में चल रहे हैं और आप फर्मा रहे हैं कि जिला स्तर पर कमेटियां हों, उनसे मतलब हल नहीं होने वाला है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो फार्म घाटे में हैं, वह छोड़ दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मुआवजे का भुगतान

११७. **श्री गंगासहाय (कठूमर) :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिमको फैक्ट्री के क्रेन ड्राईवर श्री सुजानसिंह की मृत्यु फैक्ट्री में कार्य करते हुए सितम्बर, १६६६ में हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इस कर्मचारी का मुआवजा श्रम विभाग ने अपने पास जमा कराया था ?

(३) क्या मुआवजा की रकम कर्मचारी के परिवार वालों को दे दी गई है ? यदि हां तो कब व कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, मृत्यु १२ जुलाई, १६६६ को हुई।

(२) जी नहीं, क्योंकि यह मामला ई० एस० आई० से सम्बन्ध रखता है।

(३) (अ) रु० ११५१.५० पैसे प्रोवीडेन्ट फण्ड रकम मालिक देनदारी सहित दुबारी रकम के रूप में दी जा चुकी हैं।

(ब) रु० १.८६ पैसे प्रति दिन के हिसाब से, दि० १३-७-६६ से उसकी पत्नी श्रीमती वीरमति को जिन्दगी भर तक पेंशन के रूप में ई० एस० आई० कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(स) दाहसंस्कार क्रिया पर फैक्ट्री की तरफ से ४००/- रुपये खर्च किये गये व अन्य सहायता भी दी गई ऐसा फैक्ट्री मैनेजर ने बतलाया है।

भाखरा क्षेत्र के गावों में सिंचाई के लिये पानी

११८. **श्री हंसराज आर्य (भादरा) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नोहर भादरा तहसीलों में ऐसे कितने गांव हैं जो कि भाखरा जोन में तो ले लिये गये थे लेकिन उनमें पानी आज तक नहीं लगा हैं ?

(२) क्या ऐसे गावों को भाखरा जोन से निकाल दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो तहसीलवार गावों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) यदि नहीं निकाला गया है तो क्यों ?

(श्री हंसराज आर्य)

(५) जो गांव भाखरा जोन से निकाल दिये गये हैं क्या उन गांवों के पुराने आरजो काश्तकारों को उनकी कब्जा काश्त भूमियों पर खातेदारी अधिकार दे दिये गये हैं ?

(६) ऐसे गांवों की आरजी काश्त पर जो तावान लगाया जा रहा था जोकि वसूली से बाकी है, माफ कर दिया गया है ?

उत्तर

(१) ऐसा कोई गांव नहीं है जो भाखरा जोन में आता है तथा जहां आज तक पानी नहीं पहुँचा।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) इस प्रश्न का सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

नये स्कूल

१२०. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार सन् ७१-७२ के वित्तीय वर्ष में नए हायर सैकेण्डरी स्कूल, हाई स्कूल व मिडिल स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कुल कितने कितने ?

(२) क्या उन तहसील मुख्यालयों पर जहां अब तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं वहां खोले जायेंगे जैसे कोटा जिला में पीपलदा ?

(३) क्या सरकार की ऐसी योजना भी कि तहसील मुख्यालय पर एक हायर सैकेण्डरी स्कूल या हाई स्कूल खोला जाय ? यदि हां, तो फिर किन कारणों से अब तक नहीं खोले गये हैं ? क्या अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर विचार किया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। अन्य ऐसे तहसील मुख्यालयों के प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार कर लिया जायगा।

(३) आजकल विकास की इकाई पंचायत समिति है न कि तहसील। इसलिये सरकार का निर्णय यह था कि प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक हाई स्कूल या हायर सैकेण्डरी स्कूल होना चाहिये। राज्य सरकार ने इस निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है और अब प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक हाई स्कूल या हायर सैकेण्डरी स्कूल आता है।

दवाई की दुकानों पर छापे

१२२. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि फरवरी, १९७१ में डी. एच. ओ. कोटा ने छीपा बड़ोदा का दौरा किया था ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) क्या यह सही है कि डी. एच. ओ. कोटा ने छीपा बड़ोद के दवा विक्रेताओं की दुकानों पर छापे मारकर पुरानी मियाद बाहर दवाएं पकड़ी थी ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(३) क्या यह सही है कि डी. एच. ओ. ने ऐसे बिल भी पकड़े थे जो दवा के निश्चित भाव से ज्यादा दर पर दवा बेचने के प्रमाण थे ?

(४) क्या यह सही है कि दवाएं जिनको फ्रीज में रखना अनिवार्य होता है छीपा बड़ोद की किसी दुकान पर बिना फ्रीज के रखे हुए पकड़ी गई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी दवाएे कितनी मात्रा में पकड़ी गई हैं ? छीपा बड़ोद के कौनसे अधिकृत दवा विक्रेता के पास रेफ्रीजेटर हैं ?

उत्तर

(१) डी. एच. ओ. कोटा ने छीपा बड़ोद का दौरा १४ जनवरी, ७१ व दिनांक ६-२-७१ को किया था।

(२) जी हां।

(३) जी हां। अशोक मेडिकल स्टोर छीपा बड़ोद के पास बिना फ्रिज रखे हुए

(1) Cold Anticatrrhal Vaccine 5
B. No. M B 96/1

(2) Tatvac /
B. No 115/14

(४) पकड़ी गई थी। अब छीपा बड़ोद में केवल अशोक मेडीकल स्टोर के अलावा किसी के पास भी रेफ्रीजेटर नहीं है।

छीपा बड़ोद तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

१२९. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छीपा-बड़ोद तहसील के कई गांवों में इस वर्ष नया विद्युतिकरण हुआ है ? यदि हां तो कौन कौन से गांवों का ?

(२) क्या यह सही है कि कई गांवों में बिना मंजूर शुदा या नोटीफाइड एरिये में भी विद्युतिकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां व कौन कौन से गांवों में ?

(३) क्या यह सही है इस प्रकार अनियमितता बरती गई है ?

उत्तर

(१) छीपाबड़ोद तहसील में इस वर्ष दो गांव भाकाखेड़ी व ऊदपुरिया का विद्युतिकरण हुआ हैं।

(२) छीपा बड़ौद तहसील में कहीं भी बिना मन्जूर शुदा एरिया में विद्युतिकरण नहीं हुआ है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मांडलगढ़ क्षेत्र के महताजी का खेड़ा तथा रानी खेड़ा तालाब से सिंचाई

१०३. श्री मनोहरसिंह महता (मांडलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मांडलगढ (भीलवाड़ा) क्षेत्र में महताजी का खेड़ा तथा रानी खेड़ा तालाब फैमिन रिलीफ में तैयार हुए थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों तालाबों में काफी भूमि सिंचित करने की क्षमता है ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(३) यदि हैं, तो थोड़ी-थोड़ी सी रकम खर्च करके इन दोनों तालाबों को इस योग्य क्यों नहीं बनाया जाता कि इनसे सिचाई हो सके ?

(४) क्या इसी वर्ष ये तालाब पूरे कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां, इन तालाबों पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुछ कार्य किया गया था।

(२) पूरा होने पर मेहताजी का खेड़ा से लगभग ५० एकड़ तथा रानी खेड़ा तालाब से लगभग २० एकड़ भूमि में सिंचाई सम्भव हो सकेगी।

(३) धनराशि के अभाव के कारण कार्य अभी पूरे नहीं करवाये जा सकते।

(४) जी नहीं।

ओराई डेम का जल

१०४. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ओराई डेम का जल बेड़च नदी को पार करके बड़ला, आम्बा, सूठेका, जीत्या तथा बड़ल्यास की तरफ भी पहुँचाया जा सकता है ?

(२) यदि पहुँचाया जा सकता है, तो इस संबंध में क्या हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोटड़ी तहसील के ककरोल्या गांव में तालाब बनाने का काम

१०५. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटड़ी तहसील के ककरोल्या गांव में, अकाल के समय तालाब का काम प्रारंभ हुआ था ?

(२) यदि यह सही है तो उस तालाब को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

(३) यदि नहीं उठाये जा रहे हैं, तो क्या इस वर्ष कदम उठाए जाकर इस तालाब को पूरा किया जाएगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अभी कोई कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।

(३) जी नहीं।

नोहर नामक नहर का निर्माण कार्य

१०६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नोहर नामक नहर जो कि हरियाणा के ओट्टू नामक स्थान से निकलने वाली है के निर्माण कार्य को दो माह में शुरू कराने का ऐलान सन् ’६९ में नोहर की आम सभा में मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी ने किया था ?

(श्री हंसराज आर्य)

(२) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य आज तक इन दो साल के अर्से में क्यों नहीं कराया गया ?

(३) अब इस नहर के संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है और निर्माण कार्य चालू कराने में कितनी देर है ?

(४) इस नहर में कुल कितने क्यूसेक्स पानी होगा और कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

(५) क्या चौथी योजना में इसके निर्माण के लिये धन-राशि रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(१) इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(२) स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य चालू नहीं किया जा सका।

(३) निर्माण कार्य स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ कराया जा सकेगा। हरियाणा राज्य से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है।

(४) इस नहर का कुल डिस्चार्ज १५०० क्यूसेक्स तथा सिंचित क्षेत्र १,६७,३०० एकड़ है।

(५) जी नहीं।

रावतसर के आस-पास वाले गांवों की भूमि को राजस्थान नहर से पानी

१०७. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान कैनाल से रावतसर के दक्षिण में कई गांव ऐसे हैं जिनकी भूमि उपरोक्त नहर से कमाण्ड हो सकती है उनका सर्वे करके कमाण्ड एरिया में शामिल कर लिया गया है ?

(२) यदि हां तो कितने और कौन-कौन से गांवों को तथा उन गांवों की कुल कितनी भूमि कमाण्ड होगी ?

(३) उन गांवों को कब तक पानी दे दिया जावेगा ?

(४) क्या राजस्थान कैनाल के पानी को लिफ्ट करके पल्लू के आस-पास के खारे पानी वाले गांवों को पीने का पानी देने का सरकार का इरादा है ?

(५) यदि हां तो कब तक और कितने गांवों को ?

(६) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या पीने का पानी देना सरकार उचित नहीं मानती है ?

उत्तर

(१) अब तक किये गये सर्वेक्षण कार्य के अनुसार किकरालिया, नौलियो, रामपुरा गांवों के क्षेत्र को राजस्थान नहर के कमाण्ड में लिया जा सकता है। इन गांवों के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये योजनायें विचाराधीन हैं।

(२) योजना के अनुसार किकरालिया, नौलियो और रामपुरा गांवों को कुल ७.७६५ एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

(३) योजना अभी विचाराधीन है।

(४) जी नहीं।

(सिंचाई मंत्री)

(१) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) राजस्थान नहर से मुख्यतः सिंचाई के लिये ही पानी दिया जाता है लेकिन जिस क्षेत्र में सिंचाई के लिये पानी दिया जाता है वहां पीने के लिये पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है।

राजस्थान पथ-परिवहन निगम के कर्मचारी

१०८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) स्टेट रोडवेज में किस-किस श्रेणी के कर्मचारी कितने-कितने राजस्थान के बाहर के हैं? हर श्रेणी के कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या राज्य में इस योग्यता के कर्मचारी नहीं मिलते हैं? यदि मिलते हैं, तो राजस्थान की बेकारी को देख कर यहीं के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जाता?

उत्तर

(१) निगम के सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों की सेवाओं का निम्न वर्गीकरण किया गया है:—

(i) वरिष्ठ सेवा (ए अधिकारी वर्ग)।

(ii) अधीनस्थ, मन्त्रालयिक एवं यान्त्रिक सेवा।

(iii) कनिष्ठ सेवा।

सूचना निम्न तालिका में प्रस्तुत है:—

श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	कर्मचारी जो राजस्थान से बाहर (के) मूल निवासी हैं
(i) वरिष्ठ सेवा	५४	६८
(ii) १. अधीनस्थ कर्मचारी	८०७	१०५
२. मंत्रालयिक कर्मचारी	६९६	६६
३. यान्त्रिक सेवा	२७७	७३
(iii) कनिष्ठ सेवा	६०४	४३
कुल योग	२४३८	२९५

(२) निगम की जिस समय स्थापना हुई थी, राजस्थान में तब प्राविधिक योग्यता एवं अनुभव के कर्मचारियों की कमी थी। अतः भारतीय स्तर पर विज्ञापन जारी किये जाकर इनका चयन किया गया था एवं नियुक्त किये गये थे। वैसे भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने में बसने, रहने तथा व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार है—प्रान्तीयता के आधार पर प्राथमिकता देना सम्भव नहीं हो पाता है। वस्तुतः प्रयास यही रहता है कि स्थानीय निवासियों को ही निगम सेवा में प्राथमिकता दी जावे।

जालौर जिले में अकाल राहत हेतु खोले गये कार्य

१०९. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालौर जिले में अकाल सहायता के कौन-कौन से कार्य इस वर्ष चालू किये गये

(श्री गंगासहाय)

हैं ? उन पर कितने-कितने मजदूर कार्य करते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या जालौर जिले में साल भर मजदूरी लोगों को मिले ऐसे भी कार्य खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जालौर जिला इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है।

(२) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास अधिकारी को शिकायत

११०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति सिकराय, जिला जयपुर दिनांक ३,४,५,२४ एवं २५ सितम्बर ६८ और ७-६-६८ को गैर हाजिर रहे और उन दिनों का वेतन लिया ?

(२) क्या यह भी सच है कि बी. डी.ओ. की लापरवाही से ६० क्विन्टल सोनारा ६४ बीज का गेहूं खराब हो गया जिससे पंचायत समिति को १५,००० रु० का नुकसान हो गया ?

(३) क्या यह भी सच है कि बी.डी.ओ. द्वारा उनके खिलाफ गलत यात्रा का जो नोट था उसको मिटा कर उस पर कागज चिपका दिया जो रिकार्ड में मौजूद है ?

(४) क्या यह भी सच है कि बी.डी.ओ. ने पंचायत समिति के नियमों, उपनियमों का उल्लंघन करके पंचायत समिति एक्ट की धारा ८१ का अपराध किया है ?

(५) क्या यह भी सच है कि बी. डी.ओ. ने पंचायत समिति व स्थायी कमेटियों के पारित प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत नहीं कर पंचायत समिति की मान-हानि की है ?

(६) क्या यह भी सच है कि बी.डी.ओ. खुले पार्टी-बाजो में भाग लेते हैं और सहकारी समितियों के चुनावों में जातिवाद फैलाया है ?

(७) क्या यह भी सच है कि बी.डी.ओ. ने सब-कमेटी के निर्णय के खिलाफ बीज का गेहूं बाजार भाव से बेच कर समिति का २००० रु० का नुकसान किया ?

(८) क्या यह भी सच है कि बी.डी.ओ. ने लघु सिंचित कृषि व पाइलेट स्कीम का करीब १०,०००) रु० जो पंचायत समिति को मिला था, बिना पंचायत समिति की स्वीकृति के वेतन आदि में खर्च कर दिया जिससे समिति को १५०००) रु० ब्याज का नुकसान हुआ ?

(९) क्या यह भी सच है कि सरकारी आदेशों के विपरीत २ साल पूर्व अध्यापकों के स्थानान्तरण करके समिति का आर्थिक नुकसान किया ?

(१०) क्या यह भी सच है कि बी.डी.ओ. ने सरकारी आज्ञा के विरुद्ध जीप को बिना काम जयपुर में अपने सैर-सपाटे के काम लिया ?

(११) क्या यह भी सच है कि बी.डी. ओ., सिकराय की इन सारी गलत

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कार्यवाहियों की शिकायत कलेक्टर व विभाग को दिनांक १४-१०-६८ को की थी तथा इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(१२) क्या यह भी सच है कि दिनांक २८-१२-६८ को पंचायत समिति की बैठक में भी प्रस्ताव बहुमत से पास कर इन विकास अधिकारी का फौरन ट्रान्सफर करने को सरकार से कहा गया था पर आज तक पंचायत समिति के प्रस्ताव पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं। दिनांक ३,४,५, २४ एवं २५-९-६८ को विकास अधिकारी अवकाश पर रहे। दिनांक ७-९-६८ को वे जयपुर में ड्यूटी पर थे।

(२) ७९ क्विन्टल ३० किलो गेहूं वितरित न हो पाने व अधिक समय हो जाने से खराब हो गया। इसकी कीमत ६,६१२-५० पैसे होती है। इस बारे में जांच करवाई जा रही है।

(३) लाग बुक में यात्रा के संबंध में की गई प्रविष्टियों पर कागज चिपकाये जाने के बारे में जांच चल रही है।

(४) इस संबंध में जांच की जा रही है कि विकास अधिकारी द्वारा किन नियमों व उप-नियमों की अवहेलना की गई।

(५) कुछ प्रस्तावों की क्रियान्विति नहीं हुई। इनके बारे में जांच कराई जा रही है।

(६) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिससे यह पता चलता हो कि विकास अधिकारी पार्टी बाजी में भाग लेते हैं अथवा जातिवाद फैलाते हैं।

(७) नीलामी की कार्यवाही कृषि उत्पादन स्थाई समिति के निर्णयानुसार की गई। भाव में कमी का कारण गेहूं का पुराना होना बताया गया है।

(८) जी नहीं।

(९) प्रधान एवं शिक्षा प्रसार अधिकारी की राय से दो वर्ष से पूर्व अध्यापकों के जो स्थानान्तरण किये गये, उनमें अधिकांश अध्यापकों के स्वयं की इच्छा पर किये गये थे।

(१०) इस संबंध में जांच कराई जा रही है।

(११) जांच की जा रही है।

(१२) जी हां। विकास अधिकारी राज्य सेवा से त्याग पत्र देकर मुक्त हो चुके हैं।

पंचायत समिति लाडनूं के अध्यापकों के स्थानान्तरण

१११. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के विकास अधिकारी द्वारा अध्यापकों के गलत रूप से स्थानान्तरण करने के मामले सरकार के ध्यान में आये थे ? यदि हां, तो कब, किन किन अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(श्री हरजीराम बुरड़क) :

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्थानान्तरणों को रोकने के लिये सरकार ने कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उसको कार्यरूप में लेने के लिये क्या किया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त आदेश की तामील विकास अधिकारी ने नहीं की ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने क्या कदम उठाये ?

उत्तर

(१) विकास अधिकारी द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं किये गये। पंचायत समिति लाडनूं की प्रशासनिक स्थाई समिति द्वारा दिनांक १८-८-७० की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया कि १४ अध्यापकों के स्थानान्तरण किये जावें, जिनमें से नौ अध्यापकों जिनकी सूची संलग्न है, के स्थानान्तरण दो वर्ष से पूर्व किये गये थे। इस पर राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, १९५९ की धारा ६६ (२) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया कि प्रस्ताव क्यों न निरस्त कर दिया जावे।

(२) संबंधित प्रस्ताव के निरस्तीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस, जैसा ऊपर वर्णित है, दिया गया था व प्रस्ताव को क्रियान्विति से भी रोका गया था।

(३) प्रशासन स्थाई समिति ने बैठक दिनांक १५-१२-७० में कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण दिया जिसमें दो साल पहले ९ अध्यापकों के स्थानान्तरण के वजूहात बताये। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जिलाधीश, नागौर से जिन्होंने निरस्तीकरण हेतु सुझाव भेजा था सम्मति मांगी गई है कि क्या स्पष्टीकरण को देखते हुए स्थानान्तरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जावें।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

पंच द्वारा रक्षा कोष की राशि का गबन

११२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम इन्द्रपुरा, पंचायत ध्यावा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, के पंच श्री चन्द्राराम के द्वारा रक्षा कोष की राशि के गबन का मामला विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस मामले में रक्षा कोष में गबन का मामला सावित हो चुका है ? यदि हां, तो यह केस पुलिस को क्यों नही सोंपा गया ?

(३) इस मामले में अब आगे क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। श्री चन्द्राराम के विरुद्ध मामला विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। जिलाधीश नागौर के यहां सन् १९६७ से कार्यवाही चल रही है। श्री चन्द्राराम जिलाधीश द्वारा निलम्बित किये जा चुके हैं। विस्तृत जांच के लिये उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे विस्तृत जांच कर रहे हैं।

(२) प्रारम्भिक जांच में श्री चन्द्राराम द्वारा गबन किया जाना बताया गया है।

(पंचायत मंत्री)

मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सुपुर्द किया परन्तु उन्होंने प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन देख कर इस मामले को न्यायिक कार्यवाही के योग्य नहीं माना।

(३) उप खण्ड अधिकारी विस्तृत जांच कर रहे हैं।

राजकीय उच्च माध्यमिक कन्याशाला, केकड़ी

११३. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक कन्याशाला, केकड़ी की प्रधानाध्यापिका ने एक सूचना जारी करके सर्दी के मौसम में लड़कियों के लिये लाल गर्म जर्सी बनवाने के लिये जोर दिया था जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों के अभिभावकों ने लाल गर्म जर्सियां बनवाकर दी व कुछ अभिभावकों ने उक्त प्रधानाध्यापिका के आग्रह पर १६) रुपये प्रति जर्सी देकर जर्सियां प्राप्त की ?

(२) क्या २६ जनवरी, १९७० को उक्त प्रधानाध्यापिका ने यह आदेश जारी किया कि प्रत्येक लड़की काली जर्सी पहन कर स्कूल आवे और दूसरे दिन कई लड़कियों के काली जर्सी पहनकर नहीं आने से उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जिनकी संख्या लगभग १०० थी ?

(३) क्या इन लड़कियों के निकालने पर आपत्ति करने पर उक्त प्रधानाध्यापिका से लड़कियों के कुछ अभिभावक मिलने गये उनसे भी उक्त अध्यापिका ने ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं किया एवं स्पष्ट जवाब दे दिया कि अगर स्कूल में लड़कियां पढ़ानी हैं तो काली जरसी बनाकर देवें और यदि नहीं बना सकें तो १६, १६) रुपये प्रति जर्सी मुझे (प्रधानाध्यापिका को) देवें ताकि मैं स्वयं जरसियों का इन्तजाम करदूं, अन्यथा लड़कियों को स्कूल नहीं भेजें ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस वर्ष उक्त प्रधानाध्यापिका ने सभी लड़कियों को ड्रेस में आने के लिये स्वयं द्वारा कपड़ा खरीदने पर जोर दिया एवं कई अभिभावकों से लड़कियों द्वारा स्कूल खुलने के बाद ही रकम मंगवाली और आज तक भी लड़कियों को कपड़ा नहीं दिया गया और जो रकम ली गई वह भी नहीं लौटाई गई जिसके परिणाम स्वरूप अभिभावकों ने दूसरा कपड़ा खरीद कर ड्रेस तैयार करवाई ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापिका सभी लड़कियों को विवश करती है कि हर ईतवार को प्रत्येक लड़की सिनेमा देखने के लिये जावे अन्यथा चार-चार आना जुर्माना किया जावेगा ?

(६) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापिका ने छात्राओं को बाटा कम्पनी के पतले बूट (जूते) जो करीब १८) रुपये के आते हैं खरीदने के लिये दबाव डाला जिसके कारण गरीब अभिभावकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी ?

(७) क्या यह भी सही है कि छोटी-छोटी बच्चियों को दो-दो बाल्टियां एक साथ पानी भर कर लाने के लिये दबाव डालती हैं और काफी दूर से पानी मंगवाती हैं जिससे छोटी-छोटी बच्चियों को काफी परेशानी होती है ? क्या ऐसा करना उचित है ?

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(१) गत वर्ष लाल गर्म जर्सी बनवाने के लिये किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। किसी भी अभिभावक से १६ रु० प्रति जर्सी के लेकर कोई जर्सी नहीं दी गई।

(२) २६ जनवरी, '७० को कोई आदेश काली जर्सी पहन कर आने का जारी नहीं किया गया था, काली जर्सी न पहनकर आने के कारण सो तो क्या, किसी भी लड़की को स्कूल से बाहर नहीं निकाला गया।

(३) काली जर्सी के विषय में कोई अभिभावक मिलने नहीं आये और नहीं किसी से १६ रु० मांगे गये यदा कदा जबकि अध्ययन के मामले में अभिभावक को बुलाया जाता है या कोई स्वयं आता है तो उसके साथ केवल प्र० अ० ही नहीं शाला का प्रत्येक सदस्य भी शिष्टता शालीनता का व्यवहार करता है।

(४) प्र० अ० ने कभी भी शाला की ओर से कपड़ा खरीदकर देने का प्रयास नहीं किया। यूनीफार्म का कपड़ा और रंग केकड़ी नगर में कोई भी दुकानदार लाकर देने में तैयार नहीं हुआ तो छात्राओं ने ही कक्षा अध्यापिका के द्वारा यह आग्रह किया कि हम पैसे इकट्ठा करा लेगी और कपड़ा अजमेर से किसी के हाथ मंगवा कर दे दिया जाय। इस प्रकार कपड़ा मंगवाया गया व कक्षा अध्यापिकाओं द्वारा बांट दिया गया इस सम्बन्ध के किसी भी प्रकार की कोई भी रकम किसी भी छात्रा के नाम को शेष नहीं है।

(५) कभी भी किसी भी छात्रा को विवश नहीं किया गया कि वह ईतवार को सिनेमा देखने जावे अन्यथा चार आने जुर्माना देवे। केवल शिक्षा विभाग द्वारा आये हुए छात्राओं को ही शाला प्रांगण में साल में एक या दो बार दिखाए गये हैं।

(६) किसी भी छात्रा पर बाटा शू. कम्पनी के जूते खरीदने के लिये कभी भी दबाव नहीं डाला गया इस प्रकार किसी भी अभिभावक के आर्थिक हानि उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) संस्था में पानी भरने के लिये नगरपालिका का ट्रैक्टर सदैव जाता रहा है और इस सत्य में माह फरवरी, ७० से नल लगा लिया गया है। अतः कभी भी छोटी २ बच्चियों को दो बाल्टियां तो क्या एक भी बाल्टी पानी लाने के लिये नहीं कहा गया।

छीपाबड़ौद में कन्या स्कूल भवन का निर्माण का कार्य

११४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(१) क्या यह सही है कि कस्बा छीपाबड़ौद की जनता ने ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद की मारफत १३०००) रुपये कलेक्टर, कोटा के पास कन्या स्कूल भवन के निर्माण हेतु जमा करवाये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कलेक्टर, कोटा ने शुगर चैरिटी फण्ड से १५०००) रु. कन्या स्कूल भवन निर्माण के लिये देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो आज तक यह रकम स्कूल भवन बनाने हेतु ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद को क्यों नहीं दी गई जबकि पंचायत छीपाबड़ौद ने इतनी ही रकम सरकारी शर्त के मुताबिक राज्य सरकार के पास जमा करवा दी है ?

Page No. 35

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(२) अब कब तक यह रकम दे दी जावेगी ताकि भवन निर्माण का कार्य शीघ्र चालू हो सके ?

उत्तर

(१) यह सही है कि ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद ने दी कोटा सेन्ट्रल कोआॅपरेटिव बैंक लि० छीपाबड़ौद का १३०००) रु. का ड्राफ्ट जिलाधीश कोटा, के नाम भिजवाया है।

(२) माध्यमिक शाला छीपाबड़ौद की स्कूल भवन निर्माण हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, छीपाबड़ौद ने चैरेटी फण्ड से १५०००) रु. की मांग की थी। प्रार्थना-पत्र परामर्शदात्री समिति के समक्ष १-८-६८ को प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति ने १५०००) रु. का अनुदान स्वीकार किये जाने की सिफारिश इस शर्त के साथ की कि संस्था स्वीकृत हुआ तखमीना एवं नक्शा जो भवन एवं पथ निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हो प्रस्तुत करेगी, तथा १५०००) रु. की राशि एकत्रित कर खर्च करेगी। सूचना प्रस्तुत करने के लिये परगना अधिकारी छबड़ा, विकास अधिकारी छीपाबड़ौद एवं सरपंच छीपाबड़ौद को लिखा गया। दिनांक १७-१-७१ को सरपंच ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद ने निर्धारित फार्म पर प्रार्थना-पत्र नक्शा एवं तखमीना जिलाधीश कार्यालय, कोटा को प्रेषित किया लेकिन नक्शा व तखमीना दो-दो प्रति में प्रस्तुत नहीं किया। सम्पूर्ण कागजात नियमानुसार प्रस्तुत न करने के अभाव में चैरेटी फण्ड से रकम अब तक नहीं दी जा सकी।

(३) सरपंच ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद को जिलाधीश कार्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक ३६०१, दिनांक ११-१२-७०/६१, दिनांक ७-१-७१ एवं ४६२ दिनांक ६-२-७१ से एक-एक प्रति नक्शा तखमीना भेजने हेतु लिखा गया है। उक्त कागजात प्राप्त होने पर जांच आयुक्त को अनुदान स्वीकृत करने हेतु लिखा जावेगा तथा अनुदान स्वीकृत होने पर ही रकम का भुगतान किया जा सकेगा।

प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध शिकायतें

११५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि नेहरू हाई-स्कूल सरदारपुरा, जोधपुर की प्रधानाध्यापिका स्कूल के चपरासियों को हर माह ६०) व ८०) रुपये देकर खाली बिल फार्मों पर टिकट पर हस्ताक्षर करवा लेती है व बाद में वाजिब रुपये भर कर बाकी रुपये रख लेती है जिसकी शिकायत चपरासियों द्वारा जिला निरीक्षक शिक्षा, जोधपुर को भी की है ? यदि हां, तो निरीक्षक ने क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि जो चपरासी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है या निकालने की धमकी दी जाती है और उनके साथ गाली-गलौच भी किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अध्यापिकाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(१) स्कूल के हिसाब की जांच करने पर यह पाया गया कि कर्मचारियों के रजीदें

(शिक्षा मंत्री)
पर हस्ताक्षर के अनुसार केस बुक में इन्द्राज किया हुआ है। नवम्बर, ६६ में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी, तब श्री देवकी-नन्दन कुलश्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर ने विद्यालय का निरीक्षण किया और विशेष तौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बताया गया कि उनको कम से कम १३१) रुपये मिले तब ही वे रसीद पर हस्ताक्षर करें अन्यथा नहीं। इसके पश्चात् किसी भी कर्मचारी ने कार्यालय में आ कर यह नहीं कहा कि बिना रुपये दिये हम से हस्ताक्षर ले रहे हैं या कम रुपये देकर, पूरी रकम पर हस्ताक्षर ले रहे हैं।

(२) इस निरीक्षणालय में श्रीमती ईश्वरी धर्मपत्नी श्री किशनाराम मोची ने ही शिकायत की थी कि उनको तंग किया गया और नियमों के विरुद्ध उसे सेवा से निकाल दिया गया है। इस मामले की जांच की गई और पाया कि श्रीमती ईश्वरी को नियमानुसार कार्यवाही न करके सेवा से निकाल दिया था, अतः इस निरीक्षणालय के आदेश संख्या/शिवि ओ./नि. शा./शिक्षा उमावि/७०-७१/६४४-४८, दिनांक २७-२-१६७१ से श्रीमती ईश्वरी को पुनः सेवा में लेने का आदेश दिया गया है। अगर उपरोक्त कर्मचारी को प्रधानाध्यापिका ने कार्य पर नहीं लिया तो निदेशालय से उपरोक्त कर्मचारी का वेतन अनुदान में से वसूल करने के अधिकार प्राप्त किए जावेंगे।

राजर्षि कॉलेज, अलवर की केन्टीन

११६. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजर्षि कॉलेज, अलवर में एक केन्टीन चलाई जा रही है? यदि हां, तो इस केन्टीन को कौन चलाता है? इस केन्टीन के गत २ वर्ष के आमद खर्च का विवरण देने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि केन्टीन का फर्नीचर, भवन, सरकारी है तथा नल, बिजली का खर्चा और कर्मचारी का वेतन भी सरकार वहन करती है?

उत्तर

(१) यह सही है कि राजर्षि कॉलेज, अलवर द्वारा कालेज के अहाते में विद्यार्थियों के लिये एक केन्टीन चलाई जा रही थी। इस केन्टीन का प्रबन्ध एक प्रवक्ता की देख रेख में वेतन पर नियुक्त एक व्यवस्थापक द्वारा चलाया जा रहा था। केन्टीन बिना किसी लाभ-हानि के चलाई जा रही थी। इस केन्टीन के गत तीन वर्षों का आमद-खर्च का विवरण निम्नांकित है।

वर्ष १६६७–६८

आमद	खर्च	लाभ	हानि
१६,३४,४४२ रु.	१६,३२,५६६ रु.	१८.४३ रु.	—

वर्ष १६६८–६६

आमद	खर्च	लाभ	हानि
२२,५३६.६५ रु.	२२,६६७.४८ रु.	—	४६०.५३ रु.

नोट—इस वर्ष केन्टीन में चोरी हो जाने के कारण हानि हुई है।

(शिक्षा मंत्री)

वर्ष १६६६-७०

आमद	खर्च	लाभ	हानि
२६,२५३.५१ रु.	२५,७०६.२८ रु.	५४४.२३ रु.	—

(२) जी हां, यह सही है कि केन्टीन का फर्नीचर भवन सरकारी है तथा नल बिजली का खर्च भी सरकारी बजट से होता रहा है। केन्टीन चलाने के लिये नियुक्त कर्मचारियों का वेतन केन्टीन की आमद से दिया जाता था। केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को केन्टीन के कार्य में मदद करने हेतु नियुक्त कर दिया जाता था। चूंकि केन्टीन किसी व्यक्ति के लाभ के लिये न होकर समस्त विद्यार्थी समुदाय के हित में चलाई जा रही थी। इस कारण नल बिजली, फर्नीचर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया हुआ था। किन्तु अब यह केन्टीन निदेशक, शिक्षा विभाग के आन्तरिक जांच दल की सलाह के अनुसार दिनांक ४-३-७१ से बन्द कर दी गई है और इसे ठेके पर दिये जाने की कार्यवाही की जानी है।

भूमि कटान रोकने की योजना

११७. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भूमि कटान की दृष्टि से सर्वे की गई चम्बल व दूसरी नदियों के बीहड़ों में कितनी-कितनी भूमि कटाव ग्रसित बताई गई है व इसमें से कितनी कृषकों के, कितनी पंचायतों के व कितनी राजस्व व वन विभाग के अधीन है?

(२) भूमि कटान रोकने के लिये क्या बीहड़ों में वन लगाने की योजना व्यावहारिक मानी गई है? यदि हां, तो कितने-कितने क्षेत्र में कब से वन लगाने का प्रोग्राम शुरू किये जाने का विचार है? कृपया यह भी बतावें कि प्राइवेट व पंचायत क्षेत्रों में वन लगाने की योजना को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं व भविष्य के लिये क्या निर्णय लिये हैं या लिये जाने वाले हैं?

(३) क्या यह सही है कि सांगोद तहसील, जिला कोटा के परवन व काली सिन्ध नदियों के संगम क्षेत्र में कटाव रोकने की दृष्टि से कोई योजना तैयार की गई है? यदि हां, तो इस योजना के तहत कितने क्षेत्र में कब तक वन लगाया जा सकेगा?

उत्तर

(१) कुल १५८६८४ हैक्टर बीहड़ों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें ४८०७७ हैक्टर बीहड़ भूमि निजी कृषकों की, १५६३३ हैक्टर पंचायतों की तथा ६५२७४ हैक्टर राजस्व की भूमि है।

(२) जी हां। बीहड़ों में प्लान्टेशन पहले से किया जा रहा है। आगामी वर्ष १६७१-७२ में ८७० हैक्टर बीहड़ क्षेत्र में वन लगाने तथा ४८० हैक्टर बीहड़ क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य तथा एडवान्स स्वाईल वर्क किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

चतुर्थ योजना के शेष वर्षों में कुल २००० हैक्टर बीहड़ क्षेत्रों में वन लगाना प्रस्तावित है। प्राइवेट तथा पंचायत क्षेत्रों में

(वन मंत्री)

वन लगाने की योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य वन विभाग की नरसरियों से पौधे एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है।

(३) इस विशेष स्थान पर कटाव रोकने की अलग से कोई योजना नहीं बनाई गई है किन्तु बीहड़ क्षेत्रों में वन लगाने की वन विभाग की योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान व भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर भू-संरक्षण वृक्षारोपण किया जाता है।

सांगोद तहसील में भी तदनुसार निम्न वर्षों में वन रोपण किया गया:—

१९६२-६३	१० एकड़
१९६३-६४	१०० एकड़
१९६४-६५	११० एकड़
१९६६-६७	२०० एकड़

काश्तकारों को लकड़ियों का अभाव

११८. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग के छबड़ा सब-डिविजन की तीनों रेन्जों में इस वर्ष करीब ४-५ महीने से चिट्ठियों की जिल्दें नहीं थीं?

(२) क्या यह सही है कि इन चिट्ठियों की कमी के कारण काश्तकारों को झाड़-बलीता व काश्तकारी के लिये लकड़ियों के लिये काफी परेशान होना पड़ा तथा भारी मात्रा में रिश्वत का सहारा लेकर अपना काम चलाना पड़ा?

(३) क्या सरकार इस अव्यवस्था को ठीक करने के लिये प्रयत्नशील है तथा पिछली अव्यवस्था की जांच कराने को तैयार है?

उत्तर

(१) जी नहीं। चिट्ठियों की जिल्दें तीनों रेन्जों में थीं।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

११९. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सांगोद क्षेत्र, जिला कोटा में ग्रामीण विद्युतीकरण की सघन योजना के तहत किन-किन गांवों का कब तक विद्युतीकरण किये जाने वाला है?

(२) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में "देही" से भी काफी रकबों में सिंचाई की जा सकने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा कोई योजना बना कर ऐसे स्थानों में बिजली दिये जाने का प्रायोजन किया गया है? कृपया यह भी बतावें की इस क्षेत्र की मौजूदा सरकारी लिफ्ट योजनाओं पर बिजली कब तक दिलवा दी जावेगी।

उत्तर

(१) व (२) जिला कोटा की पंचायत समिति, सांगोद की ११५ ग्रामों की परियोजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृति हो चुकी है। ग्रामों की सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है। इनके विद्युतीकरण का कार्य आगामी वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जावेगा। यह प्रश्न इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। जिन स्थानों की योजना बनाई है उनकी सूची उपरोक्त उत्तर में दी जा चुकी

(विद्युत् मंत्री)

है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से कोई प्रस्तावित योजना विद्युत् मंडल को प्राप्त नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

१२०. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में सन् ७०-७१ के वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली लगाई जाने की स्वीकृति प्रदान की गई? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि श्री बरकतुल्लाखां, विद्युत् मन्त्री ने ऐसा कोई पत्र स्थानीय एम. एल. ए. को लिखा है कि सन् १६६६-७० के वर्ष में चित्तौड़गढ़ जिले में १२ ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया जावेगा? यदि हां, तो उन ग्रामों में विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि हां, तो कौन कौन से गांवों का? यदि नहीं किया गया है तो कब तक विद्युतीकरण करा दिया जावेगा?

उत्तर

(१) ४४ ग्रामों की सूची ए सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, किन्तु केवल ११ ग्रामों के लिये दिनांक ३०-६-६६ को पत्र लिखा गया था। इनमें से ६ ग्राम चोकसी, ओडुन्द, गरदाना, बांसेन (बांसी), कश्मोर एवं अकोला का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष ५ ग्रामों की योजना प्रतिवेदन जो १६६६-७० में बनाई गई थी अलाभप्रद पाई गई।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

ग्राम फलासिया-झाड़ोल को विद्युत् देने सम्बन्धी योजना

१२१. श्री नाथुराम (फलासिया): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(१) क्या तहसील फलासिया, जिला उदयपुर, ग्राम फलासिया-झाड़ोल में बिजली देने की कोई योजना रखी गई है? यदि हां, तो कितने समय में बिजली दे दी जायगी?

(२) यदि कोई योजना नहीं है, तो क्यो?

उत्तर

(१) जी नहीं। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(२) मण्डल की विद्यमान प्रसारण लाइनों से फलासिया ग्राम बहुत दूर होने के कारण अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य में सेल्स टैक्स वसूल करने वाली चौकियां

१२२. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में किन-किन जगह पर सेल्स टैक्स वसूल करने हेतु चौकियां लगाई गई हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री गंगासहाय)

(२) क्या यह सत्य है कि इन चौकियों पर सामान खरीद कर लाने वाले व्यापारियों के पास पक्के बिल होते हैं और इस माल की सेल हुए बगैर चौकियों पर टैक्स वसूल कर लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उस पर टैक्स वसूल होने के कारण व्यापारी उस माल को एस. टी. पेड खाते में डाल देते हैं जिससे उस मुनाफे पर सरकार को टैक्स नहीं प्राप्त होता है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि माल बिके बगैर विभाग द्वारा सेल्स टैक्स वसूल करना नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो ऐसी अनियमिततायें राज्य की किन-किन चौकियों पर की जाती हैं ? क्या सरकार इसे बन्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) ऐसे व्यापारी जिनके द्वारा राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम, १९५४ की धारा २२-का के अन्तर्गत वान्छित पत्रादि पूर्ण ब्यौरे सहित चौकियों पर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, उनसे राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम, १९५४ की धारा २२-का की उप-धारा (४) के अन्तर्गत राशि वसूल की जाती है जो नियमानुसार है।

(३) यह सही नहीं है कि ऐसे माल के मुनाफे पर सरकार को बिक्री-कर नहीं मिलता है बल्कि कर निर्धारण के समय चौकियों पर जमा कराई गई राशि को अग्रिम भुगतान मान कर भराऊ दे दिया जाता है तथा उस माल की बिक्री को जिसमें मुनाफा भी सम्मिलित होता है कर योग्य बिक्री राशि में शामिल करके कर वसूल किया जाता है।

(४) जांच चौकियों पर राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम, १९५४ की धारा २२-का की उप-धारा (४) के अन्तर्गत जो राशि वसूल की जाती है, वह नियमानुकूल है। यह राशि अग्रिम कर के रूप में वसूल होती है जिसको उस व्यापारी के उस वर्ष के कर निर्धारण के समय उसके कर दायित्व में भराऊ (एडजस्ट) कर दिया जाता है। इस प्रकार धारा २२-का की उप-धारा (४) के अन्तर्गत राशि वसूल करना अनियमित नहीं है। तथा इसको समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

ग्राम जैपला की प्राईमरी हेल्थ सेन्टर के लिये भवन व्यवस्था

१२३. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छबड़ा तहसील में ग्राम जैपला में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खुला हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के लिये आज तक सरकार ने किसी भी बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, जैपला के लिये नया भवन बनवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक १-७-६५ से चालू है।

(२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी स्कूल के भवन में चल रहा है।

(३) जी हां। इस केन्द्र का नाम ४७ नये पी. एच. सी. के लिये बनने वाले भवनों के निर्माण की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

छीपाबड़ौद के जच्चे खाने का स्टाफ

१२४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि छीपाबड़ौद कस्बे की जनता द्वारा एक जच्चा खाने की इमारत बनवा कर राज्य सरकार को दी गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि आज तक यहां जच्चाखाना के लिये कोई स्टाफ नहीं है जिसकी वजह से जच्चा खाने की इमारत मरीजों के ठहरने के काम में ली जाती है तथा प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रसूतियां कष्ट उठा रही हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस वर्ष सरकार ने मन्त्री महोदय के मारफत ऐसी घोषणा की है कि इस वर्ष जच्चा खाना चालू करवा दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक जच्चाखाना चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(१) छीपाबड़ौद अस्पताल के समीप १२,००० रु. की लागत का भवन विकास विभाग द्वारा एवं जन सहयोग द्वारा बिना मेडिकल विभाग की राय से बनवाया गया था जो मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के लिये उपयुक्त नहीं था एवं अब इस इमारत को मेटरनिटी वार्ड के रूप में काम में लिया जा रहा है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है जच्चाओं की देख-रेख के लिये एक मिडवाइफ कार्यरत है।

(३) आगामी वर्ष १० स्थानों पर एम.सी.डब्ल्यू. के वार्षिक योजना के अन्तर्गत खोले जाने हैं। औचित्यपूर्ण समझने पर यहां भी खोलने का विचार किया जा सकेगा।

रानी स्टेशन बस्ती में डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य

१२५. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) रानी स्टेशन (जिला पाली) बस्ती में क्या किसी दानदाता के साथ सरकार ने एक एग्रीमेन्ट किया है डिस्पेन्सरी भवन निर्माण सम्बन्धी ? यदि हां, तो उस एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या उपयुक्त एग्रीमेन्ट के पश्चात् दानदाता ने प्रथम किश्त के चालीस हजार रु. सरकार में जमा करवाये और सरकार ने डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण प्रारम्भ करवाया ?

Page No. 42

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(३) (i) क्या यह सही है कि दानदाता ने सरकार को बारबार लिखा है कि वे एग्रीमेंन्ट अनुसार शेष रकम जमा करवाने को तैयार हैं परन्तु सरकार ने भूल से जो बहुत बड़ा भवन का निर्माण प्रारम्भ करवा दिया उसे बहुत बड़े भवन की लागत के अनुसार रकम सरकार दानदाता से लेना चाहती है और इसी कारण बहुत लम्बे समय से अधुरा निर्मित भवन पड़ा है और वर्षा में भी भवन खुला रहता है ?

(ii) क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के अनुसार जितने बड़े भवन का निर्माण प्रारम्भ करवाना चाहिये था उससे बहुत अधिक बड़े भवन का निर्माण प्रारम्भ करवा दिया सरकार ने ?

(४) एग्रीमेन्ट से बड़ा भवन बनवाने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का है और उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाया है ? क्या यह सही है कि भूल से बड़ा नक्शा सरकार ने स्थानीय इंजीनियर (पाली के) को भेज दिया और बड़े नक्शे के अनुसार निर्माण प्रारम्भ हो गया और बाद में भूल पकड़ी जाने पर निर्माण कार्य बन्द कर दिया ?

(५) क्या एग्रीमेन्ट के अनुसार सरकार अब अपनी वचनबद्धता का पालन करने को तैयार है चाहे भूल से बनवाये जाने वाले बड़े भवन पर एग्रीमेन्ट से अधिक खर्च भी सरकार को भुगतना पड़े ? यदि नहीं, तो क्या दानदाता के साथ यह वचन भंग नहीं है ? यदि हां, तो भवन निर्माण कार्य अब कब तक सम्पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, जिन शर्तों पर दानदाता श्री पुखराजसिंह का दान स्वीकार किया गया है उसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।।

(२) जी नहीं प्रथम किश्त के रुपये दानदाता द्वारा दिनांक ३-९-६८ को सीधे ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा कराये गये और तब डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण माह नवम्बर ६९, में प्रारम्भ किया गया ?

(३) (i) जी नहीं। प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं दान की उपलब्ध धनराशि की सूचना मिलने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नक्शा तैयार करवा कर भेजा जिसे विभागाध्यक्ष एवं दानदाता द्वारा अनुमोदित होने पर ही काम सार्वजनिक विभाग द्वारा शुरू किया गया।

(ii) जी हां। दानदाता के पत्रों का समय २ पर उचित जवाब दिया गया। किन्तु दानदाता ने दूसरी किश्त जमा कराने में विलम्ब किया अतएव काम रोक दिया तथा सामग्री अधुरी ही पड़ी है ।

(४) उपरोक्त तथ्यों की भी जाँच की जारही है ।

(५) जी हां, दानदाता द्वारा दूसरी किश्त जमा हो चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ करने के आदेश जिलाधीश, पाली द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा चुके हैं अब भवन का निर्माण कार्य माह जून के अन्त तक सम्पूर्ण होने की आशा है ।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

Page No. 43

देवस्थान विभाग के अधीन मन्दिर

१२९. श्री जयनारायण सालोदिया (निर्वाई) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में देवस्थान विभाग के अधीन कितने मन्दिर हैं तथा उनमें पूजा आदि की क्या व्यवस्था है ?

(२) उक्त मन्दिर की अचल सम्पत्ति क्या क्या है और उनसे किराये में हर साल क्या आमदनी होती है ?

(३) देवस्थान विभाग की कितनी बकाया कब से किन लोगों से है ? और इसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) विभाग के द्वारा किन-किन लोगों व संस्थाओं को कितनी सहायता दी जाती है हर जिले की व्यक्तिवार व संस्थावार सूचियां सदन की मेज पर रखें।

(५) मन्दिरों की मरम्मत आदि पर हर साल क्या खर्चा होता है ?

(६) विभाग के कर्मचारियों पर कितने गबन के केस चल रहे हैं, कब से किस प्रकार के हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :—

(१) श्री समचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने श्रीगंगानगर जिले की गंगनहर व राजस्थान नहर में पानी की कमी के कारण गेहूं की फसल नष्ट हो जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री चुन्नीलाल इंदलिया, श्री राम-प्रसाद बोहरा व श्री मेघराज पंवार, सदस्य, विधान सभा ने बीकानेर शहर की कई बस्तियों में नगर विकास न्यास द्वारा हरिजनों के परिवारों को बगैर सूचना दिये उनके मकानों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(३) श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास, श्री केदार-नाथ, श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री बुद्धिचन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा ने हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा दिए गए त्याग-पत्र की स्वीकृति तथा राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त दलगत राजनीति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(४) जोधपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों की गत २३-३-७१ से चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त चारों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) श्री भागवानदास शास्त्री, श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री जुझारसिंह, सदस्य

(श्री अध्यक्ष)
विधान सभा ने अजमेर नगर में जिलाधीश द्वारा स्वर्णकारों को दिए गए ऋण की वसूली सख्ती से किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री मेघराज पंवार व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने नगरपालिका, चूरू द्वारा लगाए गए कर से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलंबनीय लोकमहत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जावे। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने पूर्वी पाकिस्तान को जनता द्वारा अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने तथा वहां पर फोजी शासन द्वारा मारकाट करने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। पूर्वी पाकिस्तान में किए जा रहे नर संहार जैसे अमानवीय कृत्य ने हमारे राष्ट्र के मानस को झकझोर दिया है। इस बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता होना स्वाभाविक है। स्थगन प्रस्ताव की सूचना लोक महत्व की होने पर भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है। अतः यह प्रश्न सदन के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत न होने से इसे सदन में उठाए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

चार पैंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(१) ग्राम मेंहरादास थाना मंडावा (झुन्झुनूं) के एक व्यक्ति को स्थानीय सरपंच द्वारा अपने भाई भतीजों की मदद से मार डालने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री किशनलाल शाह, श्री फतहसिंह, श्री विजयसिंह मकराना, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) नागौर में मोटर मजदूर यूनियन के जुलूस पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले से सम्बन्धित श्री रामानन्द अग्रवाल तथा श्री विजयसिंह मकराना, श्री गोरधन सोनी, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री किशनलाल शाह, श्री परसराम, श्री बालसिंह सोढा, व श्री पृथ्वीसिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(३) असनावर (झालावाड़) के थानेदार द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार के संबंध में श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा, श्री जुझारसिंह, श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(४) हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने से १९-३-७१ को ४ मुलिजम फरार हो जाने से सम्बन्धित श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त सभी मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है। अतः इन्हें मैं सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

पूर्वी बंगाल में हो रहे नर-संहार पर विवाद एवं अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों शनि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वार को, जिस दिन बजट प्रस्तुत होने वाला था, उस दिन पूर्वी बंगाल में जो घटनायें घट रही हैं उनके सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। अध्यक्ष महोदय, घटनाओं का जो क्रम चल रहा था, उसके सन्दर्भ में इस प्रश्न को परसों ही इस सदन में उठाने को मैं बड़ा व्याकुल था, लेकिन आपके विशेष अनुरोध अथवा निर्देश के आधार पर मैंने इस प्रश्न को इस सदन में परसों नहीं उठाया। अध्यक्ष महोदय, परसों और कल घटनाक्रम जिस प्रकार से घटा है, उसके आधार पर मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान, बंगला स्वतन्त्र देश में जिस प्रकार की घटनायें घट रही हैं, वह अद्वितीय हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार का नो मास मेसाकर इन दी हिस्ट्री ऑफ दी वर्ल्ड एण्ड ह्यूमिनिटी सुनने में आया है। पूर्वी पाकिस्तान में......

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस प्रकार फौजी तानाशाही के बल पर लोकतन्त्र का गला घोट देना देना चाह रहा है, किस प्रकार तोपों और बन्दूकों के बल पर निहत्थी जनता के साथ में भीषण अत्याचार कर रहा है....

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस प्रकार से नृशंस हत्याकाण्ड से बंगला स्वतंत्र देश की जनता का जीवन नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : यह कार्यक्षेत्र के अन्दर...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह प्रश्न भारतीय जन-जीवन से सम्बन्धित है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजस्थान की विधान सभा में हम इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें। अध्यक्ष महोदय, बांगला स्वतन्त्र देश के लाखों लोगों को पूर्वी पाकिस्तान में फौजी ताकत से दबाया जाय, उनको मारा जाय...

श्री अध्यक्ष : हम किस प्रकार विचार करने के अधिकार क्षेत्र में ले सकते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फौजी तानाशाह पूर्वी पाकिस्तान को निहत्थी जनता के जीवन के साथ टैंकों और बमों के आधार पर खिलवाड़ करे और राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के जन प्रतिनिधि उनके प्रति संवेदना के स्वरूप दो शब्द न कहे, क्या राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता का बांगला स्वतन्त्र देश की जनता के साथ कोई माननीय सम्बन्ध नहीं है, क्या पूर्वी पाकिस्तान को जनता के साथ हमारा कोई राष्ट्रीय सम्बन्ध नहीं है। क्या इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों के मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, पूर्वी पाकिस्तान में जो भी घटनाक्रम चल रहा है, उसके साथ सबकी सहानुभूति है इस सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों की सहानुभूति है। इसलिए हमें उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए और पूर्वी पाकिस्तान की जनता जो आजादी की लड़ाई लड़ रही है, उसके अन्दर हमें होसला बुलन्दी और हिम्मत दिलाने का काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ जो पूर्वी पाकिस्तान को जो आजाद बांगला देश घोषित

Page No. 46

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया है, उसे मान्यता देने के लिये राजस्थान की विधान सभा के द्वारा दबाव डाले और यह प्रयत्न करें कि भारत सरकार आजाद बांगला देश को मान्यता प्रदान करे, भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस सवाल को ले जाय और विश्व के अन्दर इस प्रकार का जनमत तैयार किया जाय कि पूर्वी पाकिस्तान में जो बांगला स्वतन्त्र देश कायम हुआ है, उसको मान्यता प्रदान की जाय। पूर्वी पाकिस्तान की जनता को फौजी तानाशाही नृशंस हत्याकाण्ड से दबा देना चाहती है, वहां पर लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहती है, मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान के अन्दर लोकतन्त्र है, संसार के अन्दर हिन्दुस्तान सबसे बड़ा लोकतन्त्री देश है, अगर हिन्दुस्तान को लोकतन्त्री देशों की अगुवाई करनी है तो हिन्दुस्तान की सारी शक्ति से लोकतन्त्र विरोधी शक्तियों का मुकाबला करना होगा। पूर्वी पाकिस्तान के अन्दर लोकतन्त्र पर जिस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार लोकतन्त्र को समाप्त किया जा रहा है, और इसके लिए नृशंस हत्याकांड करने पर उतारू हो गये हैं—अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों इस स्थगन प्रस्ताव में संकेत किया था कि इस नृशंस हत्याकाण्ड में लाखों लोगों के मारे जाने की सम्भावना है। उसके बाद परसों और कल यह बात सामने भी आई है, मैं समझता हूं, राजस्थान विधान सभा अपना कर्त्तव्य पालन परसों कर देती तो इससे उनको होसला बुलन्दगी होती। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। लेकिन राजस्थान कि सरकार यह सोचे कि हिन्दुस्तान की किसी विधान सभा में यह सवाल नहीं आया है, राजस्थान की विधान सभा यह सोचे कि दूसरी विधान सभाओं में यह प्रश्न नहीं आया है, इसलिए पहले दूसरी विधान सभाओं में यह प्रश्न आने दें, उसके बाद में हम राजस्थान की विधान सभा में विचार करेंगे, तो मैं समझता हूं, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। राजस्थान की विधान सभा को हिन्दुस्तान की अन्य विधान सभाओं का नेतृत्व करना है। एक उदाहरण हिन्दुस्तान की जनता के सामने रखना है कि राजस्थान आर्थिक क्षेत्र में भले ही पिछड़ा हुआ हो, लेकिन जहां तक स्वाभिमान का सवाल है, सम्मान का सवाल है, देश के नागरिकों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सजग है, हमारे पड़ोसी देश के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठराघात होने पर जो मुजीब ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया है, मैं समझता हूं, दुनिया के अन्दर पिछले सैंकड़ों सालों में इस प्रकार का नेता पैदा नहीं हुआ है, और मैं कहना चाहता हूं कि कि मुजीब गांधीजी से ऊंचा नहीं तो बराबर बैठने का अधिकारी अवश्य है। इस शताब्दी में मुजीब के समान लोकप्रिय नेता पैदा नहीं हुआ है। मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान में जो सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया है, जो वहां की साढ़े सात करोड़ जनता को आन्दोलन करने के लिये नेतृत्व दिया है, बच्चों २ के अन्दर यह भावना तैयार की है, देश की आजादी के लिए लड़ने को, फौजी तानाशाही के खिलाफ लड़ने को, टैंकों और बमों के खिलाफ लड़ने की वह अद्वितीय हैं। वहां पर जनता के ऊपर बम डाले गये हैं, अस्पताल के ऊपर बम डाले गये। इसलिये सीलोन जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके ऊपर भारत सरकार यह दबाव डाले कि पाकिस्तान के जहाजों को वह तेल न दे और इस तरह का सैनिक माल जहाजों

Page No. 47

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में न लें जाने दे। हमारी श्रीमती इन्दिरा गांधी, लंका की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती भण्डारनायके के ऊपर यह दबाव डाल सकती हैं और इस प्रकार से आजाद देश के नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली यह कार्यवाही रोकी जानी चाहिए

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस गम्भीर मसले को लेकर विश्व का जनमत भारत तैयार कर सकता है, भारत पचपन करोड़ का मुल्क है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतन्त्रवादी देश है; आज बांगला देश में जो आजादी की लड़ाई हो रही है, वह वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने के लिए है। लोकतन्त्री व्यवस्था वह वहां कायम करना चाहते हैं और भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रवादी देश है, इसलिए भारत की यह प्राइम ड्यूटी है कि इस प्रकार से लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले जो बांगला देश के लोग हैं, जिस पार्टी ने अभी इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल की, पीपुल का मेंडेट हासिल किया, इलेक्टोरेट्स ने जिस पार्टी को मेण्डेट दिया उस पार्टी को सत्ता हस्तान्तरित न की जाय और टैंकों और बमों के आधार पर उनको दबाने का प्रयत्न किया जाय, बन्दूक की नोक से उनको दबाया जाय....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी आजाद बांगला देश की जनता जो आजादी के लिए संघर्ष कर रही है, यह एक गम्भीर घटना है, दुनियां के इतिहास में, यह गम्भीर घटना है, मैं समझता हूं कि सदन गम्भीरता से इस सवाल पर विचार करे और नैतिक दृष्टि से सोचे कि जो बांगला देश के नागरिकों, निहत्थे नागरिकों पर जिनको याह्या खान के सैनिक बमों और टैंकों से बरबाद कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसकी घोर निन्दा करना चाहिये, और उनकी आजादी की लड़ाई में उनका हौंसला बुलन्दी के लिए उनको समर्थन देना चाहिए लाखों आदमी मर चुके हैं, उनके प्रति सम्वेदना प्रकट करनी चाहिये, बांगला देश को मान्यता प्रदान करें, भारत सरकार पर दबाव डालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाया जाए, विश्व जनमत तैयार किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): मैं एक नया पौइन्ट बताना चाहता हूं। जैसे आपने व्यवस्था दी, यह विश्व स्थिति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव है और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्ध रखता है, इसलिए इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। एक सीमा तक आपकी बात सही है। परन्तु इस राजस्थान के बहुत से सपूत बांगला देश में रहते हैं और वहां व्यापारिक व अन्य प्रकार के धन्धे करते हैं उनका जीवन खतरे में है। वह पाकिस्तान की हथियार बन्द सेना के द्वारा निर्ममता-पूर्वक कुचले जा रहे हैं, न मालूम उनके बच्चों व स्त्रियों की क्या हालत होगी, निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या हो रही है। दुनियां भर के तमाम देशों के अखबारों ने आवाज बुलन्द की है कि इन अत्याचारों के खिलाफ, नृशंस हत्याकाण्ड के खिलाफ जैसे इंगलैंड, अमरीका

(श्री दौलतराम सारण)

जैसे बड़े-बड़े देशों ने भी इस बर्बरता के खिलाफ आवाज बुलन्द की है। हमारे देश के विनोबा जैसे सन्त ने भी इस मामले में अपने विचार दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप तो सुझाव दे रहे थे।

श्री दौलतराम सारण : जिस प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपने से इन्कार करके पाकिस्तान की फौजी तानाशाही ने लोकतंत्र को चुनौती दी है, विश्व जनमत को चुनौती दी है और विश्व के लोक-तंत्र को मानने वाले तमाम लोगों को चुनौती दी है और जिस प्रकार से उसने निहत्थी जनता को आंदोलन करने पर, अपने न्यायसंगत और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने पर कुचलने की कार्या ही की है, बंदूक की गोली के बल पर हत्याकांड किया है, उसको किसी भी रूप में बरदाश्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर सदन के द्वारा विचार करना चाहिए और इस प्रश्न पर सदन की सर्वसम्मत राय को भारत सरकार के सामने रखनी चाहिए और विश्व के सामने रखनी चाहिये। यह सदन लोकतंत्र के लिए इस प्रकार के खतरे को किसी भी दृष्टि से नजरअन्दाज नहीं कर सकता और इस प्रकार का नरसंहार, हत्याकांड किसी भी हालत में मौन रहकर स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। विश्व जनमत इसके लिये निर्माण करना चाहिये, संयुक्त राष्ट्र में इस समस्या को रखना चाहिये और इस मामले में बंगला देश के नागरिकों के साथ पूर्ण सहानुभूति और सहयोग रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में उदारतापूर्वक व्यवस्था देंगे, जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने इस प्रश्न पर निवेदन किया, हमारे अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत तो यह नहीं है इसलिए स्थगन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार किया। मैं माननीय सदस्यों को भावनाओं, उनकी व्यग्रता और चिंता को समझता हूं। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर किस सीमा तक विचार किया जा सकता है और विचार किया जाना चाहिए या नहीं, इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री से जानना चाहूंगा वह कृपया स्पष्टीकरण करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) अध्यक्ष महोदय, पूर्वी पाकिस्तान में जो भी घटनायें घट रही हैं उससे सारे देश में स्वाभाविक तौर से उग्रता होना स्वाभाविक है। आज हम सब उम्मीद करते थे कि पाकिस्तान में चुनाव हो जाने के बाद वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी उसके बजाय आज वहां पर मार्शल अथॉरिटीज की तरफ से जो शायद लोकतंत्र के इतिहास में कोई ही व्यक्ति या कोई पार्टी इतने बड़े तादाद में और ताकत से चुनकर नहीं आया, जिस तरह से लोकमत बंगाल के अन्दर हमारे सामने आया। उसके बाद बजाय इसके डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स फंक्शन करें, जैसा समाचार पत्र और रेडियो से मालूम होता है, जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार वहां पर किए जा रहे हैं, वह सब के दिलों के हिला देने वाली बात है, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती और हम सबकी हमदर्दी कहीं भी इस प्रकार अत्याचार हो तो जिन पर अत्याचार हो, उनके साथ होगी, विशेषतौर से जो डेमोक्रेटिकली चुनकर आये हों, उन पर यदि अत्याचार हो रहा हो तो उनके साथ हो सकती

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आज के दिन हमारी हमदर्दी, जिन लोगों को इसकी वजह से क्षति हो रही है उनके साथ है। यह कोई एक पार्टी का सवाल नहीं। देश में आम तौर से आज भावना है लेकिन इस सदन में कोई स्थगन-प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव पास करे या स्थगन प्रस्ताव एडमिट किया जाए, वह मैं समझता हूं, विधान सभा के दायरे के बाहर की बात होगी। यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है और इस प्रश्न पर हम कोई भी राय विधान सभा में रूल्स बिना कोई मोशन लाये, ऐसी बात हम नहीं कर सकते। इसलिए स्थगन प्रस्ताव को मानकर, डिस्कशन के लिए समय फिक्स किया जाए, उस औपचारिकता के अन्दर पड़ना वाजिब नहीं होगा। सदन में चाहे इधर बैठने वाले चाहे उधर बैठने वाले हों, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आज उन पर, जैसा मैंने कहा, वर्बरतापूर्ण अत्याचार हो रहा है, वहां की जनता के साथ हम लोगों की सहानुभूति है, यह निर्विवाद रूप से कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : प्रस्ताव स्वीकार करने से मालूम होगा कि राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का समर्थन बंगालियों के साथ है। भारत सरकार पर दबाव डाला जाए कि यहां से हमारी मिलिटरी भेजी जाए उनके बचाव के लिए, क्योंकि नागरिकों को बचाने के लिए, एक पड़ौसी होने के नाते, उनकी मदद के लिए हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए ताकि भारत सरकार पर दबाव डाला जा सके कि उनकी मदद के लिए राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की यह मांग है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय नेता महोदय के विचार सुनने के बाद मैं अनुभव करता हूं कि राजस्थान में शायद कोई ऐसा नहीं है जो उनकी भावना के साथ नहीं है या जिसकी हमदर्दी बंगला देश के नरसंहारियों के विरुद्ध नहीं है। अब रूल्स के सम्बन्ध में इस सदन को स्थगन प्रस्ताव मूव करने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर हमारी सारी भावनायें उनके साथ हैं, तो इससे पहले हमें मालूम नहीं था कि इस तरह का स्थगन प्रस्ताव आ रहा है, मैंने सारी भावनाओं को, सारे राजस्थान, सारे भारत के प्रत्येक प्राणी की भावनाओं को पढ़ा है। मैं समझता हूं अगर सदन प्रस्ताव पास करे, वह केवल मानवीय दृष्टिकोण से, हमारे पड़ोसी राज्य के दृष्टिकोण से, भारत सरकार को निवेदन करने के दृष्टिकोण से, इसमें कोई अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न बीच में नहीं आएगा, अगर आपत्ति नहीं हो, तो मैं दो मिनिट में वह प्रस्ताव पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : औपचारिक और अनौपचारिक भावनायें व्यक्त करदें तो वह पर्याप्त होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे उन लोगों को क्या सहायता मिलेगी ? जब तक डाइरेक्ट मदद न करें तब तक खास मदद होने वाली नहीं है। बंगला देश हमारे देश का एक हिस्सा है, उस पर अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए उनकी मदद।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न व्यवधान डालने का नहीं है। सोवराइटी का है।

Page No. 50

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा, उस विषय में मुख्य मंत्रीजी ने अपनी विचारधारा रखी। इसमें दो राय नहीं कि सारा देश आज बंगला देश के आजादी के लिए संघर्ष करने वालों के साथ है जो बराबर सेना का मुकाबला अपने साहस और जोश के साथ कर रहे हैं। लाखों की कुर्बानी देकर वहां के लोग कर रहे हैं लेकिन हम कहें क्योंकि यह तकनीकी मामला है, तकनीकी का सहारा लेकर बात करें, तो यह तकनीकी का मामला नहीं है,। हम जनतांत्रिक परम्पराओं में विश्वास रखते हैं, जन आस्थाओं के आधार पर इस देश में जनतंत्र को चला रहे हैं। उससे अधिक हमारे लिये, हम भारतवासियों के लिये, एक जीवन और मरण का प्रश्न है। देश के दो टुकड़े हुए। धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े करने का मोहम्मद अली जिन्ना का आग्रह था और उसका महात्मा गांधी ने डट कर विरोध किया था और उन्होंने किसी प्रकार भी धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को नहीं माना। किन्तु उस समय के राजनैतिक नेताओं ने भूल की और हमारे देश का विभाजन हुआ और देश के इस टुकड़े को हम पाकिस्तान जानने लगे। २३ वर्ष के बाद बंगला देश के मुसलमान जो कि उस धर्म को मानने वाले हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान माना जाता है, उन पर आज वे जुल्म ढा रहे हैं और उनका कत्लेआम कर रहे हैं। जिन्ना साहब के धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों का कोई सिद्धान्त नहीं हो सकता और उसका परिणाम आज आपके और हमारे सामने है। बंगला देश के नौजवान और नागरिक आज इस बात को बता रहे हैं कि दो राष्ट्रों का धर्म के आधार पर विभाजन किस प्रकार निकम्मा था। जनतान्त्रिक परम्पराओं के लिये जिन्होने संघर्ष किया था, बंगला देश के नागरिकों ने उन्हीं को आज हमारे देश के भाइयों को पाकिस्तान के बर्बर फौजी बरबाद कर रहे हैं, उनका कत्लेआम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जब जिन्ना साहब की दो नेशन की थ्योरी ही समाप्त हो गई और जब कि वे हिन्दुस्तान के ही अंग हैं और जब फौजी शासन बंगला देश को दबाना चाह रहे हैं और जो नरसंहार कर रहे हैं उसके लिये हमारा फर्ज है कि हम भारत सरकार पर दबाव डालें कि जब बंगला देश की अस्थायी सरकार बन चुकी है तो उसको मान्यता दे और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर फौरन कहें कि इस नरसंहार को बन्द किया जाय और पाकिस्तान की फौजी सरकार पर दबाव डाला जाय। वहां के जो अध्यक्ष हैं, मेजर उन्होंने मांग की है अपने पड़ोसी देशों से और तमाम विश्व के देशों से कि हमारी रक्षा के लिये आयें और हम यहां तकनीकी मामलों को लेकर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें यह उचित नहीं होगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न नहीं है या भारतीय देश के एक अंग पर जुल्म है और बंगला देश के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उनके पूरे संघर्ष में साथ देने के लिये यही एक उत्तम स्थान है और जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया है वह सही रखा गया है। हमारे सिद्धान्त आज कसौटी पर हैं। दो राष्ट्रों के विभाजन का महात्मा गांधी ने विरोध किया और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया यह सिद्धान्त आज गलत निकला है। इसलिये आज सारा काम हटा कर इस प्रस्ताव पर बहस करें और सर्वसम्मति से प्रस्ताव भारत सरकार के पास पास करके भेजें कि

(श्री नत्थीसिंह)

आजाद बंगला देश को मान्यता दी जाय और नरसंहार को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा जाय जिसके लिये यह संस्था बनी है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं भी इस विषय पर दो चार बातें कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान दो हिस्सों में तक्सीम हुआ यह पहली घटना थी। दूसरी घटना है बंगला देश में जहां वाशिन्दों पर जुल्म और सितम ढाये जा रहे हैं। पहली जदोजहद में लाखों लोगों को नुकसान हुआ। जो हुकुमत आज बंगला देश में अपने मुसलमान भाइयों की ही कत्लोगारत कर रही है। जिस बेदर्दी से कत्लोगारत हो रही है, मुसलमान के नाते नहीं इन्सानियत के नाते जितनी भी हमदर्दी बंगला देश के साथ है, वह कम है। आज दो बातें देश ने साबित कर दी है। आजादी का ताल्लुक एक धर्म का नहीं हो सकता है और हर इन्सान के लिये चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो अपना देश और वतन प्यारा है और वह हर तरह की कुरबानी उसके लिये देने के लिये तैयार रहता है। आज बांगला देश के वाशिन्दे यह साबित कर रहे हैं।

इसको जरूरी नहीं समझा गया। फिर भी मैं यह ठीक समझता हूं कि इस कत्लेआम और जिब्बोनहत को खयाल में रखते हुए राजस्थान की ओर से ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे हम यह बता सकें कि बांगला देश के साथ हमें कितनी हमदर्दी है और हमें कितना दुःख है और आजादी के लिये लड़ने वालों के साथ जो कुछ भी हम से हो सकेगा हम उसके लिये तैयार हैं। केन्द्रीय सरकार किस तरीके से हमारे जज्बात को देखे और वह एक्शन ले वह दूसरी बात है। आम जनता की ओर से जिसमें सब मजहब और मिल्लत शामिल हैं, बांगला देश के लोगों के साथ उसका इजहार करना है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने टेक्निकल कठिनाई बतायी। स्थिति नाजुक हो सकती है लेकिन टेक्निकल आधार पर हम इस मामले पर चुप नहीं रह सकते हैं। इजराइल का सवाल आता है, वियतनाम का सवाल आता है हम आवाज बन्द रखते हैं। आज बांगला देश का सवाल आया है जो कि किसी समय हमारा ही एक अंग था। आज भी उस देश के साथ, उस देश के नागरिकों के साथ हमारा खून और मांस का रिश्ता है। सदन इस मामले में चुप नहीं रह सकेगा।

मेरा निवेदन है कि आज जो बांगला देश में नरसंहार हो रहा है उसको कन्डेम करने के लिये चाहे अध्यक्ष महोदय के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा जाय या चाहे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा रखा जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि बंगाल चाहे हम से अलग हो गया, अलग देश के रूप में बन गया लेकिन हमारे खून का वह एक अंग है। लाखों बच्चे, नौजवान आज वहां मर रहे हैं, हम किस प्रकार से मौन रह सकते हैं। राजस्थान असेम्बली प्रस्ताव पास करेगी और दूसरी असेम्बलीज भी प्रस्ताव पास करेगी तो इन्दिराजी के हाथ मजबूत

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

होंगे और लोकतन्त्र को यदि आप लोग मजबूत रखना चाहते हों तो आपको इस काम को करना चाहिये। आजादी के लिये लाखों लोगों ने कुरबानी की है। केवल मौन नहीं रहा जा सकता। इसलिये विधान सभा कार्यवाही स्थगित होनी चाहिये और सर्व सम्मति से प्रस्ताव जाना चाहिये और जो कुछ हम कर सकते हैं वह हमको करना चाहिये। इससे आजादी के लिये लाखों के प्राण जा रहे हैं उनको बल मिलेगा और हमारी प्रधान मंत्री को भी बल मिलेगा। इसी पर बहस करके प्रस्ताव पास करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के नेता महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कभी भी नहीं चाहूंगा कि कोई भी देश के अन्दरूनी मामलात के अन्दर इस सदन के सदस्य या इस आजाद देश का कोई नागरिक दुर्भावना व्यक्त करे या दखल करने की चेष्टा करे। किन्तु यह निर्विवादित बात है कि यह एक मोटा इन्सानियत का सवाल है, ह्युमन प्रोब्लेम। अभी क्यों बालिगमताधिकार के सिद्धान्त पर चुनाव कराये। ७॥ करोड़ का एक बड़ा तबका एक बात को लेकर अपनी आजादी, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहता है उस पर दस दिन तक बराबर बहस करके जनरल याह्या खां ने एक साजिश को तैयारी की कि जनतन्त्र को कुचला जावे और बहशियाना तरीके से कुचला जावे और हजारों आदमियों को, निहत्थे आदमियों को, बच्चों को, औरतों को मौत के घाट उतार दिया जावे। यह तरीका सभ्यता का नहीं है। बहशियाने तरीके को पराकाष्ठा है। ऐसी नादिरशाही आज के जमाने में कभी नहीं चल सकती।

एक आजाद देश के नागरिक के नाते हम सबको इस बात की चिन्ता है और खास कर इसलिए की पड़ौसी देश के अन्दर जो दुर्घटनाएं होती हैं जो बहशियाना तरीके से जनतन्त्र के जीवन को कुचला जाता है उसकी निन्दा किये बिना हम नहीं रह सकते।

मैं विशेष नहीं कहना चाहता लेकिन इस सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव के बिना और चर्चा उठाने का कोई जरिया भी नहीं है।

मैं समझता हूं कि स्थगन प्रस्ताव सम्भवत: अनुपयुक्त है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया, उसके साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन यहां फ्री कन्ट्री है, फ्री प्रेस है, हम पाकिस्तान के तौर तरीकों को कभी मन्जूर नहीं कर सकते, व मेरे ख्याल में हरेक सभ्य देश के नागरिकों के लिये अशोभनीय वस्तु है।

अब यह यू. डी. आई. स्वतन्त्रता की घोषणा श्री मुजिबुर्रहमान की है इससे साबित होता है कि देश कल दो विंग्स में स्थित था आज कांच की चूड़ी की तरह टूट गया है। तो जिस तरह टूटी हुई चूड़ी वापस सन्ध नहीं सकती, वैसे अब ये दो देश वापस सन्ध नहीं सकते।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अब भी पाकिस्तान के शासकों को चाहिये कि यह बहशियाना तौर तरीका छोड़कर जनतान्त्रिक तरीके से देश की समस्याओं को सुलझाने की चेष्टा करें तब तो इस स्थिति पर काबू पाया

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जा सकेगा वरना यह तो एक तरह से कोई समस्या का हल नहीं है, वरना जैनोसाइड है।

इसका प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाना चाहिये। बंगला देश ने अपनी भावना तीव्र रूप में व्यक्त की है। इस देश के प्रति सहानुभूति प्रकट करना पड़ोसी देश के नाते हमारे लिये स्वाभाविक है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ३ मुख्य प्रश्नों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है—पहला प्रश्न है लोकतन्त्र का; दूसरा प्रश्न है मानवता का; और तीसरा प्रश्न है हमारी सीमा सुरक्षा का।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक लोकतन्त्र का प्रश्न है यह स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति और हर देश जो लोकतन्त्र में विश्वास रखता है, उसकी सदा ही यह इच्छा रहेगी कि सारे विश्व में लोकतान्त्रिक शक्तियां हर प्रकार से पनपें।

दुर्भाग्य से जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान में लोकतन्त्र जिस प्रकार से हमारे यहां पनपा, उस तरह से वहां नहीं पनप पाया और इस कारण वहां की जनता को लोकतन्त्र के माध्यम से शासन करने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

पहली बार एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर पाकिस्तान में चुनाव हुए। परिणामों को दुनिया भर ने देखा। बंगला देश में उस समय की अवामी लीग ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जो कार्य चुनावों के बाद वे देश में करना चाहते थे और जिस प्रकार से बंगला देश को स्वतन्त्र कराना चाहते थे, उसकी भूमिका स्वायत्तता के नाम पर अपने घोषणा-पत्र में दी थी और उसी के आधार पर जनमत ने अवामी लीग को चुनावों में अत्यन्त बहुमत से विजयी बनाया और यह साबित कर दिया कि बंगला देश की जनता और अधिक पाकिस्तान के वर्त्तमान शासकों द्वारा शोषित होना नहीं चाहती, बल्कि उससे मुक्त होना चाहती है। तो यह हमारा भी कर्त्तव्य है कि जिस-जिस देश में राजनैतिक शक्तियां जाग्रत होकर लोकतन्त्र की नींव को दृढ़ बनाने का प्रयत्न कर रही हैं, उनका हमें हर प्रकार से समर्थन करना चाहिये और उनका हौंसला बढ़ाना चाहिये।

तो पहले मुद्दे के आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि बंगला देश में जिस प्रकार से लोकतान्त्रिक शक्तियां उदीयमान हुई हैं, हमें हर प्रकार से उनका समर्थन करना चाहिये।

दूसरा प्रश्न आता है मानवता का, भारत से यू. एन. ओ. में ह्यूमेनिटेरियन कमेटी का आज भी एक सदस्य है। सदन को स्मरण होगा कि भारत में जब-जब भी हिन्दू मुसलमानों में दंगे हुए हैं पाकिस्तान ने हर बार इन मामलों को इसी आधार पर यू. एन. ओ. में उठाने का प्रयत्न किया है। पाकिस्तान के इस देश में स्थित राजदूत ने उन दुर्घटना-स्थलों पर जाकर निरीक्षण करने के लिये भारत सरकार के सामने सुझाव रखे हैं और पाकिस्तान में उन घटनाओं को लेकर भारत के विरुद्ध अत्यन्त ही भद्दे रूप में विष वमन किया गया है।

Page No. 54

(श्री भैरोंसिंह)

अब इसको यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि पाकिस्तान का यह घरेलू विषय है। मानवता के नाते इस नर-संहार को हम चुपचाप बैठे रह कर नहीं देख सकते। फिर जब बंगला देश ने स्वतन्त्रता की घोषणा करदी तब तो यह उसका आन्तरिक विषय भी नहीं रह गया, वह एक अलग राष्ट्र है। दूसरे राष्ट्र ने उस पर आक्रमण किसी प्रकार से किया हो, उसके सम्बन्ध में भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है। उस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत जब ऐसी कमेटी का सदस्य है यू.एन.ओ. में तब हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान के बम्बार्डमेन्ट में जहां मारे जा रहे हैं और सेना के द्वारा जिस प्रकार की नर-हत्या की जा रही है, उनकी घेराबन्दी की जा रही है, उनको भोजन-सामग्री बन्द करदी गई है, लोगों को भूखों मारने की कोशिश की जा रही है, उस स्थिति में हमारा यह परम कर्त्तव्य होता है कि हम न केवल उनके प्रति सहानुभूति ही प्रकट करें बल्कि भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर पुरजोर शब्दों में अपील करें कि भारत सरकार सक्रिय हो और उनकी सहायता का मार्ग अपनावे जिससे उसकी सुरक्षा हो सके।

तीसरा प्रश्न रखना चाहूंगा। पाकिस्तान हमारी सीमा से लगा हुआ है। पाकिस्तान ने हमारी भूमि पर अधिकार कर रखा है। काश्मीर के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान आज भी समय-समय पर यू.एन.ओ. में जाकर काश्मीर के प्रश्न को उठाने की कोशिश करता है। ६५ में उसने भारत पर हमला भी किया। हमारी सीमा और खास तौर से राजस्थान की सीमा पर भी पाक संघर्ष हुआ था। ऐसे संघर्ष की भूमिका में पाकिस्तान हमेशा भारत पर आततायी की दृष्टि से देखता रहा। इतना ही नहीं देश के समाचार पत्रों में पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं और लोक सभा में भी जिस प्रकार की चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से अपने विचार व्यक्त किये, उन सबको पाकिस्तान ने बहुत बुरा माना है और हमारे यहां के विदेश विभाग के उप सचिव को उसने एक प्रकार की धमकी भी दी कि पाकिस्तान इन चीजों को ठीक नहीं समझता।

इससे अनुमान लगा लीजिये, ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान हमें धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ मानवता की विशाल विनाश लीला का प्रचण्ड कार्यक्रम बनाकर बंगला देश को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त किये बगैर नहीं रह सकता और इस प्रकार वे सदन में भी अपनी भावनाएं प्रस्तुत करें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब एक प्रश्न पर तो एकमत हैं मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि मानवता के प्रति अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार की बातें सदन के कई माननीय सदस्यों ने भी कहीं। मानवता के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इसके कुछ उपाय हैं। सहानुभूति से ये उपाय हो सकते हों-ऐसी स्थिति नहीं है। भारत की सरकार, और लोक सभा-जहां नीतियां निर्धारित होती हैं-वे हम में से ही चुनकर आये हैं, जनतन्त्र के आधार पर आये हैं, तब उस हालत में अगर राजस्थान विधान

(श्री भैरोंसिंह)

सभा अपने यहां सदन में कोई प्रस्ताव पास करके उनको भेजे कि जिस प्रकार का नर संहार वहां हो रहा है, पाकिस्तान की सरकार द्वारा बंगला देश में किया जा रहा है, उसका विधान सभा विरोध करती है और नर संहार के शिकार बंगला देश के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है–तो यह हमारा उचित ही कदम होगा। साथ ही भारत सरकार से निवेदन करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इस नरसंहार को रोकने के लिये भारत सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिये तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। चाहे वह स्थगन प्रस्तावों के जरिये हो, चाहे आसन की तरफ से प्रस्ताव प्रस्तुत हो, चाहे सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें। यह सब जन-भावना को सम्मिलित रूप से भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। हम कोई यू. एन. ओ. से यह रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ लोक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनी हुई राजस्थान की भावना को संकलित रूप से प्रसारित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह मांग राजस्थान सरकार को अपनाना चाहिये। यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के प्रस्ताव को पास करने में हमें कोताही नहीं करनी चाहिये और अपनी भावनाओं को संकलित रूप में भारत सरकार को जिस प्रस्ताव के जरिये प्रस्तुत कर सकें, उस प्रकार का प्रस्ताव इस सदन में रख कर उसका समर्थन कर हमें भारत सरकार को भेजना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह, मकराना।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे बड़े मसले के अन्दर कोई भी क्रांतिकारी नवयुवक अपने कानों में तेल डाल कर नहीं बैठ सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर जब इसी बंगला देश के अन्दर तूफान आया था हमारे हिन्दुस्तान ने उसको सहायता प्रदान की थी और लाखों, करोड़ों रुपयों का कपड़ा, खाद्यान्न उसको भेजा था। आज वहां उससे बड़ा तूफान आया है और उससे बड़ा तूफान विश्व में कहीं नहीं आया है और न कोई हो सकता है। इस बड़े तूफान के अन्दर अगर हिन्दुस्तान के नागरिक अपने बंगला देशवासियों की किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकें तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हमारी प्रधान मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, और हमारे मुख्य मन्त्री सभी इस पर चिन्ता महसूस करते हैं तो फिर क्यों नहीं बंगला देशवासियों के लिये जो कि हमारे भारत का ही एक अंग है, वह आज हमसे अलग हो गया है तो कोई बात नहीं है। एक घर के दो भाई अलग-अलग होते आये हैं, वे अलग-अलग रहते हैं, परन्तु आखिर में जब कोई बात होती है तो उसको सहयोग देते हैं। तो यह भारत का ही अंग है, तब इस विचार विमर्श से कोई बात नहीं होगी। इस मसले के सम्बन्ध में मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमको हमारे बंगला देशवासियों को, जिन्होंने आजादी लोकतन्त्र के माध्यम से प्राप्त की है, इस आजादी की प्राप्ति के लिये मदद करना चाहिये। पाकिस्तान छोटी-छोटी बातों के ऊपर हमको धमकी देता रहता है और कहता है कि इस प्रकार के समाचारों के प्रसारण से उसके नतीजे, परिणाम अच्छे नहीं होंगे तो राजस्थान को चुप नहीं बैठना चाहिये। अगर पाकिस्तान ऐसी

Page No. 56

(श्री विजयसिंह)

धमकी हमको दे सकता है तो मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको पाकिस्तान के लोगों को चैलेन्ज देना चाहिये और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिये हमको राजस्थान के बोर्डर पर एक नया फ्रन्ट खोल देना चाहिये। इस प्रकार से हमको चुप नहीं बैठना चाहिये। यह एक गम्भीर मामला है। जब कि कश्मीर के अन्दर कोई बात पैदा हो जाती है तो पाकिस्तान उसमें कूद जाता है। यह एक बड़ी बात है और इस पर सारा विश्व चिन्तित है? इस पर हमारी राजस्थान की सरकार कानों में तेल डाल कर बैठ जाये यह कहां तक सही है। इस मामले के अन्दर हमको मदद करनी चाहिये, फ्रन्ट खोल कर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिये। और अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले को सदन के अन्दर लाकर हमको एक प्रस्ताव पास करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, दुनियां के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मुल्क मिलेगा जैसा बंगला देश अभागा, दुःखी और शोषित है। अभी पिछले दो-तीन दिनों में वहां पर एक लाख से ऊपर आदमी मारे गये हैं और उनके साथ में पाकिस्तान द्वारा जो अत्याचार, अनाचार और बर्बरता की जा रही है उसकी कोई मिसाल दुनियां के इतिहास में नहीं मिलती। अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी देश का प्रधान व्यक्ति मरता है तो उसके प्रति सहानुभूति और दुःख यह सदन प्रकट करता रहा है। मेरा निवेदन है कि यह सदन एक सहानुभूति का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में क्यों नहीं ले सकता है? जो कानून, रूल्स हैं, उनके अन्दर कोई रुकावट नहीं। हम उसके अन्दर भी प्रस्ताव ला सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जब हम दुनियां के बड़े व्यक्तियों के लिये शोक प्रस्ताव ला सकते हैं तो यह हमदर्दी का प्रस्ताव क्यों नहीं ला सकते? वहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और मर रहे हैं तो उनके लिये एक शोक प्रस्ताव पेश करना चाहिये और कोई रूल है तो, अध्यक्ष महोदय, आप उसको रिलेक्स कर दें। जो लाखों लोग मर गये हैं, उनके लिये हम श्रद्धान्जलि अर्पित करें तो अनुपयुक्त नहीं होगा। इसलिये यह जो एडजोर्नमेन्ट मोशन है, उसको या दूसरा प्रस्ताव हमदर्दी का, सहानुभूति का लाना चाहिये और भारत सरकार को कहना चाहिये कि यह हमारे राजस्थान की जन भावना है। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी पाकिस्तान, बंगला देश, में जो नरसंहार पाकिस्तान की मार्शल लॉ शक्ति के द्वारा हो रहा है, यह लोकतन्त्र को एक चुनौती है। और मैं तो यह कहूंगा कि एक तरफ लोकतन्त्र की शक्ति है और दूसरी तरफ एक फौजी शक्ति है। इसमें किसको महत्व देना चाहिये यह एक प्रश्न है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पर भारतवर्ष को सोचना है और सारे दुनियां के देशों को सोचना है कि जो पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बंगला देश में नरसंहार कर रहा है, वह लोकतन्त्र को दबाने की बात कर रहा है और अगर वह सफलता प्राप्त करता है तो यह लोकतन्त्र के लिये और सारी दुनियां के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

लिये जो लोकतन्त्र पर विश्वास करते हैं, उनके लिये एक चिन्ता का विषय हो जायगा। इसलिये यह आवश्यक है कि यह मार्शल लॉ की शक्ति फौजी शासन की शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, उसको किसी भी तरह से रोका जाना चाहिये चाहे तो उसमें यू. एन. ओ. हस्तक्षेप करे परन्तु इस नरसंहार को किसी भी सूरत में रोका जाना चाहिये और इसके बारे में राजस्थान सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को मूव करना चाहिये और इस प्रकार का रिजोल्यूशन अगर पास नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रहे हैं। अगर हमारी कोई रैस्पान्सिबिलिटी है। लोकतन्त्र पर हम विश्वास करते हैं तो इस प्रकार के नरसंहार को रोका जाना चाहिये। इसलिये राजस्थान सरकार को अवश्य ही कोई न कोई रिजोल्यूशन पास करना चाहिये। चाहे वह मुख्य मन्त्री प्रस्तुत करे, किसी भी तरफ से आवे उसको सर्वसम्मति से पास कर के लोकतन्त्र को मजबूत करना चाहिये और इस नरसंहार को बन्द करने के लिये उपाय किये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफणा!

श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, दुनिया के इतिहास में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है जहां पर बैलेट के निर्णय को बुलेट से दबाया जा रहा है। बैलेट ने जो निर्णय दिया है उसको याहया खां बुलेट से दबा रहा है परन्तु वह दबेगा नहीं यह इतिहास निर्माता जानते हैं। किस प्रकार से प्रजातन्त्र की बात करके चुनाव कराये और चुनाव कराने के बाद वह बदल रहे हैं। शायद उनको यह ख्याल नहीं था कि किसी को बहुमत मिल जायगा और बहुमत नहीं मिलेगा तो मेरा शासन चलता रहेगा। उनकी आशा के विपरीत बैलेट ने निर्णय दिया कि हम अपना राज्य लोकतान्त्रिक तरीके से चलाना चाहते हैं। याहया खां को यह पसन्द नहीं आया। पहले बातचीत करके, उन्होने समझौते का बहाना किया और समानान्तर रूप से दूसरा इन्तजाम भी किया और फिर अचानक वहां से रवाना हो गये और यह सारी कार्यवाही शुरू कर दी गई। वास्तव में वहां की जनता ने कानून के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। कानून के साथ टैंक हैं, मशिनगनें हैं। और न्याय के साथ ? इसलिये ये मशीनगनें और टैंक न्याय के साथ लड़ रहे हैं। न्याय हमेशा जीतता है, यह दुनिया का इतिहास कहता है। शुरू शुरू में कानून अवश्य जीतता है, परन्तु अन्त में उसको हारना पड़ता है। यह पूर्वी पाकिस्तान में हो रहा है। वहां भी आखिर में न्याय जीतेगा और कानून हारेगा। हम भी यहां पर कानून के चक्कर में फस गये हैं। कानून के अन्दर प्रस्ताव नहीं ला सकते परन्तु न्याय और मानवता के पक्ष में बात कर रहे हैं और अलग अलग ढंग से सभी एक ही बात कह रहे हैं। सभी का एक ही ख्याल है। सभी का एक ही मत है। तकनीकी बात, केवल कानूनी बात बीच में फस जाती है कि ऐसा नहीं कर सकते। पर मैं ऐसा मानता हूं, कानून से नहीं कर सकते हैं तो न्याय से कर सकते हैं। इसलिये न्याय की स्थापना के लिये, न्याय के प्रचार के लिये हमारा फर्ज है। प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजना है कहीं और नहीं भेजना है; यू. एन. ओ. को नहीं भेजना है। भेजने वाली हमारी भारत सरकार है। हम तो अपने आदमी को ही भेज रहे हैं। हम अपने आदमी को

(श्री फूलचन्द बाफणा)

क्यों नहीं भेज सकते हैं ? इसलिये कोई कानून की बाधा नहीं है। न्याय के अनुसार हमें यह प्रस्ताव पास करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय आदित्येन्द्र !

श्री आदित्येन्द्र (डीग) : अध्यक्ष महोदय, बंगाल देश की निरीह और निहत्थी जनता पर पाकिस्तान की सरकार जिस प्रकार का अत्याचार कर रही है उससे न केवल हमारे देश के लोगों की आंखें खुली हैं बल्कि आज तमाम संसार में इसकी चर्चा है। तमाम संसार के अखबारों में आज अपने पत्रों में सबसे ऊपर के सफे पर बार-बार यह कह रहे हैं कि बंगला देश की जनता पर बड़ा भारी अत्याचार किया जा रहा है। आज हम अगर उनके लिये सहानुभूति प्रकट न करें तो वास्तव में बड़ा भारी दुख भी होगा और बड़े आश्चर्य की बात होगी। किसी समय ये लोग हमारे ही एक अंग थे। आज उनको इस तरह कुचला जाय, लाखों की तादाद में लोग मर जायं तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। आज स्थगन प्रस्ताव के रूप में हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं वे विचार निश्चित तौर से केन्द्रीय सरकार तक जरूर पहुँचने चाहियें। इसमें किसी तरह से भी उनके काम में हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं है। पाकिस्तान कुछ भी करता है, हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते लेकिन अगर मानवता के नाम पर कोई इस तरह की बातें करता है तो हमें भी पूरा हक है। एक सरकार के मानव की हैसियत से, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अपने विचार व्यक्त करें और बतावें वास्तव में पाकिस्तान का सैनिक शासन आज क्या-क्या गड़बड़ियां कर रहा है। एक तरफ वह काश्मीर में यह चाहता है कि जनमत कराया जाय और इसीलिये कराया जाय कि काश्मीर पाकिस्तान के साथ है या हिन्दुस्तान के साथ है और दूसरी ओर बंगाल में जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे उस बंगला देश की जनता ने चुनाव जीता। उन्होंने ६ सूत्री कार्यक्रम पर अपना चुनाव लड़ा था और उस ६ सूत्री कार्यक्रम के आधार पर ही भारी बहुमत प्राप्त किया और चुनाव भी इस प्रकार जीता कि ६० परसेन्ट से ज्यादा जगह उनको मिली। शायद संसार में इतने बहुमत से कोई भी पार्टी चुनाव नहीं जीती है और उसी खास प्रोग्राम के आधार पर पाकिस्तान के शासकों से कहा जाता है कि विधान का निर्माण किया जाय लेकिन विधान का निर्माण इस आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि उनको बान्धा जाता है और आखिर मे चालाकी से जो कुछ भी हुआ पिछले ८-१० रोज में पाकिस्तान जाकर एकदम हमला कर दिया जाता है। लाखों आदमी मारे जा रहे हैं। आज हमारा कर्त्तव्य है, उस नरसंहार को रोकें और उसको रोकने के लिये हमारे पास केवल इतना ही है कि हम अपने विचार वहां तक पहुँचायें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है और जैसे और महानुभावों ने अपने विचारों में यह बात कही है, आपकी तरफ से या मुख्य मंत्रीजी की तरफ से जैसा भी जरूरी समझें वे अपनी तरफ से भेज सकते हैं और नहीं तो सदन की तरफ से सर्वसम्मत प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय,.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपके दल की ओर से नेता महोदय बोल चुके हैं।

श्री शंकरसिंह !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पूर्वी पाकिस्तान जहां साढ़े सात करोड़ जनता निवास करती है उन्होंने यह बता दिया है, लोकतन्त्र पर विश्वास रखने के प्रति और स्वदेश की वफादारी के प्रति आज सैनिक शासन उनके साथ कितना अत्याचार कर रहा है। आज वहां खून की नदियां बह रही होंगी और अपन आज यहां बैठे हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं राजस्थान सरकार को भी इस सम्बन्ध में क्योंकि अभी भी चुनावों में यह नारा लगाया था—इन्दिरा को हटाओ और लोकतन्त्र को बचाओ। यह तो केवल थोथा नारा था। वास्तव में लोकतन्त्र बचाने वाली बात वहां पर है जहां अवामी लीग का सारे पाकिस्तान में बहुमत आया और वहां के लोगों की इस पर गहरी आस्था है। जनता का अवामी लीग की नीतियों पर विश्वास है और आज उस पर विश्वास रखने वालों की यह हालत हो रही है कि उन पर बड़ा भारी अत्याचार किया जा रहा है। जो वास्तव में लोकतन्त्र लेने जा रहे हैं उनका बन्दूक की नली पर शोषण किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत या मुख्य मंत्रीजी की मार्फत जिसमें कि हम कम से कम कन्धा लगाकर वहां नहीं जा सकते है तो हमारी सद्भावनायें तो उन तक पहुंचनी चाहियें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं जब आचार्य विनोबा भावे जैसे महापुरुष अपने दायरे से बाहर बोलते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने इस बंगला देश की आजादी और उसके प्रति पाकिस्तान की तरफ से बर्बरतापूर्ण अत्याचार सैनिक शासन द्वारा जन शक्ति को दबाया जा रहा है उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। अध्यक्ष महोदय, वहां के समाचारों के बारे में यह सुनते हैं किसी समाचार देने वाले को, किसी एडीटर को जाने नहीं दिया जाता है। वहां अखबारों से संसार के लोग अवगत न हों यह वहां की तानाशाही हुकूमत कर रही है। तो मैं समझता हूं दुनिया के अन्दर कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जहां तानाशाही के जरिये जनता को कुचला जा रहा हो। जहां तानाशाही शासन है वहां भी जनता को समाचारों से अवगत कराया जाता है। मैं समझता हूं हिन्दुस्तान ही नहीं उन देशों का यह कर्त्तव्य हो जाता है जहां डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है वहां दूसरे देश आवाज उठायें। हमारा देश हिन्दुस्तान बंगला देश से बहुत निकट है। हमारे जो सम्बन्ध हैं उसके नाते और उसके प्रति चिन्तन करें।

वैसे हमारी प्रधान मंत्री ने जो कहा और लोकसभा के अन्दर जो चर्चा हुई उसके बारे में पाकिस्तान ने यह इल्जाम लगाया है कि हिन्दुस्तान की लोक सभा में चर्चा की गई है। उसका तो हमारी प्रधान मंत्री ने जवाब दे दिया कि हमारा जो देश है वह आजाद है और हमारी लोक सभा में किसी को चर्चा करने से रोका नहीं जा सकता है। यह जवाब दे दिया। उसी प्रकार हमारे नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शब्द कहे। वहां

(श्री शंकरलाल)

भावना रखी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नियमों का प्रश्न है, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया एवं नियमों के नियम ३०६ और ३०७ की तरफ आकर्षित करना चाहता हू। ३०६ नियम तो यह है :

'नियमों का निलम्बनः—कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।'

याने अगर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है और अगर हम यह प्रस्ताव करें, जैसी कि सारे सदन की इच्छा है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में कोई नहीं भी आये और अगर हम उसको लेना चाहें और ऐसा प्रस्ताव करें और सदन चाहें तो नियमों की रोक हटाई जा सकती है।

दूसरा नियम ३०७ है। उसमें आपको अवशिष्ट शक्तियां हैं। यह नियम इस प्रकार है:—

'अवशिष्ट शक्तियां :— ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दें।

इसका तात्पर्य यह है कि अगर इसमें कोई नियम नहीं है जैसा कि इसमें कहीं नहीं है कि हम राजस्थान के बारे में ही विचार सकते हैं इसके लिये रूल साइलेन्ट है तो ३०७ के अन्तर्गत आप, अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में विचार करके, कोई भी प्रक्रिया करके हमारे सदन की भावनाओं को समझकर इसके बारे में कुछ कर सकते हैं और उसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुरजोर शब्दों में हमारे सदन की भावनायें हैं और यह सदन जो कि राजस्थान की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे सदन के नेता महोदय ने कहा है उन भावनाओं को पहुँचाया जाना चाहिए।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय !

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट....

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय बोलेंगे।

माननीय सदस्य (श्री लादूराम-सुलानिया) स्थान ग्रहण करें। सदन के नेता महोदय बोल लें उसके बाद देख लेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं वे स्पष्ट तौर से सब के सामने हैं लेकिन साथ-साथ यह एक डेलीकेटेड इन्टरनेशनल इश्यू है और भारत सरकार पूरी तरह से सारे मामले में काम्पीटेन्ट बाडी है, रिप्रेजेन्टेड है और डेमोक्रेटिक है। मैं ऐसा समझता हूं कि हम इस मौके पर यहां पर प्रस्ताव पेश करें तो उसके दायरे और काम्पीटेन्सी आदि-कई तरह के प्रश्न सामने आयेंगे। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य भी

Page No. 61

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इन सारी बातों से सहमत होंगे कि जो यहां पर चर्चायें हुई हैं, इस सदन के अन्दर जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं माननीय सदस्यों के द्वारा उन भावनाओं को यहां की प्रोसीडिंग्स को प्रधान मंत्रीजी के पास यहां के सदन के माननीय सदस्यों की भावना से अवगत होने की दृष्टि से भेज दिया जाये। मेरे ख्याल में वह पर्याप्त होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी के सुझाव का समर्थन करता हूं। यह मोशन है, मोशन के फार्म में हाउस के सामने आया है। इस मोशन को टाक-आउट कर दिया जाये और सेन्ट्रल गवर्नमेंट इस विषय में जानकारी क्या प्राप्त करेगी यह तो यहां पर जो कुछ चर्चा हुई जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसकी प्रोसीडिंग्स वहां पर जा सकती हैं और प्रोसीडिंग्स ना भी जायें तो भी यह मोशन टाक-आउट हो जाना ही पर्याप्त है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड के लिए निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव में मुद्दे उठाये थे उन सभी मुद्दों पर सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों ने बहुत ही गंभीरता के साथ और सहानुभूति के साथ उसका समर्थन किया है। मैं अंत में एक छोटा सा सुझाव रखना चाहता हूं अगर आपको स्वीकार हो और माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सदन को कोई आपत्ति नहीं हो—जहां तक सदन की भावनाओं का प्रश्न है वह सदन की भावनायें प्रधान मंत्रीजी तक समाचार-पत्रों के माध्यम से पहुंच जायेंगी। उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भेजने की आवश्यकता मैं कम से कम नहीं समझता हूं। सरकार चाहे तो अपनी तरफ से जो भावनायें व्यक्त की गयी हैं उनके संबंध में मुख्य मंत्रीजी, प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिख सकते हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम बिना किसी प्रस्ताव के, लाखों लोग मारे गये हैं उनके प्रति संवेदना की दृष्टि से और केवल दो मिनिट के लिए शांति से खड़े होकर मौन ग्रहण कर लें। कोई लिखित प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रस्ताव मूव करने की आवश्यकता नहीं है—मैं समझता हूं कि सदन ने उनके प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट की है तो बिना किसी लिखित प्रस्ताव के ऐसा कर दें कि उन मृतक भाइयों के प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट करने के लिए सदन दो मिनिट मौन खड़े होकर अपनी संवेदना प्रकट करे।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं भी दो शब्द कहूं कि जहां नेशनल स्ट्रगल हुआ करती है वहां संवेदना के रूप में हम इस इश्यू को ले लें—मैं इसको उचित नहीं समझता। हमने हमारे देश में कई बार जहां मिलिट्री कूदेस हुए हैं, तिब्बत का एक ऐसा मसला था जो कि चाइना के पजेशन में होने के बावजूद भी हमने उसको अलग रूप से मानकर चाइना के साथ बहुत बड़ी लड़ाई मोल ली। मैं समझता हूं कि जो मोशन मूव किया—हमने भी लिबरेशन मूवमेन्ट को मूव किया है और यहां अभी संवेदना के लिए कहा गया तो हमारे पास एक कदम है कि हम किस प्रकार से उनके लिबरेशन मूवमेन्ट में सहायक हो सकें जनमत के द्वारा या यू० एन० ओ० में सवाल पेश करके या अपने बोर्डर खोलने के द्वारा-इस तरह से हो सकता है। हम कभी संवेदना

Page No. 62

(श्री केदारनाथ)

प्रकट नहीं करेंगे–यह औरतों के काम हुआ करते हैं—हम तो उनकी हिम्मत को आगे करेंगे। यह लिबरेशन मूवमेन्ट, अध्यक्ष महोदय, उस बुनियाद पर है जिसके ऊपर हमारी डेमोक्रेसी खड़ी है और यह वही बुनियाद है जिसके ऊपर हमने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और मैं इस बुनियाद को ह्यूमन राइट तो नहीं समझता हूं लेकिन मैं इस बुनियाद को फण्डामेन्टल राइट्स समझता हूं। अगर हिन्दुस्तान की हुकूमत समझती है कि हमारे लिबरेशन मूवमेन्ट से हमारे आस-पास के देश प्रेरणा लें तो हमारी सरकार को उसको मान्यता देनी चाहिए और उनकी पूरी मदद करनी चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन कर दूं कि हम यहां पर एक शोक प्रस्ताव के रूप में इसको करें या जो लोग वहां पर शहीद हुए हैं उनके लिए यहां पर मौन खड़े रहकर करें, मेरे ख्याल में वह उपयुक्त बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है मुख्य मंत्रीजी ने वैसे सदन की भावनाओं के अनुरूप ही कहा कि सदन के जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की भावनायें व्यक्त की हैं उनके भाषण प्रधान मंत्रीजी तक भेज दिये जायं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसके साथ थोड़ा और जोड़ दिया जाय कि जो भावनायें व्यक्त करने का या उनके पास भेजने की बात है यहां ऐसा आप एक प्रस्ताव के रूप में रखकर इसकी सदन से अनुमति ले लें ताकि उन भावनाओं के पीछे पूरे सदन की भावना हो क्योंकि जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं उनकी भी सहानुभूति और संवेदना होगी, सबका उसके साथ योग होगा–इसको कर दिया जाये तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई फार्मल रिज्योल्यूशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सदन की सम्मति से प्रधान मंत्रीजी के पास भेजने के लिए दो विकल्प हैं–या तो कार्यवाही को भेजा जाये अथवा जैसा सम्माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव ले लि [illegible] जाये....

अब प्रस्ताव ले लिया जाय तो उसकी भाषा क्या हो, और प्रस्ताव अगर माना जाय तो किस की ओर से माना जाय ? मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए....

श्री मनोहरसिंह मेहता : स्पीकर का ही माना जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अपनी सम्मति दी है उसके बजाय कुछ व्यक्तियों से लिपिबद्ध कोई प्रस्ताव ले लिया जाय तो वह माननीय सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त कर सकेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ शब्दों में उसको रख देता हूं।

पूर्वी पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक शक्तियों को कुचलने के प्रयास में जो फौजी शासन द्वारा अमानवीय नरसंहार किया जा रहा है....(श्री महेन्द्रसिंह द्वारा व्यवधान करने पर) थोड़ा सा शान्त हो जायं माननीय सदस्य....

उस विषम स्थिति पर यह सदन अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : पूर्वी पाकिस्तान के बजाय बंगला देश कर दें।

श्री अध्यक्ष : बंगला देश यह पर्याप्त होगा।

चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। यातायात मंत्री!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या प्रस्ताव रखा है? जो आपने यहां पर रखा है वह कोई प्रस्ताव के रूप के अन्दर रखा गया है तो वह अन्तिम रूप से क्या शब्द रखे है?

श्री अध्यक्ष : मैंने एक शब्द पहले पूर्वी पाकिस्तान लिखा था तो माननीय सदस्य ने उसको बंगला देश में संशोधित करने के लिए कहा है। मूल यह है:—

"पूर्वी पाकिस्तान अथवा बंगला देश में, जो उसका संशोधन करना है, अवशेष है, प्रजातान्त्रिक शक्तियों को कुचलने के प्रयास में फौजी शासन की ओर से जो अमानवीय नरसंहार किया जा रहा है उस विषम स्थिति पर यह सदन अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है।"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने पूर्वी पाकिस्तान शब्द काम में लिये हैं और बाद मे कुछ माननीय सदस्यों के विचार से उसको 'बंगला देश' शब्द का इसमें प्रयोग करने के लिए जोर दिया गया है। मैं समझता हूं, मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के रूप में कोई चीज नहीं की जाय वह ज्यादा उपयुक्त होगा सभी दृष्टियों से और वहां के रहने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न पैदा हो रहा है, और मैं समझता हूं कि वह नहीं हो तो वह ज्यादा अच्छा है। प्रस्ताव आपकी तरफ से रख दिया गया है और अप्रत्यक्ष रूप से सदन से उसकी स्वीकृति भी हो गई है। उस हालत में उस प्रस्ताव को वापिस लिये जाने से और भी ज्यादा पेचीदगियां इस सदन में प्रस्तुत होंगी

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्या पेचीदगियां होंगी?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उन पर हंसना नहीं चाहिए। यह तो राजस्थान की कृपा है तो ऐसा तो होगा ही।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय श्री महेन्द्रसिंह पंवार आप मत बोलिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (गांधीनगर, जयपुर): सरकार, यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जिस विषय पर बात हो रही है यह इस असेम्बली के दायरे बाहर की बात है। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात है। हम क्यों बोलें?

श्री रामकिशन : यह बहुत बड़ी बात हो गई।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आपने कह दिया। आपकी भावनाएं व्यक्त हो गई। खत्म हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : देखिये कितने सेन्स की बात निकली है।

Page No. 64

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप इसलिए बोल रहे हैं कि सेन्स की बात किया करें पीकर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर किसी सदस्य में कुछ कमजोरी है और उसके कारण अगर सदन के अन्दर वह व्यवधान पैदा करे, अगर कोई सीरियस मोशन, सब्जेक्ट मेटर इस सदन में डिस्कशन का है उस पर चर्चा चल रही हो, उसको लाइटली लेकर आसन की ओर से मजाक में उड़ाया जाय तो मुझे दुःख होता है यह सुनकर। मैं बड़े अदब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सदन के अन्दर व्यवस्था भंग होती है, व्यवधान होता है तो आपको इन्तजाम करना चाहिए और सदन की व्यवस्था आन और शान के साथ चले वैसी व्यवस्था करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपको यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों और माननीय नेता विरोधी दल से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री महेन्द्रसिंहजी पंवार यदाकदा जब भी सदन में आते हैं तो माननीय सदस्य सभी इस बात को जानते हैं कि उनके स्वगत बोलने से और उनके इशारों से यदाकदा दूसरे माननीय सदस्य जब बोलते हैं तो उनके बोलने में भी कुछ अनायास ही, मैं अनायास ही कहूंगा जो व्यवधान होता है, उस संदर्भ में मैं उनकी विशेष स्थिति के आधार पर सदा ही मौन रहता हूं। इस संबंध में जब अधिक स्थिति बढ़े तब उनको आगे व्यवधान पैदा नहीं करने के प्रश्न पर शान्त रहूं या उनके उद्गारों को स्थान मिल जाय और उसके बाद वे शान्त हो जायं उस दृष्टिकोण से मैंने उनसे निवेदन किया और माननीय सदस्य स्वयं समझ रहे हैं कि उद्गार प्रकट हो जाने के बाद वे स्वयं शान्त हैं। इसलिए मेरी इस सीरियस पाइंट को किसी तरह से इधर-उधर करने की नीयत नहीं है, और जो मैंने सोचा था वही हुआ और वे बड़े शान्त हैं अपनी भावनाओं का उद्गार करने के बाद में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में और भी मैं निवेदन करूंगा कि पहले भी एक बार ऐसी की ऐसी दुर्घटना इस सदन के अन्दर हुई। एक तरफ किशनगढ़ महाराजा का मोशन यहां पर डिस्कस हो रहा था उस समय भी एक हंसी मजाक की तरह से इस मामले में अड़ंगा खड़ा किया गया। हम इन्सान हैं। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, और यह निर्विवादित बात है, अध्यक्ष महोदय, कि यह इस सदन के लिए शोभाजनक व्यवस्था नहीं है अगर आसन की तरफ से भी मुस्कराहट के साथ इस तरह के मामलों को नजरअन्दाज किया जाय, और उसको एक बिग जोक, एक मजाक बनाया जाय तो यह स्वाभाविक है कि हम लोगों के दिल के अन्दर ठेस पहुंचती है। आज भी मुझे यही दुःख है कि यह हंसी-मजाक का तो मसला नहीं है, सिविल वार का मसला है, हजारों आदमी मर रहे हैं और यहां पर सीरियस डिस्कशन हो रहा है उसकी जगह पर हंसी और मजाक का कोई वातावरण इस सदन में उत्पन्न करना, मेरे ख्याल से सदन के लिए शोभाजनक नहीं है। हरेक इन्सान में कमियां होती हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ड्रन्कर्ड्स, दारू पीकर लोग आकर बैठते हैं और बकवास करते है तो स्पीकर व्यवस्था करते हैं। इस

Page No. 65

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सदन की परम्परा को निभाए, इस सदन की आन और शान को निभाए और इम्पार्शली आप की व्यवस्था हो। मेरे पास क्या व्यवस्था है। मैं सम्माननीय सदस्य से नम्रतापूर्वक यही निवेदन कर सकता हूं कि आप कृपा करके सदन के बाहर चले जाएं। अगर वे मेरी बात नहीं मानते हैं तो मेरे पास क्या उनको मजबूर करने की व्यवस्था है? मैं मानता हूं कि हमारे दल के अन्दर वे माननीय सदस्य हैं। मुझे इस बात का दुःख है, लेकिन इसके उपरान्त आसन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सदन की मर्यादा को ध्यान में रखकर माननीय सदस्य को पहले तो यह संकेत करें कि वे सदन के बाहर चले जायं। अगर वे नहीं मानते हैं और व्यवधान पैदा करते हैं तो फिर आसन को अधिकार है कि जो भी उचित प्रकार के कदम उठाना हों, वे उठायें।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी तक यह सोचता रहा हूं कि माननीय सदस्य जो अव्यवस्था फैलाते रहे हैं इसको अपवाद मानता रहा हूं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की मैं नहीं सोच रहा हूं। कई बार माननीय सदस्य श्री मेहता ने भी इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। नियमों के अन्तर्गत सदन में शराब पीकर अथवा अन्य नशा किसी प्रकार का करके आने की मुमानियत है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : आना ही नहीं चाहिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : परस....

श्री अध्यक्ष : उस आधार पर यदि कोई अगर पीकर आता है तो उनको तुरन्त निकाला जा सकता है। मैं इस प्रश्न पर कोई पेचीदगी पैदा नहीं करना चाहता। जैसा कि माननीय नेता महोदय, विरोधी दल ने....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं पाइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूं, तो आपको बैठना पड़ेगा। On a point of order the Speaker must sit down.

श्री अध्यक्ष : क्योंकि वे नशे की हालत में बारबार अव्यवस्था सदन की कार्यवाही में डाल रहे हैं इसलिए वे सदन का प्रांगण छोड़कर चले जायं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अपनी पीठ से उठकर अध्यक्षीय आसन के पास आकर) मैं इस XXX में बैठना पसन्द नहीं करूंगा।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : यह सदन XXX को कहना, कहां तक उचित है? लेकिन वे इस समय दरअसल उन्होंने ठीक स्थिति में नहीं कहा है इसलिए मैं इसको इग्नोर करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसीलिए तो मैं बार-बार कहता हूं कि शराब को बन्द कर दो लेकिन राजस्थान सरकार तो शराब को बढ़ाना चाहती है।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : रोजाना हम देखते हैं ...

श्री भैरोंसिंह : मैंने एक निवेदन किया था कि एक बार प्रस्ताव आसन की तरफ से इस सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है, और इस प्रकार की परम्परा रही है कई बार अध्यक्ष महोदय, आसन से सदन की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, वह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ मान लिया जाता है कि वह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार हुआ है। मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन में अपनी बात कही है, उस दृष्टि से वह किस सीमा तक उचित है, क्या खामियां हैं, मैं उनमें न जाकर यह कहूंगा कि प्रस्ताव की भाषा में मुख्य मन्त्री को शायद सन्तोष न हो। लेकिन प्रस्ताव आसन की ओर से आ चुका है, उसको अमान्य करना यह भी अच्छा नहीं होगा। इस हालत में जो प्रस्ताव रखा गया है, मुख्य मन्त्री महोदय यह सदन में न रखकर या और किस प्रकार रखना चाहते हैं या भाषा में परिवर्तन करना चाहें तो वह किया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव को वापस लेना यह एक प्रकार से हास्यास्पद होगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो पारित हुआ है उसको उसी प्रकार स्वीकार किया जावे। अगर माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को कोई आपत्ति है तो वह अध्यक्ष महोदय से उसको भाषा के बारे में परामर्श कर लें।

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्ट कर दूं मैंने सदन की भावनाओं को देखा था, इसलिए प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा था। बांगला देश या पूर्वी पाकिस्तान, इसके लिए कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव आये हैं। जहां तक नियम का प्रश्न है, उनके अनुसार मैंने नहीं रखा है न नियमों के अनुसार लिया है। लेकिन यदाकदा ऐसे प्रश्न होते हैं कि इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य सभी की एक ही सम्मति होती है तो, नियमों के अलग रहते हुए भी यह समझ लिया जाता है कि प्रस्ताव मान लिया गया है। अब दो प्रश्न हैं, यदि कोई कहता है कि यह नहीं है तो....

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की एक सम्मति हो तो वह उसको मंजूर मान लेते हैं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी को यह कहूंगा कि मैं स्वयं यह समझता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है, जिसको मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था में भी कहा है। सदन को ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है, यह भी मैं निवेदन करूं कि जब तक नियमों को रिलैक्स नहीं किया जाये, तब तक नहीं है। लेकिन यह प्रश्न लोक महत्व का है। माननीय सदस्यों की व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नॉन-कमिटल लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए यह प्रस्ताव मैंने रखा है, इसलिए इसको पारित किया जाये यह माना जाये। इसे भावनाओं का संकेत मात्र समझ लिया जाये। यही उपयुक्त होगा।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। पूर्वी पाकिस्तान या बांगला देश, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अभी प्राइममिनिस्टर ने स्टेटमेन्ट दिया था उसमें उन्होंने पूर्वी बंगाल कहा है। हम और कुछ नहीं तो प्राइम-मिनिस्टर ने जो पूर्वी बंगाल कहा है वह हमको मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मेरा ख्याल है, पूर्वी बंगाल ही मान लेना चाहिए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र! यातायात मन्त्री!

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, गृह (ख-१) विभाग की अधिसूचना संख्या प. १ (३) (२४) परिवहन/७० दिनांक २८ जनवरी, १९७१ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय.....

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : सदन की समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन!

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत!

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरी बात का कत्ल किया है ...

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (सभानेत्री, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, सघन कृषि क्षेत्र योजना से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति १९६८-६९ के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति के १९वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष मैंने जो...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री पुखराज कालानी!

श्री पुखराज कालानी (सभापति, जन लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं—

(१) जन लेखा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (तीसरी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों के परिचालन-हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन, तथा

(२) विनियोग लेखे १९६८-६९ में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा भृत विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापन करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने उसको अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न किया जाये। श्री रामचन्द्र आर्य को अंकित न किया जाये।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक! श्री मन्त्रीजी!

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

विधेयकों का पुरःस्थापन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान दुकानें और वाणिज्य संस्थान अधिनियम, १९५८ का संशोधन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No. 68

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान (संशोधन) विधेयक, १६७१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : लेखा अनुदान, वोट आन अकाउण्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्री महोदय के लेखा अनुदान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में, उस सम्बन्ध में मेरी वैधानिक आपत्ति है।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण कर लें !

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थान ग्रहण कर लेने से समस्या हल नहीं होती है। यह जभी हल हो सकती है....

श्री अध्यक्ष : आगे के कार्य में व्यवधान नहीं दें, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं कोई व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। मैंने जो प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : यदि आप चाहें तो मैं एप्लीकेशन पढ़ कर सुनाऊं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इसकी जानकारी कराइये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैंने अस्वीकार किया है। आगे की कार्यवाही को चालू किया है और मेरे सम्मुख पॉइन्ट ऑफ आर्डर, व्यवस्था का प्रश्न आ गया है। आप स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न।

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय यह जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेखानुदान के सम्बन्ध में, उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरी चार प्रकार की आपत्तियां हैं। समय की बचत के लिए मैं उन सभी आपत्तियों को एक ही साथ प्रस्तुत कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम १५० की ओर सबसे पहले दिलाना चाहता हूं :

"A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion."

अध्यक्ष महोदय, नियम १५० की प्रारम्भिक भाषा है :

"Shall state the total sum required and the...

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा तर्क की आवश्यकता नहीं है, जो प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री महोदय इस सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं और जो प्रस्ताव कार्यवाही सूची में छपा हुआ है, सम्माननीय सदस्य उस पर दृष्टिपात करेंगे तो उसमें यह कमी पायेंगे कि नियम १५० के अनुसार इस प्रस्ताव में कितनी धनराशि, वोट आन अकाउन्ट के हिसाब से राज्य सरकार को चाहिए, वह टोटल सम रिक्वायर्ड उस मोशन में चाहिए। इस संकल्प में और इस प्रस्ताव में वह चीज चाहिए। दुर्भाग्य से वह यहां लिखने से रह गई। मैं इस बारे में बदनीयती का इल्जाम लगाने वाला नहीं हूं, क्योंकि वोट आन अकाउन्ट प्रस्तुत करने की नौबत इस सदन में बहुत कम आती है, इसलिए शायद अनुभव के अभाव के कारण यह हो गया हो, यह डिफेक्ट इसमें है This particular motion is in contravention of the rules.

आपने अध्यक्ष महोदय, पढ़ा होगा, उसमें यह लिखा हुआ है : "अनुसूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राशियों से अनधिक अलग-अलग रकमें लेखे में मांग संख्या १ से ४५ के प्रति ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिए राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जाय।" नियम १५० में लिखा है उसकी कहीं व्यवस्था इसमें है नहीं। इसके प्रारम्भिक शब्द ये हैं, मैं फिर पढ़ देता हूं :

A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed ...

तो इसलिये आपको जो इसमें धनराशि लेनी है, क्योंकि किस पर, विचार करेगा सदन, संकल्प पर, तो कितनी धनराशि चाहिए, वोट आन अकाउन्ट में, और कितने दिनों के लिए चाहिए—संकल्प और प्रस्ताव में, इन दोनों बातों का उल्लेख नहीं है। इसलिए क्या सदन अन्धेरे में रह कर बहस करेगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितनी भी धनराशि वोट आन अकाउन्ट के माध्यम से संकल्प या प्रस्ताव के द्वारा चाहते हैं, कि हम इतनी धनराशि कुल चाहते हैं, वोट आन अकाउन्ट में इस धनराशि का जिक्र किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। रूल १५० है :

This rule is mendatory and hence the original motion sought to be moved by the Finance Minister is absolutely in contravention of the rules.

अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी आपत्ति है इस सिलसिले में, वह यह है। आप जरा संविधान की धारा २०६ (१) (ए) देख लें :

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, the Legislative Assembly of a State shall have powers to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in Article 203 for the voting on such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of Article 204 in relation to that expenditure;"

श्री अध्यक्ष : आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २०६ (१)(ए)

श्री अध्यक्ष : कॉन्स्टीट्यूशन को !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कान्स्टीट्यूशन को। इसमें अधिकार यह दिया गया है, कोई भी विधान सभा इन एडवान्स में ग्रांट कर सकती है फोर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेन्शियल ईअर। फोर ए पार्ट–यानो यह देखना है हमको कि साल भर का, एनुअल बजट पेश करने के बजाय हम अंश के लिए, भाग के लिए, हिस्से के लिए पेश कर सकते हैं, दो महीने के लिए. तीन महीने के लिए, चार महीने के लिए, छः महीने के लिए पेश कर सकते हैं। वोट आन अकाउन्ट फोर ए पार्ट आफ ईअर–यह पेश करने का अधिकार है, यह पावर ड्राइव करती है विधान सभा संविधान के आर्टिकल २०६ से, लेकिन यह आवश्यक है कि यह मोशन में दे दिया जाय। यह वोट आन अकाउन्ट पार्ट ऑफ द ईअर, के लिए है। ३१ मार्च, १६७२ तक के लिए जो बजट पास होने वाला है, इसके लिए यह लेखानुदान नहीं है, यह पार्ट ऑफ द ईअर के लिए है। आप मोशन देखिए, मोशन क्या है :

"That the respective sum not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Schedule be granted to the Governor, on account for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of heads of demands entered in the second column thereof against demands Nos. 1 to 45."

प्रस्ताव में लिखा हुआ है, हिन्दी के प्रस्ताव में भी लिखा हुआ है, "३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जायं" ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान—यह ओरिजिनल मोशन में हुआ करता है, जो बजट आता है उसमें, इसका मतलब फॉर द पार्ट ऑफ द इअर नहीं है। वोट ऑन अकाउन्ट पूरे फाइनेंशियल ईअर के लिए नहीं है, फॉर द पार्ट ऑफ दी ईअर के लिए है। यह मोशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दो महीने के लिए चाहते हैं, चार महीने के लिए चाहते हैं, तीन महीने के लिए चाहते हैं. अन्यथा सदन को आप अंधेरे में रखेंगे, जब

Page No. 71

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तक आप इसमें पीरियेड स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ऑन द कान्ट्रेरी पूरे फाइनेंशियल ईअर के लिए लिख दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ, ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए राज्यपाल महोदय को यह धनराशि देना चाहते हैं, इसमें सारे के सारे फाइनेंशियल ईअर के लिए चाहते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार से दो महीने का सवाल खड़ा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय आपने नोट देखा होगा, जो वित्त मंत्री महोदय ने सरक्यूलेट किया है इसके साथ में, उसमें यह लिखा हुआ है:

"In pursuance of Article 206 of the Constitution of India, the Rajasthan Legislative Assembly is requested to vote two months supply for the months of April and May, 1971 as shown in the attached Schedule pending detailed consideration and passing of the demands for the full year. The demands broadly represent one-sixth of the estimated expenditure for the year 1971-72."

यह नोट नहीं होता हमारे पास तो हम यह मान कर चलते, १९७१-७२ के लिए पूरे फाइनेंशियल ईअर के लिए यह पैसा चाहते हैं। केवल नोट से यह क्लेरीफिकेशन होता है कि वोट ऑन अकाउन्ट दो महीने के लिए है। मेरा निवेदन है कि २०६ से हम पावर ड्राइव करते हैं, हम इन एडवान्स ग्रान्ट कर सकते हैं फोर ए पार्ट ऑफ द ईअर। अब यह कितने दिन के लिए करना है—यह स्पेसिफाई संकल्प या प्रस्ताव में किया जाना चाहिए, और इस प्रस्ताव में यह किया गया नहीं है। इसलिए यह प्रश्न नहीं है। अब आन द कान्ट्रेरी ३१ मार्च, १९७१ तक के लिए, पूरे फाइनेंशियल ईअर के लिए धनराशि दी जाय—यह उल्लेख किया गया है। यह जो उल्लेख किया गया है, यह बिलकुल गलत किया गया है, यह फोर द पार्ट ऑफ द ईअर नहीं है, यह पूरे फाइनेंशियल ईअर के लिए किया है। It is absolutely inconsistant with Article 206. तीसरे अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है, अंग्रेजी में है, माफ करेंगे, हिन्दी में है: "अनुसूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राशियों से अनधिक अलग-अलग रकमें लेखे में मांग संख्या १ से ४५ के प्रति ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जाय।" आप देखिये, फोर्थ कॉलम, इनका कहना है, अमाउन्ट शोन इन फोर्थ कॉलम—यह ग्रान्ट कराना चाहते हैं, अमाउन्ट शोन इन फोर्थ कॉलम, अध्यक्ष महोदय, फोर्थ कॉलम क्या है। यह देखिये आप। यह रहा फोर्थ कॉलम....

श्री अध्यक्ष : यह फोर्थ कॉलम क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं साहब। फोर्थ कॉलम है यह प्रभृत दत्तमत। अंग्रेजी में क्या है ?

Page No. 72

श्री यशवन्तसिंह नाहर : वोटेड श्रौर चार्ज्ड। प्रभृत श्रौर दत्तमत्त।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह फोर्थ कॉलम है-यह चार्ज्ड है ?

श्री मथुरादास माथुर : वोटेड एण्ड चार्ज्ड दोनों हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कॉलम बनाये उसका कह रहा हूं, श्रापकी इन्टेन्शन वह होगी।

श्री मथुरादास माथुर : श्रध्यक्ष महोदय, ये चार कॉलम हैं। इट इज वेरी क्लीयर। इट इज टेक्नीकल।

श्री श्रध्यक्ष : लेट श्रस सी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मान लीजिये, श्रापने कॉलम चार में लिखा है, कॉलम में नम्बर डाले हैं १, २ प्रभृत, दत्तमत्त ४ यह कॉलम हो सकता है। सीरियल वाइज नहीं है। नम्बर गलत हैं। ये कॉलम नम्बर दिये हैं, १, २ दत्तमत्त, प्रभृत्त १, २, ३, ४ ये सब हैं। इसलिए इनका क्लेरीफिकेशन हो जाता तो ठीक था। श्राप कॉलम मानकर चलते हैं। श्राप कहते हैं यह है प्रस्ताव में, कॉलम के लिये लिखा है। श्राप इसको टेक्नीकल कह सकते हैं। इट इज माई टेक्नीकल श्रोब्जेक्शन। फोर्थ कॉलम में जो बताया है वह इसमें देना चाहिए था। श्रापने नोट में लिखा है, नोट में कहते हैं मन्त्री महोदय:

The Assembly is requested to vote-to for what ?

वोट कराना है जो चौथे कॉलम में है, जो चौथे कॉलम में दिखाया गया है, वह कराना चाहते हैं। श्रब वोट श्रॉन श्रकाउन्ट के बारे में हमारा कान्स्टीट्यूशन यह कहता है। श्रध्यक्ष महोदय, श्रार्टिकल २०३ है :

"So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but...

२०३ यह कहता है:—

They shall not be submitted to the vote of the Assembly.

श्राप कहते हैं कि मैं श्रसेम्बली से रिक्वेस्ट करता हूं, श्राप इन पर वोट करिये कॉलम नम्बर ४-खैर श्राप इस पर विचार कर लीजिये, मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। यह तीसरी श्रापत्ति है। चौथी श्रापत्ति श्रध्यक्ष महोदय, यह है कि नियम १४६ की तरफ श्रापका ध्याना श्राकर्षित कर रहा हूं नियम यह है :

"Presentation of budget in parts-nothing hereinbefore contained shall be deemed to prevent the presentation of the budget to the House in two or more parts and when such presentation takes place each part shall be dealt with in accordance with these rules as if it were the Budget."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पार्ट में भी अगर बजट पास करेंगे तो वे रूल्स लागू होंगे।

As if it were the Budget

यह अपने आप में तो वही रूल्स लागू होंगे।

Am I clear ?

क्लीयर है रूल १४९ यह कहता है कि आप पार्ट में बजट पास कर सकते हैं, पार्ट में पास करें तो भी बजट का प्रोसीजर और बाकी की चीजें वे ही होंगी।

As Under rule 139 Budget not to be discussed on presentation.

नियम १४९, अब अध्यक्ष महोदय, इसके साथ पढ़ लीजिये नियम १४० जो १३८ वह बजट के बारे में है १३९, बजट नोट टू बी डिस्कस्ड। रूल १४० पढ़ लीजिये। १४० का ३ तो यह पार्ट में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजट प्रोसीजर पर फिर आ जाय—१४० (३) कहता है :

"Each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items."

या तो नियम १४९ को सरकार, वित्त मंत्री महोदय सदन के सामने प्रस्ताव लायें कि बिलकुल रिलेक्स करके इसको कन्डोन कर दिया जाय। इसको रिमूव्ड समझा जाय फोर टाइम बिंग। यह प्रिंसीपल लागू नहीं हो और २०६ के तहत बजट का पार्ट पेश कर रहे हैं। नियम १४९ पढ़े उसमें है, बजट इन पार्ट पेश कर सकते हैं, लेकिन बजट इन पार्ट पेश करेंगे तो भी प्रोसीजर वही है, फार्म वही है जो बजट के लिये है। बजट के लिये है।

Each demand shall contain first a statement of the total grant proposed and then a statement of the detailed estimate under each grant divided into items.

श्री अध्यक्ष : This is 140 (3). Each demand shall contain....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Each demand shall contain first a statement of the total grants...

श्री अध्यक्ष : इसकी पूर्ति नहीं हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ, अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश होता है उसके साथ में मेमोरेण्डम होता है, डिटेल्स होती है, हर आइटम की डिटेल्स होती है। मिसलेनियस आइटम है, इनकी डिटेल्स क्या है। एक्सपेन्डीचर की डिटेल्स क्या है। वह बजट है वैसे ही पार्ट आफ बजट पेश कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स देने का सवाल है सदन को तथ्यों की जानकारी का सवाल है, आंकड़े देने का सवाल है, आइटम बताने का सवाल है, न्यू आइटम बताने का सवाल है। एक्सपेन्डीचर की डिटेल्स बताने का सवाल है। नियम १४९ कहता है, पार्ट में बजट पेश हो उसमें यह सारा प्रोसीजर होगा, वह फार्म होगा।

श्री अध्यक्ष : शिड्यूल नहीं है। डिटेल्स शिड्यूल में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नो, कुछ नहीं हैं। आइटम हैड दिये हुए हैं, डिमान्ड नहीं है। मांग संख्या में लिखा है सेवा, वर्ष दत्त-मत्त, प्रभृत्ता, बस हैडिंग है।

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स आइटम के साथ होनी चाहियें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिमान्ड १३,२६ विविध १,६३,१८ करोड़ और बाद में एक दम २७.१६ करोड़ कर दिये। अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य नहीं जानते, विविध विभाग में क्या है।

The items and the grants must give details.

अध्यक्ष महोदय जो बजट पेश होता है उसमें और इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता सिवाय इसके लिए आपको अधिकार दिया हुआ है। १ महीने २–३ महीने का बजट पेश कर सकते हैं। without following the eleborate procedure of discussion on each demands of the budget.

इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं इस सिलसिले में इन नियमों के संविधान के अन्तर्गत बने हुए नियमों के यह बिलकुल विपरित है। इसमें टोटल सम रिकार्ड नहीं है। इसमें पीरियड स्पेसिफाइड नहीं हैं यह मोशन के लिये मेनडेटरी है। इसके साथ में दो दूसरी आपत्तियां हैं। वो आपत्तियां भी है, और वे जोड़कर चार आपत्तियां एक व्यवस्था के प्रश्न में मैंने सदन के सामने पेश की हैं। काफी अध्ययन करने के बाद और काफी गहराई और गम्भीरता से सोचने के बाद यह निवेदन करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार नियम कन्डोन करने, नियम रिलेक्स करने का प्रस्ताव लेकर नहीं आई है। इसलिये इस संकल्प में इन सारी चीजों की पूर्ति न हो जाय तब तक इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकते, करने में लाभ भी नहीं है क्योंकि यह नियमों और संविधान के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : यस।

श्री दौलतराम सारण : (श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर) अनुमति मिल गई।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय,

I am not catching the eye of the Hon. Speaker.

श्री दौलतराम सारण : यह कह दिया है।

श्री नाथूसिंह : आप हिन्दी में समझते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन-चार एतराज उठाये हैं उनके सिलसिले में मुझे कुछ अर्ज करना है। मेरी राय में ये उनके एतराज निराधार हैं। संविधान की प्रक्रिया है और जो रूल्स ऑफ बजट की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो कुछ भी कार्यवाही होनी चाहिये थी वह सब इस प्रस्ताव के जरिये कर दी गई है। सबसे पहले जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह एतराज उठाया है कि रूल्स आफ बिजनेस और प्रोसीजर में रूल १५० जो वोट आन अकाउन्ट का है, उसमें उन्होंने यह कहा है वोट आन अकाउन्ट का है उसके पहले

(श्री मथुरादास माथुर)

"A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure....

मेरा नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : नियम १५०।

श्री मथुरादास माथुर : १५० और उन्होंने क्लॉज (१) पर कहा है। ६६ करोड़ ५६ लाख ८२ हजार वोट ग्रान अकाउन्ट मांगा है, यह बोडी प्रस्ताव में आना चाहिये। मेरा निवेदन है प्रस्ताव में लिख देते हैं, शिड्यूल इस प्रस्ताव का अंग है। उसके अन्दर योग है। टोटल अमाउन्ट वोट आन अकाउन्ट का पूरा सम है वह इसके अन्दर है। तो मैंने प्रस्ताव में फीगर रखने की आवश्यकता नहीं समझी।

श्री अध्यक्ष : What is the body ?

श्री मथुरादास माथुर : It is a part of my motion. Schedule is a part of th body. शिडयूल के अन्दर मैंने योग पूरा कर दिया है तो इट इज सफीशियेन्स मैं इसको आपके सामने रखूं। वोट आन अकाउन्ट पालियामेन्ट में आया, अपने यहां आया तो पालियामेन्ट में जो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ और अपने यहां सन् १६५७, १६६२ में रखा गया था। उसी के अनुसार वर्ड बाई वर्ड इसमें कोपी इस सदन के सामने रखी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब यह है कि आपने अपनी अक्ल लगाने की कोशिश नहीं की है। १६६२ में आ गया वह ठीक है। यह आर्ग्यूमेन्ट कोनसा है, १६६२ में पास हो गया वह पूरा है और इसमे अब आपत्ति नहीं हो सकती। यह मत कहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैंने अक्ल लगाने की कोशिश की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अपने आर्ग्युमेंन्ट दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसलिये कह रहा हूं कि बाडी में देने के लिये आप कह रहे हैं वह शिड्यूल में है, हर बजट के प्रस्ताव की बाडी में रखने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात कह रहा हूं, सदन की प्रिसीडेंट मैं कोट करता हूं। इस सदन में १६५७ में वोट आन अकाउन्ट पेश किया था और इसके बाद १६६२ में वोट आन अकाउन्ट आया था पालियामेंट में वोट आन अकाउन्ट आया उस वक्त भी वोट ऑन अकाउन्ट की भाषा कान्स्टीट्यूशन के आधार पर जो बननी चाहिये थी, नहीं बनी थी, आज भी नहीं है। मैं सदन के सामने यह नहीं कहता कि पहले गलत हुआ है तो अब सही नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री, १६५७-१६६२ में आया वोट आन अकाउन्ट उसमे शिड्यूल रखा था।

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिखाइये मोशन, १६५७ का वोट आन अकाउन्ट का मोशन सदन में पेश कर दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : "That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the schedule be granted to the Governor, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1962. in respect of heads of demands entered in the second column there of against demands....

यह १९६२ में था। इसलिए इन दलीलों को छोड़ दें। मगर शिड्यूल मोशन का पार्ट है और शिडयूल में धनराशि लिख दी गई है तो रूल्स में जो प्रावधान है, वह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दूसरा उन्होंने कहा कॉलम ४ के लिए। मेरे खयाल से मिसअंडरस्टेंडिंग हो गई है। इसके अंदर कॉलम १ में मांग संख्या है, दूसरे में सेवाओं और प्रायोजन तीसरे में १९७१-७२ का संपूर्ण योग है, दूसरे कालम के नीचे चार्ज्ड वोटेड एण्ड टोटल तीनों का है। फिर कॉलम नं० ४ में लेखे के आधार पर राशि है वह जो मैं वोट मांग रहा हूं, वही वोटेड, चार्ज्ड एण्ड टोटल है। इसलिए कन्फ्यूजन "चार्ज्ड" का फोर्थ कॉलम नहीं है, यह पूरा कालम है इसलिए जो मैंने मोशन रखा है:...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पीरियड ?

श्री मथुरादास माथुर : संविधान के अंदर पीरियड के लिए मेन्शन करने की आवश्यकता नहीं है। मोशन के अंदर नोट में जो उसका पार्ट है पीरियड लिख दिया गया है और उसके अंदर लिखा है Demands broadly represent one sixth of the estimated expenditure....

जब टोटल अमाउन्ट वोट के लिए मांग रहा हूं, तो पीरियड की इंडीकेशन हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : संविधान में क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : "To make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 203 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 204....

तो इसके अंदर पार्ट आफ दी इयर का है तो टोटल जो मांग रहा हूं, वह पार्ट आफ दी यीअर है। यह लिखने की जरूरत नहीं कि अप्रेल....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पार्ट ऑफ दी ईअर से क्या मतलब है ? इसका मतलब यह है कि ३१ मार्च, १९७२ तक ?

श्री मथुरादास माथुर : नो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो ? २०६ एप्लाई करेगा। पार्ट आफ दी ईअर मीन्स ३१ मार्च, १९७२ नहीं, तो पार्ट आफ दी ईअर दो तीन महीने ?

श्री मथुरादास माथुर : ३१ मार्च ११७२ की बात कर रहा हूं। इस राशि के अंदर मैंने "पार्ट आफ दी बजट" नहीं रखा कल सदन के सामने पूरा बजट १६७१-७२ का रख दिया, पूरा बजट रखा। आपने जो आपत्ति की है वह वहां पर लागू होती है जब मैं पूरा बजट आपके सामने नहीं रखता, मैं दो तीन महिने का बजट बनाकर आपके सामने आता तो उस समय माननीय सदस्य की दलीलों का असर हो सकता था लेकिन मैंने पूरा बजट रखा है, बजट की डिटेल्स रखी है। अब मैं सदन के सामने सिर्फ ६६ करोड़ और कुछ राशि जो शिड्यूल ४ में मांगी है, उसके लिए वोट आन अकाउंट मांगता हूं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : कितने महीनों के लिए ?

श्री मथुरादास माथुर : महीनों का सवाल नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ है कि अप्रेल मई के बाद बाद आप दूसरा बजट जुलाई में पास करा सकते हैं आपका इन्टरप्रिटेशन यह है कि ३१ मार्च, १६७२ का पूरा बजट रख दिया है और उसमें से थोड़ा रुपया चाहते हैं। मान लीजिए वित्त मंत्री ने जादू का डंडा ३१ मार्च, १६७२ का निकाल दें तो आपको बजट पास कराने का अधिकार नहीं। इसलिए आप कहें कि अप्रेल मई और जून के लिए चाहते हैं। आगे पर यह मेन्डेट होगा कि आपने केवल दो महीनों के लिए मांगा है...

श्री मथुरादास माथुर : महीनों का का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने नोट में लिखा है। कन्फ्यूजन क्यों है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इन्कार नहीं करता। आप कहते हैं कि मेन बोडी में आन चाहिए, वह एतराज गलत है। मैं शिड्यूल के अंदर वोट आन अकाउन्ट चाहता हूं। मैंने नोट में कह दिया है कि दो महीनों के लिए काफी होगा। वह साल का १/६ होता है उस हिसाब से अकाउन्ट किया है। उसको सदन एप्रूव करे, दो महीने के अंदर इतने रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : १४० को माननीय सदस्य ने रेफर किया है।

श्री मथुरादास माथुर : डिटेल्स हैं मेरे बजट में। आप पार्ट आफ बजट कहते हैं। दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो मैं सदन के सामने दो महीने का बजट बनाकर आता और डिटेल्स देकर खत्म करता उसके बाद दूसरा बजट लाता ३१ मार्च तक तो दूसरी बात थी। लेकिन मैंने पूरा बजट पेश किया है १६७१-७२ का। उसमें से ६६ करोड़ सदन के सामने वोट आन अकाउन्ट मांगने आया हूं कि दो महीने के अन्दर इतना रुपया खर्च करने का अधिकार कन्सालीडेटेड फन्ड से राज्यपाल महोदय को दे दिया जाए। उस प्रस्ताव को जो टैक्नीकल लेंग्वेज है, जो आज तक रखी गई है, वह मैंने रखी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर हमने आपको अधिकार दे दिया, मान लीजिए हम बजट मई में पास नहीं करते, पूरा बजट जून में पास करते हैं तो क्या एक जून को उस रकम में से खर्च कर सकते हैं ? क्या आप एक जून १६७१ को इस धनराशि में से स्टेट सर्विसेज के पर्पजेज के लिए कुछ खर्च कर सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ६६ करोड़ धनराशि खर्च करने का अधिकार मांगा है।

(श्री मथुरादास माथुर)

नोट में यह दिया गया है कि अप्रेल, मई में चाहते हैं। दो राइडर्स हैं हमारे पर। मई के बाद खर्च नहीं कर सकते और साथ ही साथ ६९ करोड़ ही खर्च कर दें तो दो महीने के आगे प्रोसीड नहीं कर सकते और ६९ करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मोशन में होना चाहिए, दी नोट डज नाट कैरी एनी व्हेट।

श्री मथुरादास माथुर : मोशन में मन्थस् को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा बजट रखा है।

श्री अध्यक्ष (वित्तमंत्री से) : अगर कर दिया जाता तो गलत होता ?

श्री मथुरादास माथुर : मुझे एतराज नहीं है। मैंने पूरा बजट पेश किया है, उसमें से ६९ करोड़ कन्सालीडेटेड फंड में से खर्च करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टु बी आन दी सेफर साइड १९६२ व १९६७ के प्रीसीडेंट में आप जाते हैं। उस समय पता नहीं वित्त मंत्री कोई ढीला ढाला होगा। आप क्यों उसको प्रीसीडेंट कायम करना चाहते हैं। आपत्ति हमारे ध्यान में आई, हमने रेज की, आगे के लिए गलत चीजों को चलाना चाहते हैं। आप छोटी सी मांग पेश करते, टोटल सम दिखाते, सदन के नियम रिलैक्स कराते अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते कि पीरियड या ३१ मई १९७१ लिख दें या दो महीने के लिए लिख दें, आप पर क्या पाबंदी है ? नोट की क्या वैल्यू है ?

श्री मथुरादास माथुर : संसद के अन्दर यह ड्राफ्ट है, यही मोशन होता है।

That the respective sums not exceeeding the amounts shown in the 4th column of the schedule be granted to the President on account, or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March 1967 in respect of heads of demands entered in the second column thereof againtsf Demands....''

श्री अध्यक्ष : अभी तक संसद में यह पाइन्ट में नहीं उठी ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी तक कोई आपत्ति नहीं उठी। आपने कहा १९५७ व १९६२ में हुआ है। उसके अलावा ?

श्री अध्यक्ष : १९६७ में वोट आन अकाउन्ट हुआ है अपने सदन में ?

श्री मथुरादास माथुर : अपने वाला तो १९६२ का है।

श्री अध्यक्ष : संसद में १९६७ में हुआ था।

श्री मथुरादास माथुर : जी हां। दोनों की लैंग्वेज वही है, मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : धनराशि के बारे में आपने कहा शिड्यूल एक पार्ट है और जहां तक दो महीने का प्रश्न है, वह जो इसके साथ नोट लगाया गया है, उसके अंदर

Page No. 79

(श्री शंकरलाल)

साफ लिख दिया गया है कि दो महीने के लिए हैं तो कोई एम्बीग्यूटी नहीं है। नोट के अंदर लिखा है :

"In pursuance of Article 206 of the Constitution of India, the Rajasthan Legislative Assembly is requested to vote two months supply for the months of April and May, 1971 as shown in the attached schedule pending detailed consideration and passing of the demands for the full year. The demands represent one-sixth of the estimated expenditure for the year 1971-72."

दो महीने का इसमें साफ क्लीयर आ गया है। उसके अन्दर तो है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। एवरी थिंग इज क्लीयर।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रोसिजरल मेटर है और संविधान को इफैक्ट नहीं कर रहा है और जो रिकार्ड है उससे सब बात साफ हो गयी है। एक बात अर्ज करना चाहता हूं। नोट को कौन पढ़ेगा। आपके पास रहेगा वह रिजोल्युशन रहेगा।

"That the respective sums not exceeding the amount shown in the fourth column of the schedule be granted to the Governor, on account for towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of heads of demands entered in the second colum thereof against Demands Nos........"

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह फार्मुला है। माननीय वित्त मन्त्री सारे रूल्स का अमेन्डमेन्ट मानते हुए इसमें अमेन्डमेन्ट फरमा दें। मामूली सा प्रोसिजरल मेटर है। हमारे सामने तो यही रहेगा।

This resolution should therefore have been properly drafted and then a particular motion should have been brought here. This is very formal. The amount should be for two months. This must be very clear in the note.

प्रोसिजरल मेटर है। कोई इससे पीड़ा नहीं होती है। न सदन को है। मामूली प्रोसिजरल मेटर है। रूल्स को फोलो करने दें। डिटेल्ड बजट आ चुका है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिड्यूल का प्रश्न है शिड्यूल तो इन्टेगरल पार्ट ऑफ दी रिजोल्युशन है। नोट है उसमें माननीय वित्त मंत्री ने अपनी जो इच्छा है इन्टेंशन है उसको क्लेरिफाई किया है। केवल नोट के

Page No. 80

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रूप में यह सदन के सामने आता है तो यह प्रस्ताव नहीं है । टेक्निकल डिफेक्ट है। नोट में क्लीयर है :

"The demands broadly represent one sixth of the estimated expenditure for the year 1971-72."

मैं समझता हूं कि इस नोट को किसी न किसी फॉर्म में प्रस्ताव के रूप में लाकर अमेन्डेड फार्म में रखा जाय तो जयपुर से आये माननीय सदस्य की आपत्ति एक हद तक हल हो सकती है। मेरी बुद्धि के अनुसार मैं यह महसूस करता हूं कि यह टेक्निकल फ्लो है । इसको स्पष्ट करने के लिये it must be clarified otherwise it will not serve the purpose of this House.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि शिड्यूल दिया हुआ है। भाषा बड़ी साफ है जैसा जौहरी बाजार से आये माननीय सदस्य ने बताया :

"A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion."

१५० साफ दिया हुआ है। उसमें कहा है वेरियस डिपार्टमेंट का शिड्यूल नत्थी करेंगे। टोटल तो बतायेंगे और विभिन्न विभागों का शिड्यूल बतायेंगे। टोटल तो मोशन में लिखना पड़ेगा । किस विभाग के लिये चाहिये वह कहीं नहीं है नोट इसका पार्ट एण्ड पार्सल नहीं है। ३१ मई, १९७१ ये शब्द इसमें लिखने पड़ेंगे। तब ही यह मोशन सही रूप में होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चौथी आपत्ति मैं वापिस लेता हूं। बाकी एक दो और तीन रहती हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबन्धी नियमों के अन्तर्गत सदन में बजट किस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिये और किन किन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिये यह अपने आप में प्रक्रिया है। राज्य सरकार को पूरा अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो पूरे बजट को सदन में प्रस्तुत कर सकती है और चाहे तो पीसमील में भी।

दो बातें पृथक्-पृथक् हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह वस्तु स्थिति हमें देखनी पड़ेगी कि राज्य सरकार की ओर से पूर्ण रूप से बजट प्रस्तुत हुआ है या पीसमील में। जहां तक बजट के प्रस्तुतिकरण का प्रश्न है राज्य सरकार की ओर से पूरा बजट पेश हुआ। उसके उपरान्त दो प्रोविजन्स आप देखिये :

Budget Demands for grants, Discussion of Budget, General discussion on

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

the Budget, Arrangement of demands, Voting of demands for grants, cut motions, Conditions of admissibility of cut motions, speaker to decide admissibility of cut motions, Notice of cut-motions, Presentation of Budget in parts

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्ट है वह आप ले लीजिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रजेन्टेशन ऑफ बजट इन पार्ट। १४६.

And then 150– Vote on account.

"A motion for vote on account shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be statted in a schedule appended to the motion."

श्री अध्यक्ष : नया प्रश्न क्या है ? यह पोइन्ट तो उठा दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : विवाद कहां उत्पन्न हो रहा है इतना सा प्रश्न है। मान लीजिये कि वित्त मंत्रीजी यह कहें कि सारा बजट पेश कर दिया। प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको पढ़ें वह यह है" अनुसूची के स्तंभ चार में दिखायी गई राशियों से अधिक अलग अलग रकमें लेखे में मांग संख्या १ से ४५ तक प्रति ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जाय। जो मोशन मूव करते हैं वह वित्तीय वर्ष १६७२ में समाप्त होने वाले वर्ष के लिये है और उसके सन्दर्भ में जितनी मांग रखी गयी है वे मांगे अनुसूची में दर्ज की है उस एक्सटेन्ट तक मांगी जावेगी। आगे वह क्या है ? इसका क्लेरिफिकेशन नहीं। क्लेरिफिकेशन देने के का कष्ट इस नोट में दिया। वह नोट यह है

श्री अध्यक्ष : वह पढ़ दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो क्लीयर कट पोजीशन आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : पोजीशन तो और क्लीयर कट मेरे सामने आगई है। नई कुछ आपके पास है नहीं। आई अण्डरस्टेण्ड दी होल पोजीशन।

माननीय श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी सदन के नियमों के अन्तर्गत नियम १५० की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्रकट किया है कि जो प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया है उसमें दी टोटल सम रिक्वायर्ड उसका उल्लेख नहीं किया गया।

एक बात। दूसरी बात। आपत्ति का प्रश्न माननीय सदस्य का यह है कि इस प्रस्ताव में जो

"and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that

(श्री अध्यक्ष)

sum shall be stated in a schedule appended to the motion."

उसका उल्लेख नहीं है जैसा कि इसी वोट ऑफ अकाउन्ट्स के नोट मे उसका स्पष्टीकरण किया गया है।

तीसरी बात, माननीय सदस्य की आपत्ति का प्रश्न यह है जो शिड्यूल के कालमों के सम्बन्ध में है। मैं, जहां तक शिड्यूल के कॉलम का सम्बन्ध है, उसका स्पष्टीकरण देना उचित समझता हूं। सम्माननीय सदस्य इसके कालमों को देखेंगे। यदि माननीय सदस्य ने धारणा बनाई है कि कॉलम ए पेरा २ पर वोटेड तीसरा कॉलम माना है, चार्ट के आगे के टोटल के दूसरे कॉलम पर आगे का सांकेतिक है (४) चार्ज का।

इस तरह अनेक कालम इस सम्बन्ध में होने का उन्हीं की तरफ संकेत माननीय सदस्य का है। इतना मेटिरियल पोइन्ट भी नहीं है यह। फिर भी कॉलम २, ३ के अन्दर वोटेड चार्ज्ड टोटल चार में जो है, जो कुछ भी शंकाएं हैं, उससे इसका स्पष्टी समाधान हो जाता है।

प्रश्न सिर्फ दो मुद्दों का है माया इस प्रस्ताव में समय का दिया जाना उचित है या नहीं, रूल १५० के अन्तर्गत दी टोटल सम रिक्वायर्ड इसका उल्लेख किया जाना है या नहीं ?

यह व्यवस्था का प्रश्न प्रथम बार उपस्थित किया गया है जैसा कि माननीय वित मन्त्रीजी ने जानकारी दी।

सन् ५७ में भी वोट आन अकाउन्ट्स हुआ, ६२ में भी हुआ। सन् ५७ और ६२ में भी इस तरह का कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया गया। जैसा मैंने प्रोसीडिंग्स को भी देखने का प्रयत्न किया उसमें भी रूल १५० के अन्तर्गत पूरी तरह से पारित की गई हो ऐसी जानकारी नहीं मिली। इसलिये कह सकता हूं कि यह व्यवस्था का प्रश्न पहली बार ही सदन में उठाया गया है।

मेरे लिये कठिन है समस्या के प्रश्न पर निर्णय देना। समस्या है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि यह प्रोसीजरल इर्रिगुलेरिटि है। तब तो मैं इसको कण्डोन कर सकता हूं और इस प्रश्न को आगे चला सकता हूं।

पर प्रोसीजरल इर्रेगुलेरिटी भी है या नहीं, यह भी पेचीदा प्रश्न है। जब मैं १५० को पढ़ता हूं

"A motion for vote on acount shall state the total sum required and the various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum shall be stated in a schedule appended to the motion."

१५० के इस प्रस्ताव का इन्ग्रेडियेन्ट क्या है। "Total sum required" एक, नम्बर टू "various amounts needed for each department or item of expenditure which compose that sum."

(श्री अध्यक्ष)

तो कम से कम दो प्रमुख इन्ग्रेडियेन्ट्स हैं इनमें वह 'शैल' मैन्डेटरी है। यह डिस्क्रेशनरी नहीं प्रतीत होता और इसे प्रोसीजरल मानकर इसको कण्डोन करें तो कहां तक इस स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रश्न विचारणीय है।

किन्तु इसके साथ ही, दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है इस प्रस्तावित प्रस्ताव के २०६ आर्टिकल के अन्तर्गत।

देट पार्ट ऑफ दी फाइनेन्सियल ईयर का उल्लेख किया जाना चाहिये। इसका मतलब है प्रस्ताव में दो महीने का पर्याप्त उल्लेख होना चाहिये जो कि इस प्रस्ताव से संकेत नहीं मिलता।

परन्तु जो नोट प्रस्तुत किया गया है उसमें दो महीने का उल्लेख कर दिया गया है साथ ही जो प्रस्ताव लोकसभा में आज तक प्रस्तुत किये जाते रहे हैं उसमें भी इसका संकेत नहीं है।

सदन में प्रस्ताव पेश किया उसमें भी उल्लेख नहीं है। इस तरह यह परम्परा बनी है पार्ट ऑफ दी फाइनेन्सियल ईयर का उल्लेख नहीं करने की रही है ऐसा यह परम्परा लोक सभा की भी नहीं है। इसलिये इस प्रश्न को प्रोसीजरल मान कर मैं कण्डोन करता हूं। यह कि नोट में दो महीने का लिखा गया है वह पर्याप्त मान लिया जाना चाहिये।

किन्तु दूसरा जो प्रश्न है दो मोशन फोर वोट शैल स्टेट दी टोटल सम रिक्वायर्ड इसको प्रोसीजरल नहीं मान सकते। इसलिये इस मोशन में टोटल सम जो कि शिड्यूल में बताया गया है उसका समावेश करना अनिवार्य है। जैसा कि भाषा का संकेत है।

ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य का जो व्यवस्था का प्रश्न है रूल १५० के अन्तर्गत टोटल सम के इन्दराज करने के सन्दर्भ में मानता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह यह संशोधन प्रस्ताव में कर दे। किन्तु साथ ही मैं यह चाहता हूं कि २३४ नियम है प्रक्रिया का उसके अन्तर्गत इसको रिलेक्स करता हूं। संशोधन जल्दी दे दें ताकि जल्दी आ जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर तो इसको दोनों को कर दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने नियम को कण्डोन करते हुए सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिये स्थगित करने का निर्णय किया है। अब आधा घण्टा का अर्थ आधा घण्टा ही नहीं है जिस पर कि आपत्ति उठाई जाय। इस को संशोधित रूप में प्रस्तुत करें तब तक का समय समझा जाय, इतना कहकर मैं सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(२.१७ मिनिट पर सदन की कार्यवाही लगभग आधा घण्टा के लिये स्थगित हुई)

(मध्यान्ह पश्चात् ३ बज कर १ मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार तथा अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मन्त्रीजी।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियें जो कुल मिला कर ६९,५६,८२,००० (उनहत्तर करोड़, छप्पन लाख और बयासी हजार) रुपये मात्र होगी, अलग-अलग रकमें लेखे में मांग संख्या १ से ४५ के प्रति ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल को अनुदत्त कर दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने ६९,५६,८२,००० राशि, वोट ऑन अकाउन्ट लेने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सदन के सामने मैं राजस्थान राज्य का १९७१-७२ का बजट प्रस्तुत कर चुका हूं और उस ७१-७२ का बजट ३१ मार्च, ७२ से पहले जो खर्च रखने वाले अलग-अलग शीर्षकों में होंगे, उनमें से हमने यह धनराशि वोट ऑन अकाउन्ट रखी है। इसको रखने का एक ही उद्देश्य है कि माननीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का पूरा मौका मिले। क्योंकि ३१ मार्च के पहले-पहले हम सदन में पूरा वाद-विवाद बजट पर नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से उद्योगों पर भी चर्चा करने का अवसर नहीं होगा। इसलिए मैंने यह धनराशि जो प्रस्ताव में बताई है, उसका वोट ऑन अकाउन्ट इस सदन से मांग रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं लोक सभा में, और अपने यहां पर भी एक परम्परा रही है, जब वोट ऑन अकाउन्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर लम्बी चर्चा नहीं की जाती है। इसलिये कि माननीय सदस्यों को पूरे बजट पर जनरल डिबेट करने का मौका मिलेगा और सरकार को और खास तौर से वित्त मन्त्री को आपके विचारों से लाभ होगा।

श्री भैरोंसिंह : सरकार निकम्मी दिखती है। एक वित्त मन्त्री को लाभ होगा।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार को लाभ होगा।

इसलिये मैं अपना प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं कि वह मन्जूर करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना भूल गया हूं, जो अन्य डिमाण्ड रूल में हैं, उनको यही समझें।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव मूव किया गया, वह माना जाये और सदन ने यह स्वीकार कर लिया है। मेरे कटमोशन भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कटमोशन इसमें नहीं आयेंगे।

एक माननीय सदस्य : वह इसमें नहीं आयेंगे। बाद में आयेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो जनरल में मैं कह सकता हूं ?

श्री मथुरादास माथुर : वह बाद में कह सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : मुनासिब नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो कुछ मुझे बोलना होगा मैं बोल दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने १६७०-७१ के बजट के सम्बन्ध में अनुपूरक मांगों और विनियोग के लिए....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सप्लीमेन्ट्री मांग नहीं है। वह बाद में आयेगी।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुपूरक मांग नहीं है। विरोधी दल के माननीय नेता महोदय से मेरा यह निवेदन है, अपने यहां पर इस सदन में यह परम्परा रही है, दो दफा वोट ऑन अकाउन्ट हो चुका है, पार्लियामेन्ट में हुआ है, तो वोट ऑन अकाउन्ट बिना वाद-विवाद के और बिना बहस के पास हो जाता है। एप्रोप्रियेशन बिल पेश होगा उस समय आप बहस करें....

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : फिर सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। यह वोट ऑन अकाउन्ट मांगा है। बाद में पूरा बजट आयेगा उस समय बहस का मौका मिलेगा। इस सदन की यह परम्परा रही है—

श्री भैरोंसिंह : परम्परा नहीं बनी है। नहीं बोलना हो तो दूसरी बात है। वैसे बोल सकते हैं। परम्परा तोड़ता बोलना नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन यह है कि वैसे तो एडजोर्नमेन्ट मोशन पर भी लम्बी बहस हो जाती है। मुझे उस बारे में नहीं कहना है। लेकिन यह आम परम्परा रही है, इस सदन की परम्परा रही है।

श्री भैरोंसिंह : परम्परा नहीं। नहीं बोले तो वह सरकम्स्टान्सेज के कारण नहीं बोले।

श्री मथुरादास माथुर : दो दफा वोट ऑन अकाउन्ट हुआ है, दो दफा नहीं बोले हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो दफा नहीं बोले, तो एक दफा तो आपने गोलियां चलाई इसलिए नहीं बोले। लेकिन यह मान कर नहीं चल सकते कि बोल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नियम १५० (३) हैं:—

"(3) Discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendments moved thereto, but the details of the grants shall not be discussed further than is necessary to develop the general points."

श्री भैरोंसिंह : बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोल सकते हैं। इसके अवसर और भी आयेंगे। एप्रोप्रियेशन बिल आ रहा है, उस अवसर पर थोड़ा बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह आयेगा तो अवसर मिलेगा और बोल सकते हैं। लेकिन इस पर भी बोल सकते हैं, यह मान्यता है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम पढ़ कर सुनाया, उसके अन्तर्गत बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह आपको माथुर साहब को बताना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं प्रेक्टिस एण्ड प्रासीजर ऑफ पार्लियामेन्ट पढ़ता हूं।

"Vote on account is a formal business and as such

(श्री मथुरादास माथुर)

there is normally no discussion in the House thereon, the idea being simply that Government functions should not come to a standstill because of the absence of the vote of the House authorising the expenditure. On the day on which the vote on account is taken up in the House, other legislative business may also be put down on the agenda."

यह हमारे यहां पर पार्लियामेंट प्रोसीजर है और भी इस सम्बन्ध में कहा है, काफी डिस्कशन हुआ है :

"As a convention, vote on account is normally passed without discussion. The Speaker may, however allow some questions to be asked and answers given so as to explain to the House what exactly the members are called upon to vote. The convention that there will be no discussion on vote on account is not in contravention of the Constitution.

यह सब पार्लियामेंट का पूरा प्रासीजर है और प्रेक्टिस है, उसके अन्दर एक दफा नहीं, कई दफा माना गया है। इसके पीछे एक बेसिक फिलासफी भी है। इसलिए मैंने निवेदन किया, वरना बहस करें, बहस हो। लेकिन पार्लियामेंट के प्रासीजर और प्रेक्टिस में जो कन्वेन्शन लेड डाउन है, वह मैंने अर्ज किया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, क्लेरीफिकेशन के रूप में जानना चाहूंगा, एप्रोप्रियेशन के ऊपर भी, कोई विषय हो, उसके ऊपर जनरल रूप से चर्चा करने का सदस्यों को अधिकार रहा है। अगर यह आप आज्ञा दें तो मैं इस रूप से बोलूं, वरना आपकी यह आज्ञा नहीं हो तो मैं अपना राइट फोर गो करूं, कोई दूसरे सदस्य इस पर बोल सकते हैं। मैं बाद में बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप बोल दीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो यह बजट सदन के समक्ष रखा है उसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में जो कुछ भी सरकार के द्वारा खर्च किया गया है, उस मांग को स्वीकार कराने के लिए सरकार सबसे पहले सदन में आई है। मैं सब से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं स्वयं यह अनुभव करता हूं कि सरकार के कर्मचारी संतुष्ट रहें-यह परम आवश्यक है। यदि सरकार के कर्मचारी संतुष्ट नहीं रहते हैं तो सरकार सुचारू ढंग से नहीं चल सकती है। किन्तु उसके साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को आंख मीच कर अन्धा धुन्ध रूप से बढ़ाया ही जाय, निरन्तर बढ़ाया जाय, हर साल बढ़ाया जाय और खास करके

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मध्यावधि चुनाव के पूर्व में, जनवरी में सरकार ने कर्मचारियों के वेतनमान बढ़ाये-यह भी मैं समझता हूं, एक सीमा के परे चीज है और मैं अनुभव करता हूं कि यह चीज राजस्थान की आम जनता को अखरती है, वह इस चीज को कभी पसन्द नहीं करेगी कि एक तबके, एक वर्ग विशेष को सरकार के द्वारा हर तरह से संरक्षण दिया जाय और आम जनता की उपेक्षा की जाय। अगर सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि मिलती और साथ-साथ आम जनता के लिए कोई ठोस कदम लेकर सरकार उनकी हालत में, उनकी खुशहाली के अन्दर अभिवृद्धि करती तो मैं सरकार के ऐसे कदम को प्रशंसनीय मानता किन्तु आज हम देखते हैं कि गरीबों की हालत बुरी से बदतर होती जा रही है, महंगवारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और उसके अन्दर भी सरकारी कर्मचारियों से सरकार दबती है क्योंकि कर्मचारियों का एक संगठित तबका है, संगठित रूप से वह अपनी मांग रखते हैं। अगर कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं करे तो आज सरकार और मंत्रियों को संरक्षण देने के लिए पुलिस और कर्मचारी नहीं हों। तो मेरे खयाल से इस सरकार की दुर्दशा हो। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं कर्मचारियों को भी, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कह सकता कि उनकी मांगें सबकी अनुचित हैं। आखिरकार दिन पर दिन कीमतें बढ़ती जायं, टैक्स बढ़तें जायं, और निरन्तर ऐसे बजट पास किये जायं तो कर्मचारी कैसे अपना निर्वाह कर सकता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार कितनी धनराशि सालाना खर्च करती है और उसके साथ-साथ उसके अनुपात में कुल आमदनी का कितना सरकारी कर्मचारियों के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर यह खर्चा अन्धाधुन्ध रूप से बढ़ाया जाता है तो मैं समझता हूं, सरकार कोई विकास के ऊपर खर्च नहीं कर सकती। मैंने अभी ही देखा, केरल का मैं आपको उदाहरण दूं रेवेन्यू अकाउन्ट और केपिटल अकाउन्ट दोनों का मिला कर केरल की सरकार ६६ पर्सेन्ट कर्मचारियों के ऊपर खर्च करती है, केवल मात्र रेवेन्यू अकाउन्ट का ६५ प्रतिशत केरल की सरकार कर्मचारियों पर खर्च करती है....

श्री मथुरादास माथुर : केरल की सरकार करती है। मैं क्या करूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): इसके साथ-साथ घाटे का बजट, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार, इतना पक्षपात अभी होता है और आप कहें कि समाजवाद आ सकता है तो मेरे खयाल में इसमें कोई संतुलन नहीं है। एक चीज आम हैं, एक चीज इमली, एक चीज पूरब है, एक चीज पश्चिम। यह हिन्दुस्तान टाइम्स का २७ तारीख का एक लीडिंग आर्टिकल है, इस सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष, सदन के समक्ष कोटेशन पढ़ कर सुनाना चाहूंगा :

By the Chief Minister's own admission, 95 percent of State government revenues on revenue account and 59 percent of revenue on both revenue and capital account go towards payment of salaries of government servants. In this kind of situation,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

development activity ceases for all practical purposes and government appears to exist only to protect bureaucrats and clerks from inflation and to keep them off the streets."

तो अगर यह राजस्थान सरकार की बजट की नीति है तो मैं ऐसी बजट की नीति की कभी प्रशंसा नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में भी कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा। दुर्भिक्ष हमारे राजस्थान के राज्य में निरन्तर कहीं न कहीं किसी क्षेत्र के अन्दर बना रहता है, इट इज ए रेकरिंग मेलेडी। इस स्थिति के कारण सरकार को और इस सदन के माननीय सदस्यों को भलीभांति विदित है-औसत वर्षा के अभाव से सब जंगलों को काट देने के कारण, सरकार को यह भलीभांति विदित है, यह रेकरिंग मेलेडी, इस अकाल की परिस्थिति के लिए एक जागरूक सरकार के नाते आपको कुछ न कुछ दूरदर्शितापूर्ण ठोस कदम उठाने चाहिए किन्तु अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। जब अकाल पड़ता है तो लम्बी चौड़ी बातें मंत्री लोग करते हैं। भूतपूर्व राजा महाराजाओं को खामखां कोसते हैं। मेरा निवेदन है कि २० वर्ष में सरकार ने अगर कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में किया होता तो हमारी दिक्कतों में कोई कमी आ सकती थी। किन्तु सरकार केन्द्र के पास जाती है, वहां से ऋण लेती है और ऋण पर ब्याज चुकाना पड़ता है। इस वर्ष ही १७५ करोड़ रुपया ब्याज के चुकाने की मांग सरकार के द्वारा इस सदन में की गई है। पिछले ७ वर्षों में १५७ करोड़ रुपये अकाल राहत कार्यों पर सरकार ने खर्च किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अकाल सहायता स्थाई कोष के रूप में सरकार ने कोष क्यों नहीं स्थापित किया? अगर यह कोष सरकार स्थापित करती तो मेरे खयाल में दिक्कतें कम हो सकती थीं लेकिन यह सरकार दिवालिया सरकार है, एक कर्जदार सरकार है और सरकार केन्द्र के पास बारबार जाकर भीख मांगती है। सेन्ट्रल बैंक से ओवरड्राफ्ट के द्वारा जीवित रहती है। सरकार पर कोई न कोई जिम्मेदारी डालने के लिए, अगर सब चीज पर सीलिंग लगाई जाती है तो ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था के लिए भी कोई न कोई सीलिंग लगानी चाहिए ताकि सरकार को अपनी जिम्मेदारी का अनुभव हो और अंधाधुन्ध खर्च न करके मितव्ययता के सम्बन्ध में विचार करें। अकाल, नहर, नदी घाटी या बड़े-बड़े बांध व अन्य सिंचाई साधनों से नहीं रुक सकते। इन साधनों का लाभ प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृति की कृपा के कारण ही वित्तमंत्री महोदय सदन को जानकारी दे सकें कि ७६ लाख टन का रेकार्ड उत्पादन हुआ है। किन्तु अगर प्रकृति और इन्द्रदेव की कृपा न हो, तो आपके तालाब सूख जायें, नदी भी सूख जायें और ऐसी हालत में आप क्या करोगे? सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई स्थाई कोष बनाए और उस स्थाई कोष के द्वारा जो केन्द्रीय सरकार से ऋण लिया जाता है, उसके ब्याज की बचत करके और जनता को राहत दे सकें।

अकाल राहत के घोटालों के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : आप गहराई के साथ जा रहे हैं, इसका दायरा सीमित है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं विशेष समय नहीं लूंगा। लेकिन इस सम्बन्ध में जो मुझे बातें कहनी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कल भी यही विषय आएगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो उस समय मैं अपना टर्न फोरगो करूंगा लेकिन इसको संक्षेप में कहूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। अकाल राहत कार्यों के संबंध में जांच की मांग की गई लेकिन उस संबंध में सरकार कुछ नहीं करती। मैं अनुभव करता हूं कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती। अगर सरकार इस संबंध में कुछ करना चाहती तो उसका पर्दा फाश हो, इस डर से वह कुछ नहीं करेगी। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं कुछ बातें अवश्य कहूंगा। ट्रक्स और बैलगाड़ियों के फर्जी फार्म बने, हजारों मस्टर रोल फार्म्स फर्जी बने। मैटीरियल के फर्जी रेकार्ड तैयार किए गए हैं और लाखों रुपए के घोटाले किए गए हैं और कर्मचारियों और नेताओं ने मिलकर इसके अन्दर आपाधापी की है। हाल ही में मुझे पता चला है कि एक महाशय ने डूंगरपुर में पेट्रोल, डीजल और ऑइल की बात को उठा कर एक लाख रुपए के बिल सरकार को प्रस्तुत किए। उसमें से ८० हजार का गलत भुगतान हो चुका है। डीजल, ऑइल और पेट्रोल का उसका धंधा ही नहीं न उसके पास कोई पेट्रोल पम्प है और न उन्होंने बताया है कि यह पेट्रोल सरकार को दिया गया। यह एक तरह से फ्राड है, पैसा उन्होंने खाया पी० डब्ल्यू० डी० इन्जिनियर और स्थानीय नेताओं की सांठगांठ के द्वारा आखिर सरकार को बताना चाहिए कि इस मामले का क्या हुआ। अगर सरकार इतने बड़े फ्राड को छिपाती है तो मेरे खयाल से अंधाधुंधी की पराकाष्ठा है। वहां के एग्जीक्यूटिव इन्जिनियर्स ने सरकारी मटीरियल अपने मकान के अन्दर लगाया, तीन लाख रुपये का उदयपुर में मकान बनाया और वह सरकारी सामान लोहा, सीमेन्ट, उदयपुर ले जाते हुए ऋषभ देव के मंदिर के पास सामान के ट्रक्स को रंगे हाथ पकड़ा गया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ और आश्चर्य की बात है कि तत्काल ही डूंगरपुर के कलेक्टर महोदय का तबादला कर दिया गया।

एक तो प्रकृति की अकृपा से अकाल पड़ते हैं लेकिन राजनैतिक अकाल भी राजस्थान में पड़ते हैं। मंत्री, नेता व राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी रेकार्ड बनवाए और वहां पर अकाल घोषित करवाते हैं। अकाल घोषित करवाकर चुनाव जीतने के लिए चुनाव फंड कायम करते हैं और अपना घर भरते हैं। यह सरकारी धन के दुरुपयोग की पराकाष्ठा है। यह मेरी ही आशंका नहीं है किन्तु केन्द्रीय अध्ययन दल ने भी संकेत किया है कि अनावश्यक रूप से अकाल घोषित किए गए हैं। क्या यह बेईमानी की पराकाष्ठा नहीं है? सरपंच, मंत्री, कर्मचारी सबके अन्दर ठेठ नीचे से ऊपर तक का तांता जुड़ा हुआ है, आपाधापी का इस तरह से समाजवाद आ सकता है? आज भी सदन में प्रश्नोत्तरकाल में जब चर्चा हुई उस समय मैंने कहा कि मस्टर रोल फार्म्स का समय पर भुगतान के संबंध में, यह बड़ी भारी समस्या है। एक सभ्य सरकार के नाते मैं मोटी बात कहता हूं कि मजदूर का यह अधिकार है कि वीकली वेजेज बिलकुल समयानुसार उसको प्राप्त हों। यहां तो वीकली वेजेज का पता नहीं, आप कहीं भी जायें, अफ्रीकी देशों में मैंने देखा है,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जहां डिक्टेटरशिप है, एक पार्टी की हुकूमत है, वहां पर भी अगर वीकली वेजेज का भुगतान नहीं होता है तो मजदूर डंडा लेकर खड़ा होता है। आज उधर से उप-मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं कि ४ हजार आदमियों को अभी भी वेजेज का भुगतान नहीं हुआ वह भी एक जिले में पूरा डेढ़ साल हो गया। तो मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट के नाते अकाल राहत जैसे पवित्र क्षेत्र में जहां मजदूर भूख मरते हों वहां टाइमली वीकली हर सप्ताह आप मजदूरी देने के लिए विचार करें वरना आप सरकार नहीं हैं बल्कि मेरे ख्याल से आप बड़े निम्न स्तर की विचारधारा के स्वार्थी गिरोह हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह मैं जानता हूं कि शिक्षा का प्रसार हुआ है और वह प्रसार एक हद तक प्रशंसनीय है यह भी मैं अनुभव करता हूं। सरकारी शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी उपलब्धि प्राप्त कर पायी है उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है।

मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ ही दिन पूर्व प्रश्नोत्तर काल के समय में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा था कि टेक्स्ट बुक्स पाठ्य पुस्तकों की बिक्री के अन्दर सरकार को कुछ एक लाख रुपयों का लाभ हुआ है। मैं इस चीज को बुरा तो नहीं कहूंगा लेकिन मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, कि यह पाठ्य पुस्तकों की बिक्री की व्यवस्था सबसीडाइज्ड बेसिस पर हो, नो लोस नो प्रोफिट के बेसिस पर हो जिस प्रकार गीता, बाइबल सस्ते दामों पर बाजार में मिलती है उसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो तो अच्छा है। साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा को सुलभ बनाने के लिये पाठ्य पुस्तकों की संख्या घटायी जाय खास कर छोटे बालकों के लिये यह परम आवश्यक है। दूसरे देशों में भी पाठ्य-पुस्तकें मिनिमम पोसिबल नम्बर कम से कम संख्या में वितरित की जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे। विषयों का सार रूप में समाविष्ट किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई कमेटी की नियुक्ति करके जल्दी से जल्दी कोई योजना बनायी जाय तो लाभकारी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, छोटे बच्चों के लिये युनिफार्म की जो व्यवस्था है वह एक हद तक ठीक है। मैं उसको बुरा नहीं कहता हूं किन्तु उसके अन्दर जो कमियां हैं उस सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यदि इस युनिफार्म को पहिनने के लिये अमुक दिन साल भर में नियुक्त कर दें तो अच्छा होगा। रोजाना इस युनिफार्म को पहिनना कई माताओं-पिताओं के लिये भार-स्वरूप है और मंत्री महोदय यह भी जानते हैं कि छोटे बच्चे कपड़ों को अकसर नये नहीं रहने के कारण फाड़ते हैं और उनका खर्चा भी उनके माता-पिताओं पर गिरता है। युनिफार्म का होना कदापि बुरा नहीं इसको कम से कम घटाया जा कर कायम रखा जाय तो अच्छा हो। ग्रामीण पाठशालाओं में देखा गया है कि अध्यापक लोग चन्दा इकट्ठा करते हैं और अपनी इच्छानुसार युनिफार्म सिलाते हैं। उसमें मैं देखता हूं कि भ्रष्टाचार निहित है। जहां भी ऐसी दुर्व्यवस्था है

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उसको दूर करने में मैं आशा करता हूं कि शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान देगा।

पौष्टिक आहार के लिये भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पांच साल से ११ साल के बच्चों को एक भोजन वन वीक बिना भेदभाव के सब को देने का विचार करें।

साथ ही साथ धार्मिक शिक्षा के लिये वन पीरियड पर वीक भी रखा जाय तो आपके सेकुलेरिज्म के सिद्धान्तों के विपरीत यह नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं धार्मिक शिक्षा एक बुरी चीज नहीं है। नियन्त्रण के लिये उच्छृंखलता में कमी लाने के लिये सम्भवतः यह एक सार्थक हो सकता है।

प्राथमिक पाठशालाओं के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत जो प्राथमिक पाठशालायें हैं उनकी दुर्व्यवस्था है। बहुत सी जगह तो दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है मंत्री महोदय। बड़ी खर्चीली व्यवस्था तो है। अगर शनैः शनैः इन प्राथमिक पाठशालाओं को शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लाने के अन्दर अग्रसर होंगे तो यह कदम अच्छी दिशा में होगा।

असंतुलित शिक्षा के प्रसार को रोकने के लिये मैं सरकार को पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि क्या इन्जिनियर्स, क्या डॉक्टर्स आवश्यकता से अधिक, मैं समझता हूं, कॉलेजेज में भर्ती नहीं किये जायें। आपको जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार ही आप एडमिशन को रेगुलेट करें। मैं इस हद तक कहने के लिये तैयार हूं कि कॉलेजेज की संख्यां अदूरदर्शितापूर्ण है, राजनैतिक कारणों को लेकर, क्षेत्रीय भावनाओं को संतुष्ट करने के लिये जरूरत से ज्यादा खोले हैं तो आपको निर्भीकता बरत करके मितव्ययता लाने के लिये, देश की सेवा के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए उन कॉलेजेज की संख्या में कोई घटत की जाय तो अनुचित नहीं होगा।

यक्षउपाध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : शायद आपकी नोटबुक को देखते हुए जनरल बजट वाली बातें आगयी हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस सम्बन्ध में भी कहने का अधिकार तो मुझे है।

श्री उपाध्यक्ष : जो रूल है वह मैंने अर्ज कर दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रूल का मुझे ध्यान है उपाध्यक्ष महोदय!

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : रूल १५० में यह भी है :

"(4) In other respects, a motion for vote on account shall be dealt with in the same way as if it were a demand for grant."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। मैं आउट ऑफ दी स्कोप नहीं हूं यह मुझे विश्वास है। मैंने जो मोटे रूप से मुद्दे उठाये हैं, गहराई में न जाकर उनको उठाया है वह मेरे खयाल से विषयान्तर न होकर उठाये हैं। जनरल रोडिग के ऊपर, सारे बजट के ऊपर कोई न कोई बात को लेकर तो मैं बात कह सकता हूं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वरना जो कुछ कहा वह सदन के नियमों के प्रतिकूल नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : शुरू रखिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद।

कृषि के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि छोटी जोत का लगान मुक्त करना चाहिये। सरकार ने इस सदन में घोषणा की है कि १५ बीघा से कम की जोत को लगान से मुक्त किया जावेगा।

उड़ीसा की सरकार ने लगान पूरा माफ कर दिया। दूसरी भी सरकारों ने छोटी जोतों पर लगान माफी दी है। इस सम्बन्ध में भी सरकार को विचार करना चाहिये, ऐसा मेरा निवेदन है।

नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में ७० तक के मामलों को रेगुलेराइज करने की सरकार ने घोषणा की है। इसका तो मैं स्वागत करता हूं किन्तु नामान्तरकरण भी इसका साथ-साथ होना चाहिये। अगर म्यूटेशन और रेगुलेराइजेशन दोनों साथ-साथ नहीं होंगे तो मेरी यह निश्चित आशंका है कि बहुत से जिनुआइन केसेज इस घोषणा के कारण रह जावेंगे। उदाहरणार्थ मैं निवेदन करूंगा कि एक मध्यम श्रेणी का काश्तकार है जिसके पास १८/२० बीघा जमीन है और तीन लड़के हैं और उन तीनों में अपनी भूमि वितरित कर देता है पर म्यूटेशन नामान्तरकरण नहीं कराया तो इस घोषणा की परिधि में वह नहीं आवेगा। इसलिये निवेदन है कि रेगुलेराइजेशन का पूरा लाभ काश्तकार को देने के लिये म्यूटेशन का आदेश दिया जाना जरूरी है। यह आदेश जब तक नहीं निकलेगा तब तक इससे गलतफहमी होगी और काश्तकार को पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा।

टेरेसीन महत्वपूर्ण। इसकी आप ब्लॉकवाइज व्यवस्था करें। खासकर पहाड़ी क्षेत्र में यह अत्यावश्यक है। जहां पर भी टेरेसीन होता है भूमि की उर्वरापन में अभिवृद्धि होती है और ड्राइ फार्मिंग की क्षमता उत्पन्न होती है।

पर यह पाया गया है कि सतर्कतापूर्वक टेरेसीन नहीं होता है। ऊटपटांग रूप में होता है। पक्षपात भी होता है। मेरा यह निवेदन है कि सिस्टेमेटिक रूप से टेरेसीन होनी चाहिये और सरकार का इस बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा।

खुशहाली कर के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा कि पांच एकड़ तक की जो छूट दी गई है वह तो प्रशंसनीय है पर बहुत छोटे किसान पर सिंचाई कर का भार भी बहुत ज्यादा है। मैं निवेदन करूंगा कि महंगाई के कारण लोहा, लकड़ी तेल, लोहार खेती की मजदूरी बढ़ जाने के कारण सिंचाई वह काश्तकार दे सके ऐसी परिस्थिति में नहीं है इस कारण उसकी दर को भी आधा करने का निवेदन करूंगा।

मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स के अन्दर लीडिंग आर्टिकल में राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कुछ बातें देखीं। जिस निष्पक्षता से वास्तविकता बताते हुए जो मुद्दे लीडिंग आर्टिकल में उठाये गये, मैं सदन का विशेष समय नहीं लेकर उनको पढ़कर सुनाते हुए सदन का ध्यान उधर दिलाना चाहूंगा।

२७ मार्च, १९७१ का यह आर्टिकल है, जिसमें शीर्षक है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

"White Elephant in Desert"

जिसके अन्दर लिखा है—

"Swifter execution of the Canal will, however, be futile, unless this is accompanied by colonisation and settlement since the command area, specially in the deserted middle and lower reaches, must be peopled before it can be cultivated. And before people can be moved into the area, the entire infrastructure of roads, electricity, water supply, housing, schools, dispensaries, markets, banks, post offices, etcetera, must be established. Yet, the unfortunate fact is that even though 9,00,000 acres can now be irrigated, only 3,15,000 acres were actually irrigated last year and no more than 5,00,000 acres are planned to be irrigated this year. For the rest, the land is yet to be developed and allocated. The responsibility for slow progress here must rest with the Raj. Government which out of a mistaken sense of pride or fear has insisted on keeping colonisation under its own wing separate from the Rajasthan Canal Board which is the executive authority for canal construction. The master plan for development and colonisation of the Rajasthan Canal command area, prepared in 1961 is estimated to cost around Rs. 300 crores at the current prices. As against this, only around Rs. 6 crores have been spent so far.

It is clearly necessary to place construction, colonisation and development under one single autonomous authority with an income oriented approach. This last is important because unless land is allocated or auctioned at something approaching an economic price and irrigation rates are revised upwards the project will have to carry the burden of an enormous subsidy. Land auctions were stopped after an agitation last year and with this one major avenue of resource-mobilisation for financing the

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

project has most unwisely been surrendered. It is open to the Government to reserve certain areas for local residents, displaced persons and landless persons. But there must be a judicious mix. Unless the desert really begins to bloom, as it can with efficient land devlopment and cultivation the "weaker sections" who are sought to be helped will merely be theoretical beneficiaries while the whole community will be poorer for the loss of production, employment and new opportunities,"

मैं इन भावनाओं का पूर्णतया समर्थन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी !

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे थोड़ा समय दिया जाय। पांच मिनिट में बोललूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है चार बजे मांगें मतदान के लिये रखी जावेंगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहार : मांगें नहीं हैं।

सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ठीक कह रहा हूं। आप पांच मिनिट बोलेंगे, इसके बाद वित्त मन्त्रीजी अपना उत्तर देंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट के कुछ अंश को स्वीकृत करने के लिये वित्त मन्त्रीजी ने सदन में रखा।

मैं राजस्थान सरकार का कुछ मुद्दों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पेय जल के लिये राजस्थान सरकार आये साल बजट के मौके पर अपने वित्त मन्त्रीजी की मार्फत घोषणा करती है। पर आज तक वह समस्या हल नहीं कर पाई है यह सरकार।

इस प्रकार की घोषणा हर साल करने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिये कि हम घोषणा तो करते हैं पर उसके मुताबिक साल भर में हम काम भी कर सकेंगे या नहीं। खाली लोगों को राजी करने के लिये अपनी समाजवादी नीतियों का खोखला प्रदर्शन मात्र करने के लिये इस प्रकार की घोषणाएं कर देते हैं और बाद में उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। इससे किसी का कोई मक्सद हल नहीं होता।

दूसरा, मैं सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं उस समय अधिक से अधिक बजट में पैसा खर्च करने के लिये रखते हैं और बाकी सालों में सिवाय मामूली खर्चे के और खर्चा नही करते। सिर्फ चुनाव में वोट बटोरने के लिये और अपने समर्थकों को राजी करने के लिये वे इस प्रकार का बजट पास करा लेते हैं। इसका नमूना इस बजट में भी है और वित्त मन्त्रीजी के भाषण में भी है। इस प्रकार की अव्य-

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वस्था राजस्थान सरकार में है। अगर यही हालत रही और सरकार अपने कारनामों से बाज नहीं आई तो वह दिन दूर नहीं है कि आप लोगों को उठाकर लोग बाहर फेंक देंगे। जिस तरह से पूर्वी बंगाल में आज हो रहा है आपको झूठी घोषणाओं का और लोगों का शोषण करने का नतीजा भी किसी दिन उसी रूप में आपके सामने आवेगा। इस पर आपको विचार करना चाहिये और न्यायपूर्वक जहां शिक्षा की जरूरत हो वहां उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। अपने वोटरों को खुश करने के लिये और केवल चुनावों में सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से यह भेदभाव नहीं बरतना चाहिये।

कहने को आप समाजवाद की नीतियों में विश्वास की बात कहते हैं। पर इस सरकार की करणी और कथनी में सदा अन्तर रहा है।

अपने बंगले में जाकर शराब पीते हैं ये और यहां शराबबन्दी की बात करते हैं। तो मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आप अभी जुलाई में नई स्कूलें खोलने वाले हैं तो जहां जरूरत हो वहीं आप खोलें।

यह पैसा पब्लिक का है, आपका नहीं है। लोगों की गाढ़ी कमाई का है। उसमें सब लोगों का हिस्सा है और इसलिये बराबर हिस्सा मिलना चाहिये लेकिन मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आज तक चार सालों से विधान सभा में बैठ कर जो अव्यवस्था देख रहा हूं, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं बंधती है। लेकिन फिर भी मेरा कहने का कर्त्तव्य है और इसलिये मैं कहे बिना नहीं रह सकता।

अब मैं पुलिस डिपार्टमेन्ट की तरफ आता हूं। सरकार के पैसे का अधिक खर्च इसमें होता है। इसका सारा पैसा सत्ताधारी पार्टी के लोगों के संरक्षण के लिये खर्च होता है। गलत कामों को प्रोत्साहन देने के लिये पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके दो-चार उदाहरण मैं यहां पर रखना चाहता हूं। गंगानगर में पिछले साल सरे आम गोलियां चलीं और इस साल गांवों में आमने सामने गोलियां चली हैं लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक गांव में रात भर गोलियां चलती रही और जब वे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो वहां पर उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा बना दिया गया। हमारे एक माननीय सदस्य श्री शीशराम की हत्या हो गई और उस केस में मेरे इलाके के एक निर्दोष आदमी को फंसा लिया गया है। वहां के सी० आई० डी० से मैंने बात की उसने कहा कि हमने जांच करली है और उसके अन्दर यह नहीं आता है लेकिन फिर भी आज तक उसको नहीं छोड़ा गया है....

श्री विजयसिंह : आप अपने इलाके के मनफूलसिंहजी से क्यों नहीं मिल लेते ?

श्री रामचन्द्र आर्य : उन से भी मिलूंगा। मैं यह कह रहा था कि इस राजगढ़ के केस में जानबूझ कर, इस सरकार ने राजनीतिक दबाव के कारण गिरफ्तार किया गया है। यह तो आजकल पुलिस के अधिकारियों की आदत ही हो गई है। वे चोरियां करते हैं और फिर जैसा ये लोग कहते हैं वैसा ही उनको मानना पड़ता है। उनको नहीं मालूम कि उनके भी और आपके भी बाल-बच्चे हैं। आप झूठे मुकदमें बना कर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अपने भरण-पोषण के लिये निर्दोष व्यक्तियों को फंसाकर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करें। न मालूम कितने ऐसे आदमी हैं जो इस सरकार के नीचे गुलामों की तरह रह रहे हैं। जो सही हैं, ईमानदार हैं, उनको परेशान किया जाता है। इस तरह से आज यहां पर जो जिक्र मैंने किया है वह बिल्कुल तथ्य की बात है। मेरे सामने एक दरख्वास्त आई एक काश्तकार की। वहां के सरपंच ने उसके भाई और भतीजों ने एक कत्ल किया और उसको दबाया गया। उसमें हमारा एक एम० एल० ए० भी है। मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि हम साथ-साथ बैठते हैं। आज उनमें हिम्मत होती तो खड़े होकर कहते कि यह नहीं हुआ है। मैंने उन पर आरोप लगाया है। वे जान-बूझकर इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडावर थाना का जो थानेदार है वह इस तरह के केस बनाने में होशियार है। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सही मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उल्टे मुद्दइयों को थाने में बुलाकर पीटा जाता है और उन बेगुनाहों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लिये जाते हैं। थाने की यह हालत है। इसी तरह से हनुमानगढ़ में डाका डालने वालों को थाने के अन्दर से ही भगा दिया जाता है। इस तरह से क्या कोई भाग सकता है। इन लोगों का एक गिरोह है और उनके द्वारा पुलिस को मदद मिलती है इसलिये उनको थाने से भागने दिया गया और आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई जानकारी भी नहीं है।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, अकाल सहायता कार्यों के अन्दर हजारों आदमियों को पेमेन्ट नहीं मिला है। चारों तरफ से मदद दी है लेकिन लोगों को आज तक मज-दूरी नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? झूठे मस्टर रोल्स बनाये गये हैं। यह सही हो तो उनको सजा देनी चाहिये। मेरे इलाके में एक गांव का, कुआं चलाया गया था उसको १३००/- रुपये का पेमेन्ट नहीं किया गया है। बार-बार इसके लिये कहा गया। इस प्रकार की अव्यवस्था अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत चल रही है। करोड़ों रुपया लोग जेबों में डालकर चले गये उनकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। उन लोगों को सजा मिलनी चाहिये। उनको सजा नहीं मिली इसका भी कारण है। सत्ताधारी पार्टी इसमें लिप्त है। इसी वजह से कोई भी अधिकारी सही जांच नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य। समय समाप्त हो गया है। वित्त मंत्री को उत्तर देना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : थोड़ा-सा कहना चाहूंगा।

एक मिनिट, उपाध्यक्ष महोदय।

कृषि के सम्बन्ध में भी, उत्पादन के बारे में यहां बार-बार घोषणाएं करते हैं। लेकिन आज तक गंगानगर जिले में जो राज-स्थान केनाल आई है उस जमीन को एलॉट करने की नीति निर्धारित नहीं की गई है। इतने बड़े इलाके में जमीन बेकार पड़ी है। इसी तरह से गंगानगर जिले में पानी की कमी से नहरें सूख गई और वहां के काश्तकारों की फसलें नष्ट हो गईं, क्या यह सत्य नहीं है? वहां के काश्तकारों की फसलें बर्बाद हो गईं और उनसे आबियाना पूरा लिया जायगा। इस तरह की कार्यवाही राजस्थान

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा हो रही है। यहां यह घोषणा भी की गई कि कृषि स्नातकों को कृषि के लिए जमीन दी जायेगी। मैं नहीं कह सकता कि किसको जमीन दी गई है। मेरे इलाके में कई कृषि स्नातक इधर-उधर घूमते फिरते हैं। उनको कोई जमीन नहीं मिली है। आज फिर आपने यह घोषणा की है कि डिप्लोमाधारियों और डिग्रीधारियों को १५०/- और २५०/- रुपया दिया जायेगा। यह आपकी घोषणा घोषणा ही है। इनमें कोई तथ्य नहीं है। आप इस तरह का बजट पेश करते हैं। हम जानते हैं कि आप अपने बहुमत के ढोंग पर इसको पास कर लेंगे। खरीद-फरोख्त के द्वारा हाथ खड़े करवा लेंगे लेकिन यह जो नतीजा आपके सामने है, जो आपकी घोषणाएं आपने की हैं उनमें आज तक कोई पूरी नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़!

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं दो-चार मुद्दों के बारे में और बोलना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से बजट का अंश पास नहीं किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य!

श्री रामचन्द्र आर्य : कुछ हजारों रुपये पास करवा कर आप यहां से भाग जाना चाहते हैं। मैंने यह सुना है कि आप अभी चुनाव की तैयारी करवा रहे हैं और यहां पर भी मिड-टर्म पोल करवाना चाहते हैं। यह आपकी नीति ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्षजी, मेरी राय में वोट ऑन एकाउन्ट पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये थी मगर क्योंकि दो माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। विरोधी दल के माननीय नेता ने, मेरा खयाल है, सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स के ऊपर जो चर्चा कल यहां पर होने वाली है, उसकी तैयारी कर के वे शायद आये थे, इसीलिये उन्होंने उसी सम्बन्ध में अपनी तकरीरें यहां पर पेश की हैं।

श्री रामकिशन : यह उनकी योग्यता पर आपका कटाक्ष है।

श्री मथुरादास माथुर : योग्यता की तारीफ की है, एडवान्स में उन्होंने कहा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कहीं न कहीं तो उपयोग होना चाहिये?

श्री विजयसिंह : आपके खिलाफ तो प्रिविलेज मोशन आया हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, अकाल के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई है, शिक्षा के ऊपर जो मुद्दे रखे गये हैं लीगल रूप से तो वह कल ही होना चाहिये। सदन सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड्स के ऊपर कल चर्चा करेगा। इसके साथ ही पहले भी इस सदन के अन्दर जो मुद्दे उठाये गये हैं उसके बारे में विस्तार से, अकाल के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है और आज भी जो मुद्दे उठाये गये हैं उसके ऊपर मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है। फिर भी जो कुछ भी मुद्दे आज उठाये गये हैं, उनका कल हमारे अकाल सहायता मंत्री उत्तर दे देंगे। मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। जो कुछ

(श्री मथुरादास माथुर)
माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं—पेय जल की समस्या को लेकर या सरकार पर लांछन लगा कर कि जो कुछ हम कहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : तैयार तो नहीं हैं पूरा करेंगे या नहीं यह बता दें। जो घोषणा करें उसको पूरा तो करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं जो सरकार की नीति और कार्यक्रम को मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की है उसको पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस साल तो चुनाव है इसलिये....

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये इस अवसर पर ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि पूरी डिबेट होगी और एक-एक मुद्दे पर जवाब दे दिया जायगा। मैं इस बात को मानते हुये कि चर्चा नहीं होनी चाहिये मैं उसके महत्व को नहीं तोड़ना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : लेखा सम्बन्धी अनुदान की मांगें। प्रश्न यह है कि अनुसूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राशियों से अनधिक रकमें जो कुल मिलाकर ६६,५६,८२,००० (उन्हत्तर करोड़ छप्पन लाख और बियासी हजार) रुपये मात्र होंगी। अलग-अलग रकमें लेखे में मांग संख्या एक से ४५ के प्रति ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग शीर्षकों के सम्बन्ध में उनके दूसरे स्तम्भ में प्रविष्ट व्यय के प्रति या व्यय करने के लिये राज्यपाल महोदय को अनुदत्त कर दी जायं।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ६-भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को ६६,५३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०—राजकीय आबकारी के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २६,७६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १२–बिक्री कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,३३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक १३–अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,६६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४–स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,१३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५–पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८–संसद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,६३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ९, मुख्य शीर्षक १९–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८१,६१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १८,२९,००० रुपये तक की राशी प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २२–कारागार के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,२८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २३-पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६५,५५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २७,१६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,६८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,२०,६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,००,०८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३०-जन स्वास्थ्य के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६५,६१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ३०-का-परिवार नियोजन के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४४,६२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ३१–कृषि के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२४,५५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ३३–पशु-पालन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६०,२६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३४–सहकारिता के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३१,२७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,९७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ३७–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,३७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३८–श्रम और नियोजन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,२९,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५८,१३,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४२–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७३,६०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक

४३. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक);

४४. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक);

४५. सिंचन (संयुक्त) स्थापना तथा औजार स्थिर संयन्त्र पर व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,८०,१४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक

५०. सार्वजनिक निर्माण कार्य–भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय;

५२. सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३७,७२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ६४–दुर्भिक्ष सहायता के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३६,५५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक

६५. निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ

७२. निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६६,६७,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के संबंध में ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

Page No. 103

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १७,७२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ७०–वन के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६५,७२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१–विविध के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४८,२८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६–अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,७२,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६२–भूमि धारकों आदि की जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,५०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ६४–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,२८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ६५–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६६–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के संबंध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३६,६४,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ६८–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूंजी की लागत ।

६६- सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी को लागत (वाणिज्यिक);

१००. सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत (अवाणिज्यिक) के संबंध ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६७,१६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(मांग स्वीकार की गई)

मांग संख्या ४१

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३०,४६,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४३

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १२०-निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,००० रुपये तक की राशि प्रदान को जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४४

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक १२४–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३०,८८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४५

प्रश्न यह है कि लेखा अनुदान की मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक आ-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,०४,४१,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जल्दी-जल्दी पास करायें। बिल रखिये।

श्री विजयसिंह : टाइम भी तो ४-२० हो गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ४.२२ हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ४-२२ हुए हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपको तो यही नम्बर याद आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको भूल कैसे सकते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : अपने आपका नम्बर कैसे भूल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी !

राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९७१ का पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६७१ को पुरः-स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खत्म करें, साहब, वित्त मंत्री को गनगौर में जाना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६७१ को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६७१ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर २४ मिनिट पर दिनांक ३० मार्च, १६७१ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–१

(तारांकित प्रश्न सं० १२१ की सूची)

APPENDIX 'A'

List of Villages of Tehsil Pirawa electrified/sanctioned in 1968-69 and 1969-70

S. No.	Name of Village	Proposed length of 11 KV line from source of supply in KM	Total estimated exp. of elec. in lacs of Rs.	Date of Electrification
		1968-69		
1.	Mogispur	0.8	0.562	7-2-69
2.	Dbahli	0.5	0.218	13-3-69
3.	Somli Khon	0.8	0.311	18-3-69
4.	Parasali	0.8	0.311	18-3-69
		1969-70		
1.	Bhania-Kheri	8 (approx.)	2.47	9-2-70
2.	Salotia			9-2-70
3.	Chachalav			26-7-70
4.	Kododiya	2.0	0.972	30-3-70
5.	Guradia	1.6	0.3340	30-3-70

परिशिष्ट–२

(तारांकित प्रश्न सं० १२३ की सूची)

गाडरिया के खातेदारों की जमीन के मुआवजे के भुगतान की सूची
(जो भुगतान किया जा चुका है)

क्र० सं०	नाम कृषक मय वल्दियत	ग्राम	रकवा	रकम
				रु० पैसे
१.	श्री बजरंगा, सुरजा वल्द कालू मीना	गाडरिया	२।।।)१	१६८-८२
२.	श्री रामा वल्द खूबा मीना	,,	७।।)२	३६२-४५
३.	श्री ढोहली श्री बालाजी महाराज मारफत पुजारी श्री धन्ना वल्द हरदेवपुरी	,,	।।।)४	६६-३०
४.	श्री रामनिवास आत्मज बल्वा मारफत धर्मपत्नी बेवा बजरंगी	,,	१७।)१	२२३३-५५
५.	,,	,,	६।।।)४	३२८-३५
६.	,,	,,	२।)	१५५-१०
		योग....	४०।।।)२	३३४७.५७

परिशिष्ट—२

(तारांकित प्रश्न सं० १२५ की सूची)

परिशिष्ट "क"

निम्नलिखित २१ पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें हो कर बसें नहीं जाती हैं:—

१. जालियां
२. सटवाड़ा
३. जाडोली
४. सरथला
५. राजगढ़
६. थला
७. खाचरोल
८. बिजोलिया खुर्द
९. विक्रमपुरा
१०. खोमाजी का खेड़ा
११. भारवेली
१२. श्रीनगर
१३. सुरास
१४. जोजवा
१५. गोपालपुरा
१६. मानपुरा
१७. माल का खेड़ा
१८. विक्रम
१९. जाजपोला
२०. परोदा
२१. जलीदरी

परिशिष्ट—४

(तारांकित प्रश्न सं० १२६ की सूची)

आलोक श्रमिक ठेका सहकारी समिति, भरतपुर के सदस्यों की सूची

१.	श्री सोहनलाल	अध्यक्ष
२.	,, प्रेमशंकर	मंत्री
३.	,, जगदीशप्रसाद	कोषाध्यक्ष
४.	,, डालचन्द	सदस्य
५.	,, शंकरदास	,,
६.	,, हरिसिंह	,,
७.	,, हुक्मीराम	,,
८.	,, छीतरमल	,,
९.	,, श्यामलाल	,,
१०.	,, मारामीलाल	,,
११.	,, अधिनेशकुमार	,,
१२.	,, अमरसिंह जाटव	,,
१३.	,, घनश्याम कोली	,,
१४.	श्रीमती कौशल्यादेवी	,,
१५.	श्री मुरलीधर	,,

परिशिष्ट–५

(तारांकित प्रश्न सं० १२८ की सूची)

जिला बूंदी की पंचायत समितियों में मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बकाया बिलों का विवरण

पंचायत समिति का नाम	अध्यापकों की संख्या	दीगर कर्मचारियों की संख्या	मेडिकल बिलों का भुगतान कब से बकाया है	कारण
१. नैनवा	५४	२१	अप्रेल, १६७०	निजी आय नगण्य होना।
२. केशवरायपाटन	७८	१२	जून, १६७०	निजी आय में बचत न होना।
३. तालेड़ा	१२०	२२	जनवरी, १६७१	निजी आय का खास साधन न होना।

परिशिष्ट—६

(स्थगित तारांकित प्रश्न सं० २७ की सूची)

पंचायत समिति चूरू द्वारा चलाये जा रहे खासोली कृषि फार्म के आय-व्यय का विवरण

क्रमांक	वर्ष	आय	व्यय
१.	५८-५६	—	६,६४२
२.	५६-६०.	३,२२८	५,८१६
३.	६०-६१	४,२१७	११,१६०
४.	६१-६२	६,२७१	१३,४२३
५.	६२-६३	५,३०६	२१,६७३
६.	६३-६४	६,५००	१४,१४१
७.	६४-६५	६,३६६	८,४६३
८.	६५-६६	८,५००	१३,७४०
६.	६६-६७	८,७५०	११,२१३
१०.	६७-६८	४,८७४	३,२५२
११-	६८-६६	४,५१५	४,२२८
१२.	६६-७०	६,८२६	३,६५२

———

परिशिष्ट—७

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

हरनावदा शाहजी में हाई स्कूल

१२३. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या शिक्षा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हरनावदा शाहजी में मिडिल स्कूल खुला हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सही है कि हरनावदा की जनता हरनावदा शाहजी में हाई स्कूल खुलवाने के लिये सरकार से बराबर मांग करती चली आ रही है तथा वहां की जनता ने ग्राम पंचायत की मारफत से हाई स्कूल के लिये भवन भी बनवा दिया है ? यदि हां, तो सरकार कब तक वहां हाई स्कूल खोलने को तैयार है ?

(३) हरनावदा शाहजी के मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है ? हाई स्कूल की अलग व प्राइमरी स्कूल की अलग बताने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) जी हां । सन् ५४-५५ से ।

(२) जी हां । यहां की जनता ने इस वर्ष २ कमरे हाई स्कूल कक्षाओं के लिये बनवा दिये हैं । इस विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के प्रस्ताव जिला परिषद् की सिफारिश पर विद्यालय निरीक्षक द्वारा गत सत्र में भेजे गये थे । लेकिन उक्त वर्ष नये स्कूल सरकार ने कहीं नहीं खोले इसलिये यहां भी नहीं खोला गया था । भविष्य में शिक्षा सुविधाओं के उचित प्रसार के समय इस प्रश्न पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(३) हरनावदा शाहजी के मिडिल कक्षाओं में ६ से ८ तक छात्र संख्या कुल ११७ है तथा प्राथमिक खंड कक्षा १ से ५ तक १७६ है । इस प्रकार इस विद्यालय की वर्तमान कुल छात्र संख्या २९३ है । सबसे बड़ी कक्षा ८ में २१ छात्र हैं । हाई स्कूल खोला ही नहीं गया है । अतः हाई स्कूल की छात्र संख्या बताने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत समिति, छबड़ा की बकाया राशि

१३४. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छबड़ा पंचायत समिति की बहुत बड़ी रकम तकावी लोन, पम्पिग सेट्स के लोन व खाद बीज के लोन के रूप में बकाया है? यदि हां, तो कुल कितनी रकम बाकी है तथा किन-किन लोगों पर कितने समय से बाकी चली आ रही है?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट—८

(अ० प्र० सं० १११ की सूची)

पंचायत समिति, लाडनूं में अध्यापकों के दो वर्ष से पूर्व के स्थानान्तरण की सूची

क्र० संख्या	नाम अध्यापक
१.	श्री उम्मेद हुसैन खां
२.	,, पीथाराम
३.	,, सुरेन्द्रसिंह
४.	,, छोगसिंह
५.	,, हरिश्चन्द्र
६.	,, प्रेमसिंह
७.	,, बद्रीलाल
८.	,, व्रजेन्द्रकुमार
९.	,, चिमनाराम

परिशिष्ट-ह

(अ० प्र० सं० ११९ की सूची)

APPEDIX 'A'

1. Bapawar Khurd.
2. Bapawar Kalan.
3. Kotada.
4. Baran.
5. Labaria.
6. Sankcheda.
7. Charel.
8. Hanwat Kheda.
9. Budhan Heda.
10. Jethani.
11. Budhani
12. Umerda.
13. Rolawad.
14. Dhana Kheda.
15. Debari Kalan.
16. Bhula Heda.
17. Lasadia Kalan.
18. Nayapura.
19. Gahun Khedi.
20. Khadia.
21. Phula bedi.
22. Latoori.
23. Haripura.
24. Dethara.
25. Dobari
26. Chattarpura.
27. Talchi.
28. Lasadia Khurd, Bikaspuria.
29. Dilipura.
30. Jagoda.
31. Jagodi.
32. Hingi.
33. Kishanpura.
34. Arit Kyan.
35. Karkana Khadi.
36. Khajuri.
37. Dhira Hadi.
38. Jali Heda.
39. Mali Beda.
40. Vinod Khurd.
41. Kangsingha.
42. Kundanpura.
43. Kuradi Kalan.
44. Kuradi Khurd.
45. Vinod Kalan.
46. Rolana.
47. Ghatilia.
48. Kishanpura.
49. Atraliya.
50. Rajgarh.
51. Adasea.
52. Nandita.
53. Sangod.
54. Nayagaon.
55. Laxmipura.
56. Kotadi.
57. Kudet.
58. Vijaipur.
59. Borina Kalan.

60. Borina Khurd.
61. Barkaya.
62. Gurayata.
63. Latoora.
64. Debari Khurd.
65. Gahahoda.
66. Nahariya.
67. Shyampura.
68. Mandap.
69. Deoli.
70. Dhikotli.
71. Khadipur.
72. Amli.
73. Pisaheda.
74. Auwan.
75. Kanwas.
76. Kakariya.
77. Bassi Kheda.
78. Gordhanpura.
79. Bhulet.
80. Sawan Bhadaon.
81. Gujanhedi.
82. Madhopur.
83. Mandali.
84. Jalimpura.
85. Jagdishpura.
86. Neemhedi.
87. Gunjara.
88. Khajurna.
89. Urna.
90. Alyabedi.
91. Gardana.
92. Khand Gaon.
93. Umar Hedi.
94. Khadli Kakunja.
95. Kacholia.
96. Rajpura.
97. Gasmodi.
98. Balu Hedi.
99. Pala Heda.
100. Khajuri.
101. Kurad.
102. Brij Nagar.
103. Thumada.
104. Banda.
105. Brijali
106. Kushalipura.
107. Dhoti.
108. Dungarpura.
109. Moi Kalan.
110. Digod.
111. Kamolar.
112. Pana Heda.
113. Mandu Hedi.
114. Hingonia.
115. Borda.

परिशिष्ट-१०

(अ० प्र० सं० १२० की सूची)

APPENDIX A

LIST OF LOCALITIES SANCTIONED DURING THE YEAR 1970-71 IN CHITTORGARH DISTRICT.

S. No. 1	Name of the Villages 2	Tehsils 3
1.	Bhawanipura	Begun
2.	Shyampura	-do-
3.	Udpuriya	-do-
4.	Jhar Sadri	Nimbahera
5.	Bodiyana	Chittorgarh
6.	Katunda	Begun
7.	Bhojunda	Chittorgarh
8.	Phalasia	Doongla
9.	Dagla-ka-Kheda	Chittorgarh
10.	Juni Begun	Begun
11	Suli Magra	-do-
12.	Tejpur	-do-
13.	Jai Singhpura	Gangrar
14.	Rampuria	Rashmi
15.	Jamlawada	Chhoti Sadri
16.	Hadmatiya Jagir	-do-
17.	Gurli	-do-
18.	Swaroop gunj	-do-
19.	Samerda	-do-
20.	Samarthli	-do-
21.	Gagrol	-do-
22.	Gathra	-do-
23.	Lachhmipura	Badi Sadri
24.	Barwal	-do-

1	2	3
25.	Arniya Mali	Nimbahera
26.	Dhanora	-do-
27.	Paldi	-do-
28.	Abinsangar	Chittorgarh
29.	Ochhari	-do-
30.	Akola	Bhadesar
31.	Geeda Khera	-do-
32.	Bhuwasiya	Pratapgarh
33.	Gadola	-do-
34.	Barmandal	-do-
35.	Palthan	-do-
36.	Deopura	Bhainsrorgarh
37.	Bhaupura & Kadhunda	-do-
38.	Saneeta	-do-
39.	Nim-ka-Khera	-do-
40.	Kariyawad	Pratapgarh
41.	Kherot	-do-
42.	Manohargarh	-do-
43.	Virawali	Achnera
44.	Arnod	-do-

परिशिष्ट—११

(अ. प्र. सं. १२२ की सूची)

क्र. सं.	जांच चौकी/रोध (बैरियर) का स्थान	क्र सं.	जांच चौकी /रोध (बैरियर) का स्थान
१	२	१	२
१.	अलवर रेल्वे स्टेशन	२५.	संगरिया
२.	नौगांवा	२६.	भासल
३.	गिवाड़ी	२७.	डाबरी
४.	मांटन	२८.	आबूरोड
५.	शाहजहांपुर	२९.	राजगढ़
६.	नीमली	३०.	दानपुर (बांसवाड़ा)
७.	वरेठा	३१.	मानाडूंगर (बांसवाड़ा)
८.	चिकसाना	३२.	राजपुरिया
९.	चम्बल ब्रिज	३३.	धामनिया
१०.	बहेज	३४.	निम्बाहेड़ा
११.	रारह	३५.	चोर बावड़ी
१२.	बिलावती	३६.	कुशलगढ़
१३.	जुरेहरा	३७.	सालोदा
१४.	राजाखेड़ा	३८.	पलोकापुरा
१५.	पहाड़ी	३९.	सवाईमाधोपुर रेल्वे स्टेशन
१६.	ऊंचा नगला	४०.	भालावाड़ रोड
१७.	सीकर रेल्वे स्टेशन	४१.	भालरापाटन
१८.	पीपली	४२.	रायपुर
१९.	दोंग्राबसई	४३.	दग
२०.	चिड़ावा	४४.	कस्बा थाना
२१.	सिंघाना	४५.	कोटा जंक्शन
२२.	मीण	४६.	इन्द्रगढ़
२३.	करडवाला	४७.	रतनपुर
२४.	साधुवाली	४८.	मांडली

१	२	१	२
४९.	घाट गेट	५८.	फालना,
५०.	झालाना डूंगरी	५९.	पाली
५१.	आमेर रोड	६०.	गोनेड़ा
५२.	लूनी	६१.	राजसमंद
५३.	जोधपुर रेल्वे स्टेशन	६२.	शाहपुरा
५४.	मकराना	६३.	मालपुरा
५५.	एरिनपुरा रोड (जवाई बांध)	६४.	मारवाड़ जं०
५६.	पाली रेल हैड	६५.	रानी
५७.	सोजत रोड		

परिशिष्ट–१२

(प्र० प्र० सं० १२५ की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Medical & Public-Health Department.

No. F. I\(1) (16) MPH 67 *Dated, the 30 th July, 1970.*

The Director of Medical &
Health Services, Rajasthan
Jaipur.

SUB: Donation for the construction of a Dispensary building at Rani, Distt. Pali.

REF:—Your latter No. Yo/Don/330/331, dated 25-2-1970.

In supersession of this Deptt. letter of even number 24-4-69, I am directed to convey sanction of the Governor to acceptance of offer of donation of Rs. 1,12,450/- (One Lakh twelve thousand four hundred fifty only) for construction of a building for dispensary at Rani, Distt. Pali alongwith staff quarters by Sarvashri Amarchand Pukhraj Hingar on the following conditions—

(1) That the doner will deposit Rs. 1,02,450/-in two instalments The first instalment of Rs. 40,000/ shall be deposited immediately and the remaining second instalment of Rs. 63,450/- as soon as after construction work is taken in hand.

(2) That the building will be got constructed through the PWD (B&R) on behalf of the doner according to the plan approved by the DMHS

and no charges for preparation of estimates and plan and supervision would be recovered under the provisions of the P.W.D. Order No. F. 1 (189) PW/59, dated 11-7-64.

(3) The doner will bear the cost of land and expenditure on construction of the boundry wall amounting to Rs. 10,000/-.

(4) The building will be named as Shri Hingar Dispensary and will be handed over to the Govt. for ever on its completion.

(5) The surplus money shall be utilised for furnishing and for meeting the running expenses of the dispensary etc. for one year.

Yours faithfully

Sd/-

Section Officer.

Copy forwarded to the:—

1. Collector, Pali.
2. Chief Engineer, B&R, P. W. D., Jaipur.
3. Distt. Medical & Health Officer, Pali.
4. Shri Pukhraj Hingar, C/o M/s Keshrimull Kundanmull, 46 Strand Road, Calcutta-7.

Section Officer.

TRUE COPY

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक २९ मार्च, १९७१)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति	संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३		१७	तग	गत
२६	अन्तिम से	९	गतानभु	भुगतान
३५	,,	९	उसने	उससे
५१		८	बड़ौद	बड़ौद
५१		९	पक्ड़ो	पकड़ो
६४		६	काष	कोष
८०		१४	अन्तगत	अन्तर्गत
१०५		७	रू	रूप
१२५		१०	शब्र	शब्द
१४०	अन्तिम से	९	ओरजिनल	ओरिजिनल
१४७	,,	६	मोशन	मोशन
१४९	,,	९	सफोशियेन्स	सफीशियेन्ट
१५४		३	आन	आना
१५६		१७	में	—
१५६		१४	againtsf	against
१६३	अन्तिम से	१०	स्पष्टो	स्पष्ट
१६७		१६	मैं	मैंने
१७१	अन्तिम से	१	प्रासीजर	प्रोसीजर
१७३	,,	७	सवथी	सर्वथा
१८२		७	यक्षउपाध	उपाध्यक्ष
१९५		२	सदयों	सदस्यों